खण्ड-322, अंक-1
गुरूवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1898
(6 मई, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 322 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–3
प्रश्नोत्तर	3–32
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 1971-72 पर आधारित विधान सभा की लोक लेखा समिति (1974-75) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	32
श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	32–34
उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल में कार्य करने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	34
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35—नगर विकास, अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन, अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन, अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवा योजन, अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम—विद्युत् (स्वीकृत)	35–74
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	75
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	76–105
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	106
लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत श्री टी० पी० भल्ला की अतिरिक्त घोषित भूमि वन विभाग को दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	106–110
नत्थियां	111–113

RA 8037

cop.9

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 6 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में, दिन में 11 बजकर 6 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य---226

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवारजमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फंज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री

गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गौरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री

धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मबीर, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नन्हें लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमील अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिंह, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रमा पन्त, कुमारी
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती

राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदा नन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—विद्युत् राज्य मन्त्री, श्री रमेन्द्र वर्मा तथा स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 6 मई, 1976

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विकास खन्ड रामनगर, बाराबंकी में हैजे की बीमारी

** 1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित) तथा श्री शिव कैलास (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक सप्ताह से ग्राम रमवापुर तेलवारी, विकास खंड रामनगर, जिला बाराबंकी में तथा पास पड़ोस के क्षेत्रों में भयंकर रूप से हैजा फैल रहा है? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के प्रधान ने राम नगर अस्पताल के डाक्टर व विकास खन्ड अधिकारी, रामनगर को इसी दरम्यान कई सूचनायें

दीं, परन्तु अभी तक इस भयंकर बीमारी की रोक-थाम के लिए कोई प्रयास आरम्भ नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इस भयंकर बीमारी की रोक- थाम के लिए अविलम्ब प्रयास करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

जी नहीं।

तेलवारी के ग्राम प्रधान ने अतिसार की सूचना मौखिक रूप से राम नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 25 अप्रैल, 1976 को दी थी जिस पर आवश्यक हैजा निरोधक कार्यवाहियां की गई और अब तक प्रश्नगत ग्राम में 352 हैजा निरोधक टीके लगाए गए हैं तथा 11 पेयजल कूपों को विसंक्रमित किया जा चुका है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1-2—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

(स्थगित।)

श्री आत्मा राम, जिला कृषि अधिकारी, हरदोई द्वारा नगरपालिका के पानी को अवैध रूप से लेने की घटना

*3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 29 मई, 1974 को पानी मोटर हटाकर पानी की चोरी करते समय जलकल अभियन्ता, हरदोई ने किसी अधिकारी को पकड़ा था जिस पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, हरदोई ने दिनांक 13 जून, 1976 को मु0 480 रुपए की नोटिस दिया था जिस पर 5 रुपये जुर्माना सम्बन्धित अधिकारी से वसूल किया गया ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां।

श्री आत्माराम, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई द्वारा नगरपालिका, हरदोई के वाटरमैन से अवैध रूप से पानी लेने की घटना हुई थी। उक्त अधिकारी को दो वर्ष का जल मूल्य रु0 480 जमा करने की नोटिस दी गयी थी परन्तु उनके स्पष्टीकरण पर उक्त नोटिस प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, हरदोई द्वारा निरस्त कर दी गयी और 5 रुपए एक सप्ताह के जल मूल्य के रूप में वसूल किए गए।

[बृहस्पतिवार 6 मई, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री बाबू लाल वर्मा—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

*2—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[6वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

*3—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 11वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

*—श्री ऊदल—

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

ग्राम लसड़ा खुर्द, जिला आजमगढ़ में चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*5—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के ब्लाक मारटीनगंज के ग्राम लसड़ा खुर्द एवं आस-पास के गांवों में कोई स्वास्थ्य केन्द्र न होने से वहां के निवासियों को चिकित्सा हेतु आजमगढ़ या जौनपुर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में एक ग्रामीण औषधालय अविलम्ब खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

ग्राम लसड़ा खुर्द तथा उसके आस-पास के गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव नहीं है। वहां की जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मारटीनगंज ठेकमा तथा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बरहद से चिकित्सा सुविधा मिलती है। ऐसी परिस्थिति में उक्त क्षेत्र में किसी राजकीय चिकित्सालय की स्थापना का इस समय कोई विचार नहीं है।

सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, वाराणसी के छात्रों द्वारा जमा की गयी धनराशि

*6—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, वाराणसी में प्रत्येक छात्रों से 1972 में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में प्रबन्धकों ने लिया था और उक्त कालेज के टूट जाने के बाद उक्त प्रकार की धनराशियां छात्रों को वापस दी गईं कि नहीं ? यदि नहीं दी गईं, तो कारण क्या है ?

श्री रामायण राय—

इस कालेज के प्रबन्धकों ने छात्रों से प्रवेश हेतु 16-16 हजार रुपया लिया था, जिसमें से 7 हजार रुपया डोनेशन के तौर पर और 9 हजार रुपया शिक्षण शुल्क के रूप में था। इन सभी छात्रों को बचे धन की वापसी अभी नहीं की जा सकी है, क्योंकि इस कालेज के प्रिंसिपल, डा0 बसु मलिक द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने स्थगन आदेश दे रखा है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने छात्र इसमें दाखिल थे और उनसे कुल कितना रुपया लिया गया था ?

श्री रामायण राय—

154 छात्र इसमें दाखिल थे और 16-16 हजार रुपया लिया गया था।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

इसमें से कितना रुपया व्यय हुआ और कितना रुपया बचा ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, यह ब्यौरे का प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, कई बार पहले भी यह सवाल इस सदन में आया कि जो छात्र भरती किए गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश जारी हुआ कि यह कालेज नहीं चलेगा और उसके बहुत से छात्र दूसरी जगह भरती किए गए। तो इस तरह कोई आदमी कायदा कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कालेज चलाने के नाम पर सैकड़ों छात्रों की ठगी कर ले, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपने किया या नहीं और किस धारा के अन्तर्गत हाई कोर्ट में उसको रेलीफ मिली हुई है ?

श्री रामायण राय—

वस्तुत : इस कालेज के खुलने के पूर्व प्राइवेट कालेज खोलने के सम्बन्ध में शासन ने कोई नियम नहीं बनाए थे। जब यह कालेज खोल दिया गया, उसके बाद शासन ने और इस सदन ने ही कानून पास किया और अब इस प्रदेश में इस तरह का कोई कालेज नहीं खोला जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब यह कानून बन गया तथा पहले भी कानून था कि मेडिकल कालेज नहीं खुल सकता, तो अब यह हाई कोर्ट में किस धारा के अन्तर्गत चला गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका यह क्या जवाब दें ?

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

व्यय करने के बाद जो धनराशि बची वह किसके पास है ? क्या उसे छात्रों को वापस दिलाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामायण राय—

जो धनराशि बची है वह शासन के कब्जे में है। उसकी सारी लायबिलिटीज और असेस्ट्स शासन के कब्जे में हैं। शासन का विचार है कि जो व्यय हो चुका है उसे काट कर शेष धनराशि वापस करा दी जाय, मगर अभी तो हाई कोर्ट में मुकदमा दायर है।

गोरखपुर तथा देवरिया टाउन एरियाज के सफाई मजदूरों का वेतन-क्रम

*7—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर तथा कसया, राम कोला और कप्तानगंज नगर क्षेत्र समितियों (टाउन एरिया) में अलग-अलग-कितने सफाई मजदूर (मेहतर) कार्यरत हैं और किस-किस टाउन एरिया में उसको कितना-कितना वेतन मिलता है ? सफाई मजदूरों के वेतन में इतने अन्तर का क्या कारण है ? क्या इनके वेतन में समानता लाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर में 17 सफाई मजदूर कार्यरत हैं। देवरिया जिले की कसया, रामकोला तथा कप्तानगंज टाउन एरिया में क्रमश : 7, 6 तथा 5 सफाई मजदूर कार्यरत हैं।

देवरिया जिले की कसया तथा रामकोला टाउन एरिया में सफाई मजदूरों को 165–215 रुपए का नया वेतन-मान तथा उस पर स्वीकृत महंगाई भत्ता मिलता है। कप्तानगंज में सफाई मजदूरों को रुपया 38–40 के पुराने वेतन-मान में वेतन तथा इस वेतन पर 58 रुपया महंगाई भत्ता मिलता है। गोरखपुर की सिसवा बाजार टाउन एरिया में सफाई मजदूरों को 165–215 रुपये के नए वेतन-मान में वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलता है।

देवरिया जिले की कप्तानगंज टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अत : वह इन कर्मचारियों को नया वेतन-मान देने में असमर्थ है। नया वेतन-मान सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू करने हेतु शासन के सामान्य आदेश हैं। जिलाधिकारी, देवरिया से कह दिया गया है कि कप्तानगंज टाउन एरिया में नया वेतन मान लागू करायें।

आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया के मुख्य चिकित्सक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*8—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दरख्वास्तों की जांच किन-किन अधिकारियों ने कब-कब की है और क्या जांच अधिकारी ने शिकायत करने वाले को भी बुलाकर साक्ष्य लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामायण राय—

प्रश्नगत मामले की जांच तत्कालीन उप-मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी जिला आजमगढ़ द्वारा क्रमश : दिनांक 8, 17 तथा 28 जुलाई, 1974 एवं दिनांक 17 जुलाई, 1974 को की गई ? चूंकि सभी शिकायतें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया के ही कतिपय कर्मचारियों द्वारा की गई थीं तथा इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी को सम्बन्धित कर्मचारियों में से कुछ ने साक्ष्य लिखित रूप से प्रस्तुत कर दिया था। अत : जांच अधिकारी ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जांच की और अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता उनके द्वारा नहीं समझी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उस मेडिकल आफिसर के खिलाफ कर्मचारियों ने कौन-कौन सी शिकायतें की थीं और वे जांच में क्या सही पायी गयीं तथा मेडिकल आफिसर के विरुद्ध कौनसी कार्यवाही की गयी ?

श्री रामायण राय—

5 शिकायते थीं—उन्होंने कार का उपयोग टैक्सी के रूप में किया, सफेदी कराने का जो रुपया था उसे खुद हजम कर गए, नसबन्दी का 15 हजार रुपया था जो उन्होंने खा लिया; एक महिला कर्मचारी से, वे कुछ अनैतिक कार्य ले रहे थे तथा एक शिकायत वेतन बिल के बारे में थी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कौन सी शिकायत सही पायी गयी और क्या कार्यवाही डाक्टर के खिलाफ हुई ?

श्री रामायण राय—

वेतन बिल वाली बात सही पायी गई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री रामायण राय—

उसका उत्तर तो मूल उत्तर में दिया गया है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, तीन-चार संगीन आरोप हैं और इस बात की काफी गुंजाइश है कि जो जांच करायी गयी होगी, वह निष्पक्ष नहीं हो पायी होगी, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या वे किसी उच्च अधिकारी से पुन : इसकी जांच करायेंगे ताकि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उनका निराकरण हो सके ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, जो जांच हुई है उस जांच और उसकी प्रक्रिया से मैं स्वयं भी सन्तुष्ट नहीं हूं और माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले की पुन : अच्छी तरह से छानबीन करायी जाएगी।

देवरिया जिले में कतिपय ग्रामों में हैजे की बीमारी

*9—श्री श्रीनारायण (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा तहसील में हाल में हैजे से कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा रोक-थाम की क्या व्यवस्था की गई? क्या नौरंगिया विकास खण्ड में फैले हुए हैजे की सूचना शासन को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अक्तूबर, 1975 के प्रथम सप्ताह में नौरंगिया ब्लाक में हरिकेशवा, पिपराखुर्द, परिसया, खानू छपरा, हरपुर माफी, आदि गांवों में जब हैजे का प्रकोप तेजी पर था, उस अवधि में पूरी उपेक्षा बर्ती गई तथा अब तक कुओं में लाल दवा तक नहीं पड़ी है? मात्र कुछ टीके लगे? यदि हां, तो इसका कारण क्या था और उसके रोक-थाम की क्या व्यवस्था की गई?

श्री प्रभु नारायण—

देवरिया जिले की हाटा तहसील में हैजे से अगस्त, 1975 में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

हैजे की सूचना प्राप्त होते ही चिकित्सा अधिकारी, मोतीचक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य निरीक्षक, 3 सहायक संक्रामक अधिकारी व अन्य कार्यकर्ता उस क्षेत्र में भेजे गए। क्षेत्र के कुओं में दवाई डाली गयी तथा हैजा निरोधक टीके लगाए गए तथा पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किया गया। हैजे से ग्रसित क्षेत्र के आस-पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी सचेत कर दिया गया कि वे सतर्क रहें ताकि बीमारी और क्षेत्रों में न बढ़ने पाए।

नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हैजे से नहीं बल्कि अतिसार से 8 व्यक्ति पीड़ित हुए, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गयी।

अक्तूबर, 1975 के प्रथम सप्ताह में नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ग्राम हरकेशव, पिपराखुर्द, परसिया, खानू छपरा तथा हरपुर माफी में से केवल परसिया, खानू छपरा तथा हरपुर माफी ग्रामों में अतिसार की सूचना मिली और तत्काल हैजा निरोधक कार्यवाही के लिए उन तीनों ग्रामों में कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डालकर विसंक्रमण किया गया, हैजा निरोधक टीके लगाए गए तथा हैजा के रोक-थाम के लिए उपाय किए गए।

हैजा निरोधक टीके लगाए गए। हैजा फैलाने वाले समस्त पेयजल स्रोतों को विसंक्रमित कर दिया गया फलस्वरूप नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हैजे का प्रकोप नहीं हुआ।

कानपुर के कमलापति मेमोरियल अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, श्री रामेश्वर प्रसाद का तृतीय श्रेणी के पद पर स्थानान्तरण

*10—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के 25 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, श्री रामेश्वर प्रसाद को तृतीय श्रेणी के लैब टेक्निशियन पद पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी और अधिकारियों को निलम्बित करके दन्डित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामायण राय—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री रामेश्वर प्रसाद के स्थानान्तरण के आदेश में उनका पदनाम त्रुटिवश लैब अटेन्डेन्ट के बजाय लैब टेक्नीशियन लिख गया था किन्तु बाद में यह गलती ठीक करके संशोधित आदेश जारी कर दिए गए थे। इस गलती के लिए दोषी पाए गए अधीक्षक, के0 पी0 एम0 अस्पताल, कानपुर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के कार्यालय के मुख्य लिपिक को चेतावनी दे दी गई है इसके लिए उन्हें निलम्बित करना आवश्यक नहीं है। जो दन्ड दे दिया गया है पर्याप्त है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इस बात को देखते हुए कि चौथी श्रेणी के कर्मचारी का तबादला तीसरी श्रेणी के पद पर कर दिया गया और इस प्रकार वे अनियमितता और असावधानता के दोषी हैं। तो जिन अधिकारियों ने पार्टीबन्दी और जल्दबाजी की वजह से ऐसा किया है, उनको जो सजा दी गई है वह बहुत कम है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस पर पुन: विचार करेंगे कि उनको मुअत्तल कर दिया जाय या उनको वहां से हटा दिया जाय ?

श्री रामायण राय—

लैब अटेन्डेन्ट और लैब टेक्निशियन में भेद न करने की एक साधारण भूल उन्होंने की थी। इसके लिए उनको चेतावनी दे दी गयी है। जो कि लिपिक महोदय थे, उनको चेतावनी दे दी गयी है और मैं समझता हूं कि यह सजा उनके लिए काफी है।

इलाहाबाद के मन्डवा स्टोर से जी० आई० पाइप की चोरी

*11—श्री अठ राम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहबाद जनपद में मन्डवा पेयजल स्टोर पर दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को जी0 आई0 पाइप की चोरी हो गई? यदि हां, तो उस दिन स्टोर पर कितने सरकारी कर्मचारी उपस्थित थे तथा सामान किसके चार्ज में था तथा रपट पुलिस के यहां क्या दर्ज की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

चोरी की रात्रि में 5 सरकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

यद्यपि सामान श्री0 के0 के0 भार्गव, अवर अभियन्ता के चार्ज में था किन्तु चोरी की रात्रि में वह इलाहाबाद गए हुए थे। पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट लिखाई गयी थी कि "तारीख 19/20 दिसम्बर, 1974 की रात्रि में 39 अदद पाइप (जी0 आई0 पाइप 1 1/2 इन्च व्यास (डायमीटर) की जिनकी कुल लम्बाई 234.39 मीटर थी कोई चोर मण्डवा एल0 एस0 जी0 डी0 के खुले स्टोर से जो मण्डवा में स्थित है चुरा ले गया।"

स्वायत्त शासन के जूनियर इन्जीनियर से पदोन्नति प्राप्त हरिजन सहायक अभिन्यता

*12—श्री अठई राम (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जूनियर इन्जीनियरों की पदोन्नति 1974-75 में सहायक अभियन्ता के पद पर की गई? यदि हां, तो कितनों की तथा इनमें हरिजन जूनियर इन्जीनियरों की संख्या क्या थी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, 50 जूनियर इन्जीनियरों (सिविल), 4 जूनियर इन्जीनियरों (विद्युत एवं यांत्रिक) एवं 4 संगणकों की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पदों पर की गई। इनमें हरिजन जूनियर इन्जीनियरों की संख्या एक थी।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के सफाई कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि

*13—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद के सफाई कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी 31 जनवरी, 1975 तक की भविष्य निधि की धनराशि तथा इस तिथि तक नगरपालिका द्वारा भविष्य निधि की देय धनराशि जमा है? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार इसको जमा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

जी नहीं। पालिका की दयनीय आर्थिक दशा होने के कारण उक्त समस्त धनराशि जमा नहीं की जा सकी है। शासन ने पालिका की स्थिति न सुधारने पर अवक्रमण की कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का कोई स्पष्ट आदेश, शासन पालिका को देगा कि जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके भविष्य निधि की जहां तक बात है, उनमें कोई गफलत न हुआ करे?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

मान्यवर, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब उनको आदेश दे दिया गया है। अब वह आमदनी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आगे आमदनी बढ़ जाएगी तो सबका प्रोवीडेन्ट फन्ड जमा हो सकेगा।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष—

हर प्रश्न पर आप खड़े हो जाते हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, उत्तर से सम्बन्धित एक प्रश्न करना चाहता था?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करने की इजाजत नहीं है। आप प्रश्न को सामान्य कर देते हैं। जब प्रश्न के पूछने वाले माननीय सदस्य भी सन्तुष्ट हों तो अब और पूछने की जरूरत नहीं है।

कुष्ठ विभाग के नान-मेडिकल असिस्टेन्ट की नान-मेडिकल सुपरवाइजर के पदों पर देवरिया में की गई पदोन्नति

*14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कुष्ठ विभाग में कार्यरत, नान मेडिकल 'असिस्टेन्ट्स' कर्मचारियों की पदोन्नति "नान मेडिकल सुपरवाइजर" पद पर की जाती है? यदि हां, तो पदोन्नति का आधार क्या है?

श्री प्रभुनारायण—

जी हां।

नान-मेडिकल सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति का आधार निम्न प्रकार है :—

(1) किसी विश्वविद्यालय के स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कुष्ठ कार्य में प्रशिक्षण,

अथवा

(2) इन्टरमीडएट उत्तीर्ण तथा कुष्ठ कार्य में प्रशिक्षण तथा कम से कम तीन वर्षों का कुष्ठ निरोध कार्यक्रम का अनुभव।

उक्त शर्तों के साथ-साथ नान-मेडिकल असिस्टेन्ट्स के पद पर कार्य कुशलता, वरिष्ठता आदि को भी ध्यान में रखा जाता है।

*15—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1975 में किसी जूनियर (कनिष्ठ) नान मेडिकल असिस्टेन्ट की पदोन्नति 'नान-मेडिकल सुपरवाइजर' के पद पर की गयी तथा सीनियर नान मेडिकल असिस्टेन्ट्स वंचित हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री प्रभनारायण

जी हां।

उक्त आधारों के अनुसार पदोन्नति की गयी है।

अमीनाबाद, लखनऊ में स्थित शुक्ला वैष्णव होटल के विरुद्ध नगरमहापालिका द्वारा जारी की गई नोटिस

*16—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि सन् 1974 में शासन ने मेहरा सिनेमा, अमीनाबाद, लखनऊ के पास स्थित शुक्ला वैष्णव होटल के मालिक के विरुद्ध नगरमहापालिका, लखनऊ का नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 393 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित किए थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 393 के अन्तर्गत नोटिस जारी की जा चुकी है।

नगरमहापालिकाओं का चुनाव तथा सलाहकार समिति के गठन पर विचार

*17—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की भंग पांचों नगर महापालिकाओं के लिए आम निर्वाचन न कराए जाने के क्या कारण हैं? इन महापालिकाओं के निर्वाचन कब तक करा देने का सरकार का इरादा है और जब तक चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए क्या सरकार का इरादा विभिन्न महापालिकाओं के लिए अलग-अलग सलाहकार समिति नामांकित करने का है और यदि हां, तो समिति कब तक गठित कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगर महापालिकाओं के आम चुनाव के पूर्व चुनाव प्रणाली में तथा नगर प्रमुखों की शक्तियों एवं कार्यकाल से सम्बन्धित प्राविधानों में आवश्यक संशोधन किया जाना वांछनीय समझा गया है, ताकि पांचों महापालिकाओं के चुनाव एक साथ नए विधान के अनुसार कराए जा सकें। इसके लिए एक विधेयक दिनांक 26 दिसम्बर, 1974 को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था जो सदन द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। आशा की जाती है कि समिति अपना प्रतिवेदन विधान सभा के वर्तमान सत्र में ही प्रस्तुत कर देगी।

उक्त विधेयक के पारित होने के उपरान्त शीघ्र ही महापालिकाओं के आम चुनाव कराने की कार्यवाही की जाएगी। कार्य संचालन में सलाह देने के लिए सलाहकार समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है।

नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत घन्टाघर बहुखंडी भवन योजना

*18—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत "घंटाघर बहुखंडीय भवन योजना" के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है? क्या यह सत्य है कि उक्त स्थान पर लोगों को दुकानें आबंटित करने के लिए महापालिका ने आवेदन-पत्र हाल ही में आमन्त्रित किए हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसका शिलान्यास 10 अप्रैल, 1976 को कर दिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

निर्माण प्रस्तावित दुकानों की नीलामी से प्राप्त अधिमूल्य (प्रीमियम) से किया जाएगा और इसके आबंटन हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 11 मार्च, 1976 को तीसरी बार आमन्त्रित किए गए थे।

*19—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

जिला उद्योग कमेटी, फर्रुखाबाद द्वारा योजना सम्बन्धी शासन को भेजे गये प्रस्ताव

*20—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग कमेटी जनपद फर्रुखाबाद ने कुछ योजनाएं डाइरेक्टर, इन्डस्ट्रीज को 1974 में भेजी थीं? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु उद्योग मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

जी नहीं।

श्री अनवार जमील—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज कमेटी की जो मीटिंग हुयी थी, तो उस सम्बन्ध में एक लेटर गया था। उसका नं0 4419, दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 है। उसमें चार इन्डस्ट्रीज लगाने का जिक्र था। डिहाइड्रेशन आफ पोटैटो, विजीटेबिल आयल, कार्ड बोर्ड, पोटैटो स्टार्च, इन चारों चीजों के लिए संस्तुति करके जिला उद्योग कमेटी ने डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को भेजा था सन् 1974 में। तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्या मन्त्री महोदया, डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के खिलाफ कार्यवाही करेंगी? 1974 में पत्र जा चुका है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई?

श्रीमती मोहसिना किदवई—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि वह जो सन् 1974 का तसकिरा कर रहे हैं। दिनांक 30 नवम्बर, 1974 को नान आफीशियल मेम्बर्स की नियुक्ति की गयी है। तो रेज्योल्यूशन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। माननीय सदस्य के कुछ सुझाव आए हैं ऐज ए मेम्बर आफ एसेम्बली। जिसमें जितने उद्योगों का आपने तसकिरा किया है वह सारे उद्योग उसमें आए हैं। कमेटी की तरफ से कोई बात नहीं आयी। तो जिस तरह से आपने सवाल किया, कमेटी की तरफ से कोई बात आयी, तो वह नहीं आयी। आपके सुझाव आए हैं, वह भेज दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि आपने जो सुझाव दिए हैं, उनको इक्जामिन किया जाय और जो आप उद्योग लगवाना चाहते हैं तो उनको लगाने वाले सामने आएं तो उनकी विभाग पूरी सहायता करेगा।

श्री अनवार जमील—

मान्यवर, लेटर नं0 4419, दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 डी0 आई0 ओ0 एस0 को गया है, मैं कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। बाकायदा कमेटी का प्रस्ताव गया है।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मैं तो आपसे स्वयं दरख्वास्त कर रही हूं कि आप उद्योग लगाने की बात कह रहे हैं और उस पर पूरी तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद में उद्योग धंधे लगें और ज्यादा से ज्यादा लगें। तो ऐसा प्रस्ताव कोई आया नहीं है। आप भिजवाइएं प्रस्ताव, उस पर पूरी कार्यवाही होगी।

श्री अनवार जमील—

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है....

श्री अध्यक्ष—

अब क्या सवाल है!?

श्री अनवार जमील—

सवाल यह है कि एक लेटर भेजा गया है, पर उसका पता ही नहीं है। सन् 1974 में भेजा गया है?

श्री अध्यक्ष—

किस तारीख को भेजा गया है?

श्री अनवार जमील—

दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 को।

श्री अध्यक्ष—

कमेटी से गया है?

श्री अनवार जमील—

जी हां। कमेटी की तरफ से लेटर गया है। इस चीज की जांच की जाय, मेरे पास लेटर नम्बर है। कोई कार्यवाही नहीं हुयी है?

श्री अध्यक्ष—

आप देख लीजिएगा।

श्री अनवार जमील—

दो साल हो गए हैं, कागजात गायब हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मान्यवर, माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं जांच करवा लूंगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जिस पत्र की बात कही जा रही है क्या मन्त्री महोदया अपनी तरफ से प्रयास करेंगी कि जांच करवायें, दो साल तक किसकी लापरवाही से उस पर कार्यवाही नहीं हुयी है?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं भी कह रहा हूं।

गांधी अस्पताल, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति तथा उनमें 3 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

*21—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी अस्पताल, लखनऊ में 100 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो पिछले सात सालों से काम करते आ रहे हैं, को सेवा से पृथक करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामायण राय—

जी नहीं।

*22—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 2 वर्षों से अधिक गांधी अस्पताल, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामायण राय—

तीन वर्ष से अधिक कार्यरत 87 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है तथा 37 कर्मचारियों के सेवा-विवरण को सत्यापित कराने के पश्चात् स्थायी किया जाएगा।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गांधी अस्पताल मेडिकल कालेज में 100 कर्मचारी जो तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष—

इसी का तो जवाब उन्होंने दिया है। प्रश्न करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

तीन साल से अधिक समय से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जो गांधी अस्पताल मेडिकल कालेज में काम कर रहे हैं उनको तीन साल से अधिक समय का हो जाने के बावजूद और गांधी बोर्ड और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव के बावजूद भी मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो मन्त्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री रामायण राय—

इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है। कुल 860 इस श्रेणी के कर्मचारी हैं। 752 परमानेन्ट हैं, 13 प्रोबेशन पर हैं और 42 को परमानेन्ट करना है। 3 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी दिनांक 1 अप्रैल, 1976 को 124 कुल थे जिनमें दिनांक 1 अप्रैल, 1976 को 87 को परमानेन्ट किया जा चुका है और 37 के मामले विचाराधीन हैं। उनका सर्विस रिकार्ड देखा जा रहा है। इसमें भी शायद कुछ मुस्तकिल हो गए होंगे।

लखनऊ के ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेन्टर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति

*23—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ में स्थित ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टरों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें वर्ष 1976 में समाप्त कर दी गई हैं? जिसमें से प्रायः अधिकांश कर्मचारियों को किसी न किसी स्थान पर सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया गया परन्तु धुलाई कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कहीं स्थान नहीं दिया गया? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों को बेरोजगार होना पड़ा? क्या सरकार इनको किसी स्थान पर सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री प्रभु नारायण—

वर्ष 1976 में अभी तक लखनऊ में स्थित किसी भी ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं। अतः उन्हें किसी दूसरे स्थान पर सेवा करने का अवसर दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

सेशन कोर्ट, बरेली में लम्बित मामले

*24—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले में कितने मामले सेशन के मार्च, 1976 तक विचाराधीन थे? उनके शीघ्र निर्णय की क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या निर्णय देने हेतु सरकार कोई नया प्रबन्ध कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

बरेली जिले में मार्च, 1976 के अन्त में सेशन के 1,190 मामले विचाराधीन थे। सेशन वादों के निस्तारण हेतु इस समय बरेली जिले में एक सत्र न्यायाधीश, पांच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा तीन सहायक सत्र न्यायाधीश कार्यरत हैं जो लम्बित मामलों

की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त हैं। लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों की आवश्यकता है किन्तु उनके सृजन में एक मुख्य बाधा यह रही है कि न्यायालय भवन में अतिरिक्त अदालतों के लिए स्थानाभाव है। चालू वित्तीय वर्ष में बरेली में कुछ नए न्यायालय कक्षों का निर्माण कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के नए न्यायालय स्थापित किए जा सकेंगे और मामलों का शीघ्र निस्तारण सम्भव हो सकेगा।

वस्त्र छपाई निगम लिमिटेड की स्थापना

*25—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या लघु उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथ कपड़ा छपाई उद्योग के समुचित विकास के लिए सरकार हाथ कपड़ा छपाई उद्योग विकास निगम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम लिमिटेड की स्थापना की जा चुकी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कब इसकी स्थापना हुई, कितनी इसकी पूंजी है और कहां इसका मुख्यालय है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

इसकी स्थापना दिनांक 5 दिसम्बर, 1972 को की गयी थी। अथौराइज्ड कैपिटल 2 करोड़ की है। इसका रजिस्टर्ड आफिस फर्रुखाबाद में है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिस कानपुर में है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि इसका मुख्यालय फर्रुखाबाद में स्थापित नहीं हुआ और इसने विधिवत् कार्य करना भी प्रारम्भ नहीं किया है। फर्रुखाबाद छपाई के मामले में, इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपना स्थान रखता है। जब वित्त मन्त्री जी, वर्तमान मुख्य मन्त्री जी, वहां गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि यह कार्य करना प्रारम्भ कर देगा लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

यह हैन्डलूम बोर्ड कारपोरेशन के तहत में बना है। उसके जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, वह उसको देख रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसकी छपाई की अहमियत को देखते हुए ही इसकी स्थापना की गयी है। काम तो शुरू कर दिया है। नया कारपोरेशन बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। जैसा कि आप कह रही हैं, अगर कानपुर में इसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, तो उसकी लोगों की जानकारी नहीं है। लेकिन फर्रुखाबाद में कब तक मुख्यालय स्थापित हो जायगा ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

इसका रजिस्टर्ड आफिस फर्रुखाबाद में रखा गया है। जो मैनेजिंग डाइरेक्टर है, कारपोरेशन में, वह इसका काम देख रहे हैं। इसमें कुछ नान-आफिशियल मेम्बर्स होंगे और कुछ आफिशियल मेम्बर्स होंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र —

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सन् 1974 में विकास निगम कायम हो गया और 1975 में वह रजिस्टर्ड हुआ। माननीय सदस्य ने यह कहा कि फर्रुखाबाद में कोई मुख्यालय या आफिस है ही नहीं। मौलिक रूप से कोई आफिस वहां पर खुला है, अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दे दिया गया है। जो निगम के डायरेक्टर हैं, वे ही इसको देख रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

डाइरेक्टर साहब का आफिस कानपुर में है और वह फर्रुखाबाद में नहीं है। पिछले दिनों जब माननीय वित्त मन्त्री, जो अब मुख्य मन्त्री हैं जब वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 19 फरवरी, 1975 को काम शुरू हो जायगा। अब माननीय मन्त्री जी कृपया निश्चित तिथि बताने की कृपा करें कि उसका आफिस वहां कब तक खुल जाएगा ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

जल्दी से जल्दी ही इसको शुरू कर दिया जायगा। निश्चित तारीख मैं नहीं बता सकती हूं। मैं यह आश्वासन देती हूं।

श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)—

एक वर्ष के ऊपर हो गया है और वहां पर आफिस नहीं खुला है। माननीय प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी अब इसको चालू हो जाना चाहिये। मन्त्री जी बताएं कि रजिस्ट्रेशन के एक साल के बाद भी वह अभी तक नहीं खला है ? वह अब कब तक खुल रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, वहां जगह ढूंढ़ ली जाय और शीघ्र ही आफिस खोला जाय। यह तो विभागीय अधिकारियों की ढिलाई है कि एक साल के ऊपर हो गया है और वह नहीं खुला। इसकी अहमियत को देखते हुए इसमें शीघ्रता करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग स्वयं सदन में 3, 4 या 5 मिनट देर से आते हैं। आप ठीक समय पर सदन में क्यों नहीं आते हैं ? जब मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया है, तो वह शीघ्र ही हो जाएगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसका इशू कैपिटल क्या है ? उन्होंने यह तो बताया कि अथराइज्ड कैपिटल 2 करोड़ रुपया है।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

जो मूल प्रश्न था, उसका तो उत्तर दे दिया है। अब इतने सप्लीमेन्ट्रीज के लिए तो और बहुत से प्रश्न विस्तार से निकलते जायेंगे।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन दे दें कि अब कितना समय और लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया कि शीघ्र ही हो जायेगा। आप स्वयं सोती नहीं रहेंगी और समय से ध्यान आकृष्ट कराने की अनुकम्पा करेंगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

रजिस्टर्ड आफिस फर्रुखाबाद में कहां पर है, उसका स्पेसिफिक पता, गली का नाम आदि बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

सदन इससे परिचित है, बहुत से इस तरह से रजिस्टर्ड हो जाते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अफसरों की सुविधा हेतु कानपुर से ही काम कराया जाय, फर्रुखाबाद में खोलने की क्या जरूरत है ?

(मन्त्री को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया)

श्री अध्यक्ष—

उद्योग कारपोरेशन पर आप बहस चलाना चाहते हैं तो अलग से उसके बारे में आपको प्रश्न करना चाहिए।

*26—श्री अब्दुल वहीद—

[25 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत उत्तरित]

डा० बी० बी० प्रकाश, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

*27—श्री निसार अहमद अन्सारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाण्डा (फैजाबाद) के वर्तमान ड्रग लाइसेंसिंग अथारिटी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी की कुछ शिकायतें शासन को वहां की जनता एवं विधायकों से इस वर्ष प्राप्त हुयी थीं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभुनारायण—

जी हां।

ये शिकायतें डा0 बी0 बी0 प्रकाश, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, टांडा के विरुद्ध हैं, जिनमें उक्त अधिकारी के विरुद्ध अकर्यमणता, अभद्र व्यवहार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ड्रग्ज लाइसेन्स देने में तथा उनका नवीनीकरण करने में अनियमितता बरतने तथा टांडा की कतिपय फर्मों के नवीनीकृत रिटेल ड्रग लाइसेन्सों को धोखा देकर वापस लेने और उन लाइसेन्सी को तथा उनसे सम्बन्धित कार्यालय के अभिलेखों को नष्ट करा दिए जाने आदि के बारे में आरोप लगाए गए हैं। उक्त सभी आरोपों के बारे में विभागीय जांच कराई गई है जिनमें से कुछ के बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो शासन के विचाराधीन है।

*28—श्री निसार अहमद अन्सारी (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सत्य है कि टाण्डा नगरपालिका ने अपने फरवरी, 1976 के प्रस्ताव संख्या 17 में उक्त अधिकारी को टाण्डा से स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराए जाने की मांग शासन से की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभुनारायण—

जी हां।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की विभागीय जांच कराई गई है, मामला विचाराधीन है।

देवरिया से लघु उद्योग चलाने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

*29—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या लघु उद्योग मन्त्री कृपया बताएंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1970 से फरवरी, 1976 तक सलेमपुर, देवरिया, पडरौना, बरहज, कसया नगरों में कितने व्यक्तियों ने लघु उद्योग चलाने के लिए आवेदन दिए और अनुमति प्राप्त की तथा उन्हें कितनी धनराशि दी गयी ? धन पाने वालों के नाम व पते क्या है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिक में कार्यरत केन्द्रीयित सेवाओं के कर्मचारियों का निलम्बन

*30—श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवाओं के कितने सदस्य निलम्बित हैं और उन्हें किस अधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया है और क्या यह निलम्बन नियमित था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा के कुल चार सदस्य इस समय निलम्बित हैं। इन्हें उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निलम्बित किया गया है। केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा निलम्बित किए जाने की वैधता को चुनौती देते हुए उक्त सदस्यों में से एक ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर रखी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अत : इस पर शासन द्वारा कोई मत व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति

*31—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित) तथा श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत कालीन प्रशिक्षण केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोला गया तथा उसमें कुल कितने कर्मचारियों को किन-किन पदों पर नियुक्त किया गया तथा क्यों ? उनमें लड़कियों को भी कालीन बुनने की शिक्षा देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के निम्नलिखित ग्रामों में कालीन बुनाई के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे :—

(1) राजपुरा,
(2) औराई,
(3) कटरा बाजार,
(4) मनीपुर,
(5) गोपीगंज,
(6) परगासपुर,
(7) रजाईपुर (सोहागी);
(8) धनतुलसी,
(9) रुहयापुर।

प्रत्येक केन्द्र पर 6 कर्मचारियों (एक जूनियर फील्ड आफिसर, एक मास्टर क्रैफ्ट्समैन, दो सहायक क्रैफ्ट्समैन, एक स्टोर कीपर-कम-एकाउन्ट्स क्लर्क तथा एक चौकीदार की नियुक्ति की गयी है क्योंकि केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण देने हेतु लड़कों तथा लड़कियों में कोई विभेद नहीं है।

टाउन एरिया, जैदपुर, बाराबंकी के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन सम्बन्धी आरोप-पत्र

*32—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया जैदपुर, जिला बाराबंकी के अध्यक्ष के विरुद्ध 3,500 रुपए गबन सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र जिलाधीश, बाराबंकी को दिनांक 9 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच के पश्चात् आरोप सही पाया गया है ? यदि हां, तो अब तक अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां।

अध्यक्ष को आरोप-पत्र दे दिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जिला बाराबंकी के ग्राम रामपुर कटरा तथा किन्तूर का विद्युतीकरण

*33---श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)---

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर कटरा विकास खण्ड दरियाबाद, जिला बाराबंकी व ग्राम किन्तूर, विकास खंड राम नगर, जिला बाराबंकी के लगभग 200 व्यक्तियों ने 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण हेतु विभाग में जमा किए किन्तु अभी तक उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया गया। यदि हां, तो क्यों और उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ---

लगभग 3 वर्ष पूर्व ग्राम रामपुर कटरा के विद्युतीकरण के लिए केवल 88 व्यक्तियों ने 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से विद्युतीकरण हेतु पैसा जमा किया था। परन्तु यह संख्या इतनी न थी जिससे निर्धारित (15 प्रतिशत) प्रतिलाभ परिषद् को प्राप्त होता। जनवरी-फरवरी, 1976 में इस गांव के 82 अन्य व्यक्तियों ने और पैसा जमा कर दिया है जिससे अब 15 प्रतिशत प्रतिलाभ प्राप्त हो सकेगा। अत: इस ग्राम का विद्युतीकरण आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होंने पर शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

ग्राम किन्तूर से 40 व्यक्तियों ने 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सितम्बर, 1973 को पैसा जमा किया था। इस संख्या के निर्धारित प्रतिलाभ प्राप्त हो गया था। इसलिए इस ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ कर दिया गया था। किन्तु धनाभाव एवं विद्युत की कमी के कारण कुछ समय के लिये कार्य बन्द कर देना पड़ा। अब विद्युत की स्थिति में सुधार होने से विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और आशा है कि ग्राम किन्तूर का विद्युतीकरण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

यमुना परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित छिब्रो विद्युत-गृह में लगायी गयी मशीनों की क्षति तथा त्रुटिपूर्ण ढंग से चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*34---श्री चितरंजन स्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित) तथा श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि यमुना परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित छिब्रो पावर हाउस की एक मशीन चलाने में लगभग दो माह के भीतर ही क्षति ग्रस्त हो गयी तथा दूसरी मशीन 2 मार्च, 1976 को क्षतिग्रस्त हो गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

छिब्रो विद्युत्-गृह पर 60-60 मेगावाट की तीन मशीनें दिनांक 22 मार्च, 1975 को एक साथ चालू की गई थीं। पहली मशीन दिनांक 31 मई, 1975 को ज्यादा कम्पन (Excessive vibrations) होने के कारण बन्द करनी पड़ी। चूंकि यह गडबड़ी गारन्टी काल में हुई थी अत: मशीन के निर्माता सर्वश्री बी0एच0 ई0 एल0 द्वारा बिना किसी लागत के त्रुटि दूर करने के बाद मशीन को दिनांक 20 जून, 1975 को पुन : चालू कर दिया गया।

दूसरी मशीन भी इसी प्रकार की समस्या के कारण दिनांक 27 फरवरी, 1976 को बन्द हो गई थी। इस पर भी मरम्मत का कार्य चल रहा है तथा इसके मई, 1976 में पुन। चालू हो जाने की आशा है।

*35--श्री चितरंजन स्वरूप (अनुपस्थित) तथा श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि यमुना परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित छिब्रो पावर हाउस में चार मशीनें प्रत्येक 63 एम0 डब्ल्यू0 की लगायी गयी हैं जब कि वहां पानी केवल 180 मेगावाट विद्युत् उत्पादन करने के लिए ही उपलब्ध है इस प्रकार केवल तीन मशीनें ही काफी थीं ? यदि हां, तो चौथी मशीन लगाने का क्या औचित्य था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जैसा ऊपर कहा गया है 60-60 मेगावाट की चार मशीनें लगाई गई हैं। यह विद्युत्-गृह मानसून काल के अतिरिक्त वर्ष भर "पीकिंग" विद्युत्-गृह की तरह तथा मानसून काल में जल प्रवाह काफी अधिक होने के कारण, "बैगलोड" विद्युत्-गृह की तरह परिचालन के आधार पर बनाया गया है। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति परियोजना की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार साधारणतया केवल तीन मशीनें ही वर्ष भर चलेंगी। एक अतिरिक्त मशीन अनुरक्षण एवं ओवरहालिंग काल में पूर्ण विद्युत् उत्पादन सुचारु रूप से उपलब्ध कराने हेतु स्टेन्ड बाई की तरह लगाई गई है। विद्युत् गृह तक जल प्रवाह के लिए बनाई गई विद्युत् सुरंग को भी तीन महीनों के परिचालन के आधार पर ही बनाया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जैसा उत्तर में बताया गया यह मशीनें दिनांक 22 मार्च, 1975 को चालू की गयी थीं और दिनांक 21 मई, 1975 को ज्यादा वायब्रेशन की वजह से बन्द हो गयीं। पुरानी मशीन होती तो एक्सेसिव वायब्रेशन वाली बात समझ में आ सकती थी, लेकिन नई मशीन में एक्सेसिव वायब्रेशन होना केवल गोलमाल का परिचालक है और टेक्निकल बात कह कर अपनी जिम्मेदारी से बरी होना है। माननीय मन्त्री बतलायेंगी कि किस फर्म से यह मशीन खरीदी गयी और किस-किस के कोटेशन आए थे ?

श्री अध्यक्ष---

नाम दिया है बी0 एच0 ई0 एल0।

श्री काशीनाथ मिश्र---

किन-किन कम्पनियों के कोटेशन मंगाए गए ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने उत्तर में बतलाया है कि यह मशीन बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा निर्मित है और यह पब्लिक अन्डरटेकिंग की मशीन है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

ये मशीनें दो ही महीने में कैसे खराब हो गयीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने डिटेल में बता दिया था। टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स के अनुसार उसमें 3 महीने के अन्दर ही कम्पन होना शुरू हो गया था। उसका सुधार हो रहा है क्योंकि वह गारन्टी पीरियड के अन्दर खराब हुई थी। कभी-कभी मशीन के अन्दर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं। यह एक नया औद्योगीकरण है। हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने कल-कारखाने चला रहे हैं। अगर हमारे यहां के किसी भी अन्डरटेकिंग की बनायी हुई मशीन में गड़बड़ी होती है, जिन्हें स्वयं हमारे इन्जीनियर्स भी ठीक करते हैं तो यह एक एक्सपेरीमेन्ट की बात भी है। उसमें कोई तकनीकी दिक्कत भी पैदा हो जाती है उसको सुधारा जा रहा है। छिब्रो में जो जेनेरेशन होता था, वह हो रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमारे कारखाने जो मशीनें बना रहे हैं उनको फारेन भी भेजा जा रहा है और हमारी ये मशीनें विदेशी कम्पटीशन में भी हैं। हम उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहते

हैं। सवाल यह है कि जब यह मशीन खरीदी गई थी तो आपके अधिकारियों ने क्यों ठीक से उसे नहीं देखा। जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्या उन्ह विद्युत् परिषद् की तरफ से कोई वार्निंग दी गई या कोई लेटर आफ प्रोटेस्ट दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यदि गारन्टी पीरियड के अन्दर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उसे वे खुद ठीक करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

प्रश्न संख्या 35 के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब वहां पानी केवल 180 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए ही उपलब्ध है तो उसके लिए केवल 3 मशीनें ही काफी थीं। चौथी मशीन स्टेन्ड बाई पर क्यों रखी गई। तो जो सुरंग बनी है ....

श्री अध्यक्ष—

तीन में से अगर कोई फेल हो जाय तो तब चौथी का इस्तेमाल उसके स्थान पर किया जाएगा। अगर दो से काम हो सकता था तो तीसरी स्टेन्ड बाई रहती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, जब यह योजना बनायी गई थी उस वक्त एक्सपर्ट्स की राय लेकर और भारत सरकार के सभी लोग बैठे थे और एक पैटर्न बनाया गया था कि एक स्टैन्ड बाई रहेगी। उसकी दो सौ की कैपेसिटी होती है लेकिन कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाय तो समय पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वह आइडिल नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष—

अंग्रेजी से दिक्कत होती है। स्टेन्ड बाई की जगह पर कोई दूसरा शब्द होता तो .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

स्टैन्ड बाई का मतलब मैं समझ रहा हूं। मैं तो यह जानना चाहता था कि जब तीन से ही काम हो सकता था तो चौथी क्यों खरीदी गई? इस तरह से विद्युत् परिषद् के द्वारा जो मशीनें खरीदी जाती हैं उसके लिए माननीय मन्त्री जी को कोई कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

—आप खरीदारी करने को तैयार हैं, कोई मशीन खराब नहीं हो, सब अच्छी हों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

खरीद-फरोख्त में बड़ा घपला होता है ऐसी मेरी जानकारी है। माननीय मंत्री जी को इस पर नियन्त्रण रखने की जरूरत है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

खरीदारी के लिए कमेटी होती है। एक्सपर्ट्स आदि स्पाट जाते हैं। एक-एक व्यक्ति जाकर नहीं खरीदता।

*36—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46 पर स्थानान्तरित।]

*37—श्री सीताराम निषाद—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*38-39—श्री दयाराम भास्कर—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

फिरोजाबाद की औद्योगिक इकाइयों को कोयला तथा कोक का आवंटन

*40--श्री राम लखन (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में स्थित कितने और कौन-कौन औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 1973-74 एवं 1975 में कितना-कितना कोयला आबंटित किया गया ? इन इकाइयों द्वारा प्राप्त कोयले के सदुपयोग की जांच की गयी ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई--

फिरोजाबाद में स्थित जिन-जिन औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 1973-74 तथा 1975 में जितना-जितना कोयला एवं कोक का आबंटन किया गया है उनकी सूचियां परिशिष्ट† 'क' तथा 'ख' पर क्रमश. संलग्न हैं।

समय-समय पर अधिकारीगण प्राप्त कोयले की सदुपयोगिता की जांच करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त नव वर्ष के लिए कोयले के आबंटन हेतु संस्तुति करते समय क्षेत्रीय अधिकारियों ने इकाइयों के द्वारा पूर्व वर्ष में प्राप्त कोयले के उपभोग की जांच की है तथा उसके परिणाम स्वरूप जिन इकाइयों का सदुपयोग उचित नहीं पाया गया उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया।

पैथालोजी एवं ब्लड बैंक के लैब टेकनीशियन को आवासीय भत्ते एवं निशुल्क आवासीय सुविधा

*41--श्री पूरन चन्द (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार 1958 से स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किए गए पैथालोजी एवं ब्लड बैंक के टेक्नीशियन्स को निःशुल्क आवास एवं आवासीय भत्ता (इससे पूर्व डाक्टरों एवं कम्पाउन्डरों को मिलने वाले निःशुल्क आवास या आवास भत्ता देने की भांति) देने पर विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री प्रभुनारायण--

लैब टेक्नीशियन को निःशुल्क आवास अथवा आवासीय भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

राज्य विद्युत् परिषद् के अवर अभियन्ता के पदों पर टेक्निकल कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति

*42--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री राजपाल (जिला मेरठ)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में पिछले 11 वर्षों से अधिक कार्यरत अवर अभियन्ता के पदों पर काम कर रहे सहायक सुपरवाइजरों का अतिक्रमण करके उनके अधीनस्थ टेक्निकल कर्मचारियों को बिना किसी परीक्षा के हाल में पदोन्नति देकर अवर अभियन्ता बना दिया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

जी नहीं। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मंजूर अहमद--

मैं माननीय मन्त्री जी आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं उठता। मैंने सवाल किया कि नान टेक्निकल जो हैं उनको प्रमोशन दे दिया वगैर किसी इन्टरव्यू के। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है ?

---

†छापी नहीं गयी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कभी-कभी सुपरवाइजर जो होते हैं, उनको जूनियर इन्जीनियर का काम करने की आवश्यकता होती है, तो आफिसियेटिंग तौर पर काम चलाने के लिए दिया जाता है, ताकि काम न रुके।

श्री मंजूर अहमद—

मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि आरजी तौर पर प्रमोशन दे दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे भी सुपरवाइजर हैं, करीब दो सौ आदमी हैं, जो जूनियर इन्जीनिर की ट्रेनिंग ले लिए हैं, उनको क्यों नहीं पोस्ट किया गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसे जो सुपरवाइजर होते हैं, उनकी विभागीय परीक्षा भी होती है, उनको मौका मिलता है। जो इनमें से 25 परसेंट प्रमोशन हो, परीक्षा में आगे आएं तो उनको मौका दिया जाता है।

देवां, बाराबंकी में अतिक्रमण हटाओ अभियान

*43—श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित) तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा देवां, जनपद बाराबंकी में मास दिसम्बर, 1975 में 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' के नाम पर लगभग 40 दुकानें, जो 40 वर्षों से चली आ रही थीं, हटा दी गयीं? क्या यह सही है कि श्री रामचन्द्र बक्श सिंह, सदस्य, विधान सभा ने हटाए हुए दुकानदारों को जगह दिलाने हेतु पत्र द्वारा जिलाधीश, बाराबंकी को मार्च, 1976 के प्रथम सप्ताह में कोई पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

कस्बा देवां, जनपद बाराबंकी में मास दिसम्बर, 1975 में कोई अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया गया परन्तु यह अभियान मास अक्तूबर, 1975 में चलाया गया था। 17 दुकानें हटाई गईं। इसमें से कोई भी दुकान दो वर्ष से अधिक के समय से उस स्थान पर स्थिति नहीं थी और न ही पुख्ता दुकान थी। उक्त दुकानें या तो लकड़ी की थीं या टट्टर की बनी हुई थीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी अतिक्रमण हटाओं अभियान दिनांक 1 जुलाई, 1975 से दिनांक 17 अक्तूबर, 1975 तक चलाया जिसके फलस्वरूप सड़कों के किनारें की सात दुकानें हटाई गई थीं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक प्रश्न है कि ये दुकानें 40 वर्ष पुरानी थीं, जिनको कि हटाया गया है और उत्तर में केवल दो साल पुरानी दुकानें बताया गया है। क्या माननीय मन्त्री जी किसी अन्य अधिकारी से, जिलाधिकारी के अलावा बाहर के किसी अधिकारी से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगी कि कितनी-कितनी पुरानी ये दुकानें थीं?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

यह दुकानें सिर्फ दो वर्ष पुरानी थीं जैसा कि बताया गया है। इनमें से कोई दुकान पुरानी नहीं है। इनक्वायरी के बाद ही यह माननीय सदस्य को बताया गया है कि सिर्फ दो साल पुरानी दुकानें थीं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

पत्र में भी मैंने निश्चित रूप से बताया है, जो पत्र मैंने एस0 डी0 ओ0, नवाबगंज को दिया था, उसके पास वह मौजूद है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे से कहा कि पत्र मिला है और उस पर विचार हो रहा है ! तो इस तरह से गलत जवाब जिलाधिकारी भिजवा रहे हैं। तो क्या वह मेरे इस पत्र के सन्दर्भ में इस बात की जांच करायेंगी ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह 10 साल पुरानी दुकानें थीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आपने प्रश्न किया था जिलाधिकारी को पत्र देने के बाबत और अब आप कह रहे हैं एस0 डी0 ओ0 के पास है। लेकिन फिर भी जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र दिया था, एस0 डी0 ओ0 के पास भेजा था, मैं उसे मान लेती हूं। जवाब डी0 एम0 के पास से आया है, उनके पास वह पत्र नहीं गया होगा।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

यह सही बात है कि इन दुकानदारों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, जब से हटाए गए हैं, इनको दुकान कहीं रखने नहीं दिया जा रहा है, ये 40 वर्ष पुराने दुकानदार हैं। एस0 डी0 ओ0 ने मेरा पत्र डी0 एम0 के पास भेज दिया है। डी0 एम0 देवा मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं और एस0 डी0 ओ0 सेक्रेटरी हैं, इसलिए उनके पास भेजा गया है। इन 40 लोगों के सामने रोजी-रोटी की भीषण समस्या है, इसे देखते हुए क्या मन्त्री जी जिलाधीश को आदेश देंगी कि यदि जगह उपलब्ध है तो उन्हें दुकान लगाने दिया जाए ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, देवां शरीफ आप भी गए होंगे और जानते होंगे कि कितनी तंग वहां की सड़क रहती है, वहां जाने के बाद यही विचार होता है कि इस सड़क को ठीक किया जाये, वह बहुत ही राष्ट्रीय महत्व की सड़क है, इसलिए वहां सड़क आदि अच्छी बन जाए। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सड़क तक दूकान आ जाने के कारण आने-जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो पी0 डब्ल्यू0 डी0 और इन लोगों ने इन दुकानों को हटाया है, तो अच्छा काम किया है। उसके बाद अगर जगह हो तो उन्हें दूसरी जगह बसाया जाए, इसे हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समाप्त हो गये, अब दिलचस्पी वाला ले लेते हैं।

विकास क्षेत्र, मिहीपुरवा, बहराइच के भवन का कथित निर्माण

*44—श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र मिहीपुरवा, जिला बहराइच का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ इसलिए प्रारम्भ करने से टाला जा रहा है कि उसके हेतु बनायी गयी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण—

प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन अभी निर्माण अवस्था में ही नहीं आया है। अत: उसके क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भवन न मिलने के कारण इस केन्द्र को अभी स्थापित नहीं किया जा सका है।

टाउन एरिया दोस्तपुर, सुल्तानपुर का चुनाव

*45—श्री जयराज गौतम (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के अन्तर्गत दोस्तपुर टाउन एरिया घोषित होने के बाद से वर्तमान समय तक तदर्थ समिति के रूप में काम कर रही है और उसका अभी तक चुनाव नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक चुनाव कराए जाने की सम्भावना है?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी हां।

यह टाउन एरिया 1971 के सामान्य निर्वाचनों के बाद बनी थी इसका कक्ष परिसीमन नहीं हुआ था इसलिए चुनाव नहीं कराया गया। अन्य समस्त स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के साथ इस टाउन एरिया का भी निर्वाचन कराया जायगा।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका परिसीमन अब पूरा हो गया है, यदि हां, तो क्या इसका चुनाव कराने की कृपा करेगी?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

इसका एलेक्शन उसी समय होगा जबकि बाकी के होंगे, जबकि इसका टाइम पूरा हो गया होगा। इसके डिलिमिटेशन का वर्क 1974 में पूरा हो गया है।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह—

कब तक इसका चुनाव करा देंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जब प्रदेश में और नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे, उसके साथ ही करायेंगे।

जिला अस्पताल, बहराइच में थालियों की खरीद

*46—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए हिन्डोलियम की अल्मोनियम थालियां मार्च, 1976 में नब्बे रुपया प्रति थाली की दर से लिया गया है जब कि बाजार भाव केवल 35 रुपया प्रति थाली था? यदि हां, तो कितनी थालियां किस दर से किस फर्म द्वारा कब-कब खरीदी गयीं?

श्री प्रभुनारायण—

यह थालियां नब्बे रुपए नहीं बल्कि रु0 37.50 पैसा प्रति थाली की दर से खरीदी गयी हैं। विभिन्न फर्मों से पहले कोटेशन मांगे गए थे। न्यूनतम भाव रु0 37.50 पैसे प्रति थाली लखनऊ की एक फर्म का था, जो माल लखनऊ में देते और 8 प्रतिशत सेल्स टैक्स भी लेते हैं। बहराइच में ही अस्पताल के ठेकेदार से सेल्स टैक्स सहित कुल रु0 37.50 पैसा प्रति थाली की दर से जनवरी, 1976 में 150 थालियां खरीदी गयीं।

*47—श्री जगदीश मिश्र—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 45 माननीय सदस्य, श्री अम्बिका प्रसाद सिंह द्वारा पूछा गया।

शुल्क की दरों में कमी करने सम्बंधी कानपुर नगरमहापालिका का पत्र

*48—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर ने पत्र संख्या 977–3–पी0ए0, दिनांक 15 जून, 1974 को टिम्बर व जलाऊ लकड़ी व्यवसाय पर नजूल परमिट फीस बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र भेजा है? यदि हां, तो उसके वर्णित तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगर महापालिका, कानपुर का पत्र संख्या 977–3 पी0ए0, दिनांक 15 जून, 1974 शासन को प्राप्त हुआ था जो नजूल परमिट फीस के सम्बन्ध में नहीं था, वरन् तह बाजारी की बढ़ी हुयी दरों में, जिसमें टिम्बर तथा जलाऊ लकड़ी के परमिट फीस भी सम्मिलित थी, कमी करने विषयक संशोधन का उल्लेख था। नगरमहापालिका द्वारा शुल्क की दरों में की गयी कमी को शासन द्वारा पुष्ट कर दिया गया है।

(भ्रमवश मूल प्रश्न 48 का उत्तर पढ़ा गया जो कि बाद में निरस्त किया गया)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 52/48 का जवाब निरस्त किया गया जो जवाब दिया गया है वह यहां पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा।

*49–50—श्री मानपाल सिंह—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*51—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जातियों आदि को विधिक सहायता दिए जाने की योजना

*52—श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

क्या न्याय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा हरिजनों एवं गरीबों को जो कानूनी सहायता मुफ्त देने का निर्णय किया गया है उसके क्या-क्या प्राविधान हैं और कसे तथा किस रूप में इन्हें सहायता दी जाएगी?

श्री रामायण राय—

राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बिमुक्त जातियों, अनुसूचित ऋणियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों को कतिपय मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने के लिए एक योजना उत्तर प्रदेश निर्धन (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों और अनुसूचित ऋणी) व्यक्तियों को विधिक सहायता योजना, 1975 के नाम से बनाई है और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश शासन के पत्र संख्या 1352/सात-अ0न्या0–638–72, दिनांक 28 जून, 1975 द्वारा जारी कर दिए गये हैं। राज्य स्तर पर एक राज्य विधिक सहायता सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष, न्याय मन्त्री तथा उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता होंगे और जिनके अतिरिक्त राज्य बार कौन्सिल द्वारा नामित एक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित 7 से अनधिक अधिवक्तागण तथा शासन के विधि परामर्शी अन्य सदस्य होंगे। विधि परामर्शी इसके संयोजक भी होंगे।

जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक जिला विधिक सहायता समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला जज या उनके द्वारा नामित कोई अपर जिला जज होंगे तथा जिले के मुख्य न्यायिक अधिकारी और बार संघों के सभापति उसके सदस्य होंगे।

नि:शुल्क कानूनी सहायता मुख्यतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों, अनुसूचित ऋणियों को उन मामलों में दी जायगी जो ऐसे ऋणी के सम्बन्ध में हो जिनकी वसूली उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक अनुतोष अधिनियम, 1975 के अधीन वादित है, या जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अथिस्थगन) अधिनियम, 1975 के अधीन आते हों, या जो मामले बंधक मजदूरी, दहेज या अस्पृश्यता के सम्बन्ध में उत्पन्न हों या उस भूमि पर कब्जा अपना पाने के लिए इन लोगों को न्यायालय में दायर करने पड़े जो उन्हें आवंटित की गई हो। ऐसे ही कतिपय श्रेणी के दीवानी के मामलों में भी यह सहायता अनुमन्य होगी। राज्य स्तर की समिति कुछ ऐसे मामलों में भी विशेष रूप से कानूनी सहायता देने की स्वीकृति दे सकती है जिनमें प्रार्थी अंधा, गूंगा, बहरा, अपंग अथवा कृष्ठ, तपेदिक या कैन्सर आदि भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो और उसके पास वकील करने के साधन न हों। इस योजना को अधिक व्यापक बनाने के लिए इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है।

यह सहायता ऐसे लोगों को अनुमन्य नहीं होगी जो आय कर, बिक्री कर देते हों, या वृत्ति, व्यापार अथवा आजीविका पर टैक्स देते हों, या जिन पर विवादित भूमि के अतिरिक्त एक एकड़ से अधिक भूमि हो या 120 रुपया वार्षिक से अधिक किराये की आमदनी वाली शहरी सम्पत्ति हो जब तक कि वह सम्पत्ति ही विवादित न हो या जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक वेतन और भत्ते 300 रुपए से अधिक हो।

ग्रामीण क्षेत्र के प्रार्थी को प्रधान या सरपंच का तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को नगरपालिका/महापालिका के सम्बन्धित सभासद या सदस्य का अथवा उसके प्रशासक का प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें प्रार्थी की सम्पत्ति और मासिक आय का उल्लेख हो। ऐसा प्रमाण-पत्र संसद सदस्य, विधान मन्डल सदस्य, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के सदस्य, सरकार के राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समितियों के अध्यक्ष या सचिव भी दे सकते हैं।

न्यायालयों में मामले जाने के पूर्व विधिक राय देने के लिए जिला समितियां अपने पास एक ऐसी सूची रखेंगी जिनमें उन वकीलों, विधि अध्यापकों और वरिष्ठ विधि छात्रों के नाम होंगे जो स्वेच्छा से इस कार्य के लिए सहमत हों। न्यायालयों में पैरवी करने के लिए सरकार द्वारा नामिका वकील नियुक्त किए जायेंगे जिनकी फीस सरकार देगी और जो इन लोगों के मामलों की पैरवी करेंगे। ऐसी ही व्यवस्था उच्च न्यायालय के लिए भी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब आप जो उत्तर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री हुबराज—

मान्यवर, मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं हो सकता। जो सोया वह खोया।

श्री हुब राज—

मान्यवर, यह बहुत ही अहम प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे सहमत हूं।

अतारांकित प्रश्न

सादाबाद टाउन एरिया, मथुरा की आडिट रिपोर्ट

1—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद मथुरा की सादाबाद टाउन एरिया की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1973-74 जो कि जनवरी, फरवरी, 1975 में घोषित की गई है उसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मथुरा के जिलाधिकारी तथा टाउन एरिया कमेटी, सादाबाद के अध्यक्ष से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त समिति की 1973-74 की आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है अत : इस पर अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा के सहपऊ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन की मांग

2—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा के विकास खंड सहपऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा और अब तक प्रारम्भ न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रभु नारायण—

धनाभाव के कारण यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी।

मलेरिया विभाग के सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर्स का स्थानान्तरण

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के मलेरिया विभाग में कितने ऐसे सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर्स हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से अपने ही जनपद में नियुक्त हैं, उनके स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

36 सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर्स।

अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण शासन की नीति के अनुसार इन्हें अपने ही जनपद में नियुक्त किया जाता है। केवल शिकायत या प्रशासनिक कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप ही इनका स्थानान्तरण अनिवार्य हो जाता है।

विदेशों से आने वाले भारतीयों को उद्योग में लगाने की सुविधा

4—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन की नई योजनायें (विदेशों से आने वाले भारतीयों को उद्योग लगाने की सुविधा) जनवरी, 1976 से 10 फरवरी, 1976 तक बनाई हैं ? यदि हां, तो क्या बहराइच, गोन्डा जैसे पिछड़े जनपदों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

जी हां। विदेशों से आने वाले भारतीयों को एक करोड़ रुपए तक पूंजीगत परिव्यय वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदेश में लगाने हेतु अतिरिक्त सुविधायें एवं प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना अभी शासन के विचाराधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विभिन्न प्रान्तों के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदेशीय छात्रों के प्रवेश हेतु कोष तथा उनके नामजद करने की संस्तुति

5—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि विभिन्न प्रान्तों के चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का भी कोष है? अगर हां, तो कितना और सरकार किन आधारों पर उक्त महाविद्यालयों में छात्रों को नामजद करने की सिफारिश करती है?

श्री प्रभुनारायण—

जी नहीं।

इलाहाबाद के लक्षागिर ग्राम में थर्मल पावर हाउस की स्थापना सम्बन्धी योजना

6—श्री अठई राम—

क्या विद्युत मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील के लक्षागिर ग्राम में जो थर्मल पावर हाउस बनाने की योजना थी, वह कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

7—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[चौथे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच तहसील के अन्तर्गत स्थापित लघु उद्योग इकाइयां

8—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची, दिनांक 17 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जनपद की बहराइच तहसील में से 21 नई लघु उद्योग इकाइयां कहां-कहां, किन-किन व्यक्तियों के नाम से स्थापित हुई और कौन-कौन चालू हैं तथा जो बन्द हो गईं उसका क्या कारण है?

भारी उद्योग राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 111–112 पर।)

पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की सुविधाएं

9—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या सविधायें दी जाती हैं?

श्री अजीजुर्रहमान—

वांछित *सूचना संलग्न पुस्तिका "पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सुविधायें" में प्रस्तुत है।

10—श्री राम अधार—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

लखनऊ हैबलक रोड कालोनी के मकानों का आबंटन

11—श्री अनवर जमील—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा बने हैबलक रोड कालोनी में कुल कितने मकान हैं और उनका आबंटन किन-किन व्यक्तियों के नाम है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा हैबलक रोड कालोनी में कुल चार भवन निर्मित हैं। उनका आवंटन निम्न व्यक्तियों के नाम है :

भवन संख्या	आबंटी का नाम
1	श्रीमती मोहनी जोशी, पत्नी श्री डी० एन० जोशी
2	श्री जे० के० जोशी
3	श्री एस० सी० काला
4	श्री वसीर हुसैन

बाराबंकी, सोमैया आर्गेनिक्स के गन्दे पानी से उत्पन्न गन्दगी तथा उसका निराकरण

12—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी नगर के मध्य से जमुरिया नाला निकलता है जिसमें सोमैया आर्गेनिक्स का गन्दा पानी गिरने के कारण काफी गन्दगी व मच्छर उत्पन्न हो गए है और जन-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके रोकने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

सोमैया आर्गेनिक्स के गन्दे पानी के जमुरिया नाला में गिरने के कारण गन्दगी व मच्छर उत्पन्न होने और जन-स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की पुष्टि नहीं हुई है।

13-14—श्री हरिकेवल—

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

महिला अस्पताल, फतेहगढ़ को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव

15—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला अस्पताल, फतेहगढ़ को अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार को गत वर्ष प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक इसके स्वीकार किए जाने की आशा है ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग—

प्रश्न नहीं उठता।

---

*छापी नहीं गयी।

फर्रुखाबाद के सिविल अस्पताल तथा महिला अस्पताल को एक अधीक्षक के अधीन करने की कथित योजना

16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद तथा महिला अस्पताल, फर्रुखाबाद को एक अधीक्षक के प्रशासन में लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

श्री प्रभुनारायण—

फिलहाल ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बडेल, बाराबंकी की पेयजल योजना

17—श्री रामचद्र बक्श सिंह—

क्या शासन बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बडेल, ब्लाक बंकी, जनपद बाराबंकी में पेय जल योजना का शिलान्यास 31 जनवरी, 1973 को तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा हुआ था परन्तु तब से आज तक उस योजना के आगे बनाने में कोई कार्य नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और योजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

पेयजल योजना के कार्यान्वयन हेतु नियमानुसार जिला परिषद् के प्रस्ताव पर 25 प्रतिशत ऋण तथा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जिला परिषद्, बाराबंकी ने पेयजल योजना के संचालन एवं रख-रखाव के उत्तरदायित्व को वहन करने में असमर्थता व्यक्त की थी। अतः योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृत नहीं दी गयी।

राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर की पेयजल योजनाएं

18—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज क्षेत्र में जल पूर्ति के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें इस समय चल रही हैं ? और अब तक उन पर कितना धन व्यय किया गया तथा उसकी प्रगति क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत क्षेत्र में कुल 9 पेयजल योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनकी स्थिति संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 113 पर।)

पांचों नगर महापालिकाओं के हरिजन गजेटेड अधिकारी के रिक्त पद

19—श्री जयराज गौतम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पांचों नगर महापालिकाओं में कुल कितने गजेटेड अधिकारी हैं तथा उनमें से कुल कितने हरिजन हैं और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त महापालिकाओं में इन गजेटेड अधिकारियों के कितने स्थान इस समय रिक्त हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की पांचों नगर महापालिकाओं में कुल 29 गजेटेड अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें 2 अधिकारी हरिजन हैं। इस समय किसी भी नगर महापालिका में गजेटड अधिकारी का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

इलाहाबाद में न्याय मार्ग के चौराहे पर डाक्टर भीम राव अम्बेदकर की प्रतिमा की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव

20--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् 1972-73 में नगरमहापालिका, इलाहाबाद द्वारा कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि इलाहाबाद में न्याय मार्ग के चौराहा पर स्व0 डाक्टर भीमराव अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाए? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है और उक्त प्रतिमा की स्थापना कब तक हो जाएगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी–

जी हां। इलाहाबाद नगर महापालिका ने 22 मार्च, 1972 को प्रतिमा स्थापित करने हेतु संकल्प पारित किया था।

प्रतिमा हेतु संगमरमर का ब्लाक प्राप्त हो गया है तथा प्रतिमा तैयार कराई जा रही है। प्रतिमा तैयार होते ही शीघ्र स्थापित कराई जाएगी।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1971-72 पर आधारित विधान सभा की लोक लेखा समिति (1974-75) का प्रतिवेदन*

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 1971-72 पर आधारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1974-75) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, जंग बहादुर सिंह पटेल तथा सुन्दर लाल कुरील, सदस्यगण, विधान सभा ने सूचना दी है कि दिनांक 1 मई, 1975 को विधान सभा में बोलते हुए, श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा ने कहा कि "मैं कई सदस्यों को जानता हूं जो दवाइयां लेकर बेचते हैं"। उक्त माननीय सदस्यों का कहना है कि माननीय श्री काशीनाथ मिश्र के इस कथन से माननीय सदन के सभी सदस्यों का अपमान हुआ है। उक्त सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि यदि श्री काशीनाथ मिश्र उन माननीय सदस्यों का नाम बता देते तो यह मामला उन सदस्यों तक ही सीमित रहता परन्तु श्री मिश्र के कहने का तात्पर्य सदन के समस्त सदस्यों से है। इस कथन से जनता में विधायकों के प्रति धन लोलुप होने और अधिकारों व सुविधाओं के उपयोग करने की भ्रान्ति फैल रही है और श्रद्धा खत्म हो रही है। अतः उक्त सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का कहना है कि काशीनाथ मिश्र ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

मैंने दिनांक 1 मई, 1976 की कार्यवाही देखी। माननीय सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र ने जो शब्द कहे हैं और जिन पर आपत्ति की गई है, इस प्रकार हैं :—

"मैं कई माननीय सदस्यों को जानता हूं जो दवाइयां लेकर बेचते हैं। इस समय विरोध पक्ष के माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं अन्यथा मैं नाम भी बता देता। वे एक समिति के सभापति भी हैं। एक-एक माननीय सदस्य ने हजारों रुपए की दवाई ली हैं।"

*छापा नहीं गया। R.A. 13

3037

इस पर माननीय सदस्य, श्री भगवती प्रसाद ने आपत्ति की और यह कहा या तो माननीय मिश्र अपना कथन वापस लें या सदस्यों का नाम बता दें। उस समय माननीय सदस्य श्री काशीनाथ मिश्र ने यह कहा कि "हमारी कोई मंशा नहीं थी। दूसरों से बेचवाते होंगे ..." उस समय अध्यक्ष पीठ पर आसीन माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहा—"अगर सही हो तो उसका सुधार होना चाहिए यह उनकी मंशा है। यह उनकी अपनी जानकारी है। उनकी मंशा पवित्र है, न्याय संगत है कि अगर खामियां हैं तो सुधार होना चाहिए।"

उपर्युक्त सभी बातें माननीय सदन के समक्ष हुईं और उस समय किसी सदस्य ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना नहीं दी। प्रस्तुत सूचना दिनांक 4 मई, 1976 को दी गई है। इस प्रकार यह प्रश्न जो सदन के समक्ष कार्यवाही के सम्बन्ध में है, विलम्ब से उठाया गया है। दूसरे यह नियमानुसार सम्बोधित भी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, हाउस आफ कामन्स के तथा लोक सभा के निर्णयों को, जिनका उल्लेख कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 246–247 में उद्धरित है, देखते हुए, यह प्राग्दर्शन में भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। उक्त पुस्तक के पृष्ठ 246–247 पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमको कोई सूचना मिली भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि इसको रोक दिया जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं, श्रीमन्, आपके निर्णय से मैं सहमत हूं और आपके प्रति अपना आभार भी प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

"किसी संसद सदस्य के सम्बन्ध में अपमान लेख तभी विशेषाधिकार भंग माना जा सकता है, जबकि उसमें सदस्य होने के नाते उसके आचरण या चरित्र पर आक्षेप किया गया हो और वह उन विषयों पर आधारित होना चाहिये जो सभा के कार्य के संचालन में उठते हैं।

* * * *

इसी प्रकार जिन भाषणों या लेखों में सदस्यों के विरुद्ध अस्पष्ट आरोप लगाए गए हों, या संसद में उनके आचरण पर कठोर भाषा में आलोचना की गयी हो, विशेषकर किसी सार्वजनिक वाद-विवाद के दौरान। लेकिन उनमें सदस्यों पर कदाशय का आरोप न लगाया गया हो, उन्हें सभा अवमान या विशेषाधिकार भंग नहीं समझती, क्योंकि उनका प्रभाव सारी सभा पर नहीं पड़ता।

उसी आधार पर सभा के एक भाग या सभा के किसी दल विशेष के लिए मानहानिकारक शब्दों के प्रयोग को सभा का अवमान नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका प्रभाव सारी सभा पर नहीं पड़ता।"

तो यह जो कारण हैं.....

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मेरा नाम आया है .....

श्री अध्यक्ष—

वह तो वर्णन है। आपका नाम किसी आरोप से सम्बन्धित नहीं है कि सफाई की जरूरत हो। वह तो वर्णन से सम्बन्धित है और फिर यह भी है कि विधान सभा में तो सत्य का उद्घाटन होना चाहिए। और इसलिए भी मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मुझसे यह याचना की गयी थी शासन द्वारा कि मैं एक परिपत्र लिख कर के दवाइयों के बारे में माननीय सदस्यों को कुछ मनाही करूं। मैंने उस काम को लेना उचित नहीं समझा और यह कहा कि शासन के स्वास्थ्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री का यह काम होना चाहिये या जो विभिन्न दलों के नेता है, उनको चाहिये कि वह परिपत्र द्वारा माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करें। तो मेरे नोटिस में भी बात आयी है....

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

एक सूचना देना चाहता हूं। इसी प्रश्न को लेकर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने एक कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। उसी दिन सदन में।

श्री अध्यक्ष—

उक्त निर्णयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रश्न को देखने से यह स्पष्ट है कि माननीय श्री काशीनाथ मिश्र ने इस सदन के सभी सदस्यों के बारे में कोई बात नहीं कही बल्कि कुछ सदस्यों के बारे में कही। उन्होंने कदाशयता का आरोप भी नहीं लगाया है, बल्कि जैसा कि श्री काशीनाथ मिश्र ने स्वयं स्वीकार किया और माननीय उपाध्यक्ष ने अभ्युक्ति की, उनकी मंशा आरोप लगाने की नहीं है।

इन सब तथ्यों के प्रकाश में और सत्य के आग्रह के परिणाम स्वरूप मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का जो अन्तर्गत प्रश्न उठाया गया है, वह ठीक नहीं है। यह बनता नहीं है। उसकी मैं इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए, यू0 पी0 नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइव्ज एवं हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (ii) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उ0प्र0 नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए, यू0पी0 नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (ii) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35—नगर विकास, अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन, अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन, अनुदान संख्या 37-श्रम एवं सेवायोजन, अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या 94- ऋण और अग्रिम—विद्युत्

*विद्युत् मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,65,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,70,69,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,51,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,37,64,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम—सहायता एव पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,41,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,53,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,00,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,97,84,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, जिन विभागों के अनुदान मैंने आज सदन में प्रस्तुत किए ह उनके विषय में संक्षेप में मैं कुछ निवेदन करूंगी। विद्युत् विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मैं यह क ना चाहती हूं कि इस वर्ष विद्युत् का बजट वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए एक आशा के प्रकाश का बजट है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि विद्युत् के विकास के लिए विद्युत् विभाग पूरी तरह से प्रयत्नशील है। हमारे प्रयास से आगे आने वाले महीनों में विद्युत् का जो उत्पादन बढ़ेगा उससे विद्युत् के उपभोक्ताओं की, चाहे कृषक हों या अन्य लोग हों, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। पिछले दो वर्षों में हम किन कठिनाइयों से गुजरे ह यह माननीय सदस्यों को ज्ञात है। एक तरह से रोस्टरिंग करके कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे बिजली दे पाते थे। कहीं दिन में देते थे तो कहीं रात को। जो कन्टीनुअस प्रोसेस के उद्योग थे उनकी बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी थी इस वर्ष हमारी स्थिति काफी सुधरी ह। अब हम इस स्थिति में ह कि कृषकों को 24 घंटे बिजली दे सकेंगे, उद्योगों के लिए भी पर्याप्त बिजली दे सकेंगे। केवल 5 से 9 बजे तक कुछ उद्योगों को छोड़कर बाकी सब को अब बिजली दी जा सकेगी। 24 घंटे विद्युत् उपलब्ध होने से निश्चित रूप से जहां एक ओर उत्पादन की वृद्धि में मदद मिलेगी, केवल कृषि में ही नहीं, दूसरे अन्य उद्योगों में भी, उससे हमारे यहां की जो बेकारी की समस्या है, उसमें भी मदद मिलेगी।

बिजली सब प्रकार से उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए एक आवश्यक विषय बनती जा रही है। पिछले वर्ष करीब-करीब 8 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। जहां पर हमार ट्रान्सफारमर्स चोरी चले गए, जहां पर कि हमार ट्रान्सफारमर्स चलेगा और बहुत से हमारे सब स्टेशन थे जो ठीक तरह से चालू नहीं थे, तो पहले कोशिश यह की गयी कि उन सब को रिप्लेस किया जाय, ठीक किया जाय और जितने हमारे सब-स्टेशन हैं उनकी क्षमता बढ़ायी जाय। जहां ट्रांसमिशन का काम ज्यादा हो सकता है, वहां ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाया गया है। इसकी वजह से भी वृद्धि हुई और वह वृद्धि भी काफी अच्छी हुई। 1974-75 में रबी के वक्त में लगभग 23 मिलियन यूनिट इस प्रदेश में बिजली का उत्पादन हुआ, वहीं 1975–76 में लगभग 31 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। अधिकतम

उत्पादन 33.8 मिलियन यूनिट हुआ जो उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन में यह एक कीर्तिमान—यानी रेकार्ड उत्पादन है। और वह इसलिए सम्भव हो सका कि बिजली विभाग के छोटे और बड़े कर्मचारियों ने और जो फील्ड में काम करते हैं उन सबने मिल कर, इसके लिये प्रयास किया जिससे सब स्टेशन्स चालू रहे, हमारी लाइनें चालू रहीं। जो जेनरेशन होता है, उसको भी पूरे मैक्सिमम पर लाकर चलाया जा सका। पिछले वर्ष 1975-76 में बिजली की जो क्षमता है उत्पादन की उसमें भी वृद्धि हुई है। छिबरो में 240 मेगावट, ओबरा में 100 मेगावाट, रामगंगा में 66 मेगावाट और हरदुआगंज में 30 मैगावाट; इस तरह से 436 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम 1975 में कर सके हैं। माननीय सदस्यों को यह बतलाते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता होती है कि कल ही भारत सरकार का एक टेलेक्स मेसेज आया जिसके द्वारा हमें यह सूचना मिली कि हरदुआगंज का थर्मल स्टेशन भारत का सबसे अच्छा थर्मल स्टेशन घोषित किया गया है। 200 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाले स्टेशन के लिए एक एवार्ड होता है। उनमें जो जांच की गयी और उसका परीक्षण हुआ तो हमारा यह हरदुआगंज का स्टेशन देश में सबसे अच्छा माना गया है। इसके लिये मैं अपने बिजली विभाग के उन समस्त इन्जीनियरों और अधिकारियों को तथा कर्मचारियों को जिन्होंने हरदुआगंज पावर स्टशन को इस प्रकार से चालू रखा, जिससे मैक्सिमम यहां पर पावर का जेनरेशन हो सका, उनको बधाई देता हूं। यह कार्य उन्होंने किस प्रकार से अनुशासित ढंग से किया, जिसका यह परिणाम निकला।

इस वर्ष 1976-77 में भी हमारी यह कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए हम पावर जेनरेशन के काम को और ज्यादा बढ़ा सकें। और इसीलिये 3-4 जो हमारी योजनायें हैं जिससे हमारी आशा है कि करीब-करीब 662 मैगावाट बिजली इस वर्ष, हम फाइनेन्शियल इयर में उत्तर प्रदेश में अपनी ग्रिड्स को दे सकेंगे। इसमें पनकी पावर स्टेशन के 220 मेगावाट, हरदुआगंज से 110 मेगावाट, राम गंगा से 132 मेगावाट तथा ओबरा से 200 मेगावाट इस तरह से कुल 662 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के निर्माण से हमें आसानी होगी और हम अपने किसानों तथा उद्योगों को अधिक बिजली दे सकेंगे। हम पिछले 2 वर्षों से कटौती करते रहे हैं जिससे उसका असर उद्योगों पर और मजदूरों पर पड़ा है। हमारे कारखाने बहुत जगह पर बन्द भी हुए हैं। तो अब तक इन चीजों पर जो असर पड़ा है, वह कमी अब पूरी हो सकेगी।

आज हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो काम हो रहा है इसमें हमारे देश में पहली बार एक बड़ी योजना चलायी गयी है। उसमें 200 मेगावाट की पहली थर्मल इकाई ओबरा में चालू हो जाएगी और ट्रांसमिशन के लिए पावरफुल लाइन की योजना पहली बार उत्तर प्रदेश में ओबरा-सुल्तानपुर-लखनऊ के बीच में 400 के0 वी0 की जो लाइन है, उसको लागाया जायगा। और आशा है कि यह कार्य इस वर्ष तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि 200 मेगावाट बिजली जो पैदा की जाएगी तो उसके लिए 400 के0 वी0 की ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है। दूसरी बात हमने जनरेशन की तरफ तो ध्यान दिया ही है, इस वर्ष हमने इस बात की कोशिश की है कि कन्ज्यूमर्स को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दे सकें। उस पर हम विचार करें और इसीलिए बिजली विभाग की तरफ से कन्ज्यूमर्स ईयर, उपभोक्ता वर्ष के रूप में इस साल को मना रहे हैं। यह कोशिश कर रहे हैं कि

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए क्या-क्या आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं और उन प्रस्तावों को रखा गया है और उनकी मारफत काम होगा जिससे जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अधिक से अधिक सहूलियतें मिलेंगी। हमारी जो जेनरेशन की योजना है और उसमें जो विस्तार होने जा रहा है उस सम्बन्ध में हम भारत सरकार के और प्लानिंग विभाग के विशेष रूप से ऋणी हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी के विशेष रूप से ऋणी हैं कि हमारी सरकार को, हमारी बिजली की जो योजना है उसके लिए कुछ अधिक धन हमें उपलब्ध कराया गया है। इस योजना काल में कुल प्राविधान जो प्लान में है वह करीब 230.10 करोड़ रुपए का है। इसमें से विद्युत् उत्पादन पर खर्च होगा 125.54 करोड़ रुपया और ट्रांसमिशन पर और वितरण पर खर्च होगा 91 करोड़ रुपए, ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्च होगा करीब-करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपया और अन्य प्रकार से 81 लाख रुपये खर्च होंगे। तो टोटल इस वर्ष, प्लान पीरियड में 230,10 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। तो जो हमारा प्लान है उसमें से करीब आधा हम विद्युत् उत्पादन पर खर्च कर रहे हैं।

इन दिनों हमारी जो एक मांग चली आ रही थी उस योजना के अन्तर्गत टिहरी डैम, जिसके द्वारा 1 8 सौ मेगावाट बिजली तैयार कर सकते हैं, हाइडिल द्वारा, उसे इस बार प्लानिंग कमीशन ने मंजूर किया है। लकवार 82 की 480 मेगावट की नई योजना भी मंजूर की गयी ह। ये दोनों छठे प्लान में पूरी होंगी लेकिन काम इसी वर्ष में आरम्भ हो जाएगा। यह दोनों योजनाएं जब पूरी हो जाएंगी तो उसके दो असर होंगे—एक तो यह कि आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलेगी और दूसरे यह कि हमारी कास्ट भी कम होगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये थर्मल पावर स्टेशन से काम लिया जाता रहा है, इसलिए हमारी कास्ट दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा आती है क्योंकि वहां पर हाइडिल की बिजली है। जब हमारे यहां हाइडिल की यह योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तो सूबे की स्थिति दस साल बाद दूसरी ही होगी।

कोटा और नरौरा में भी हमारी योजना प्रस्तावित है और यह दो भी आशा की किरण हैं। हम उत्तर प्रदेश को विद्युतीकरण की दिशा में काफी मदद पहुंचा सकेंगे। हम कैसे धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचलों को प्रकाशित करते जायं, तो विद्युत विभाग ने निर्णय किया है और माननीय सदस्य भी सहमत हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण से यह न समझा जाय कि गांव के बीच से लाइन गुजर जाय और किसी नलकूप पर कोई बल्ब जलता दिखाई दे जाय बल्कि उससे मतलब यह है कि जो वहां उपभोक्ता हैं उनके घरों में भी बल्ब जले। हमारा इरादा यह है कि हमारी एल0 टी0 लाइन से जहां पर हरिजन बस्ती है वहां तक लाइन खींचकर उनके घरों में बिजली की फिटिंग करने की भी व्यवस्था करायें। उसमें जो खर्च होगा उसको 12 इन्स्टालमेन्ट्स में विद्युत विभाग ले लेगा। हरिजन या एक एकड़ से कम जमीन वाले जो व्यक्ति हैं या जो कम आमदनी वाले व्यक्ति हैं उनको बहुत ज्यादा इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आसानी से यह सर्विस मिल जाएगी। गांव के अन्य लोग जो बिजली लेना चाहते हैं उनको भी सहूलियत होगी। वह स्वयं वायरिंग कराकर आसानी से बिजली ले सकेंगे। इस तरह से एक एक गांव के अन्दर हम बिजली पहुंचाने लगेंगे और तभी सचमुच में हमारे अंधेरे गांव उजेले के गांव हो सकेंगे।

इस वर्ष से हमने यह शुरू किया है। हम 5-5 जिले इस प्रकार से चुन चले जायं और उनमें पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाय। इसी के साथ ही वे जिले जहां पर 60 प्रतिशत तक विद्युतीकरण हो चुका है और कुछ हिस्सा बच गया है या फिर ऐसे गांव जिनके करीब से बिजली की लाइन गई है और थोड़े से ही खर्च में उस गांव में बिजली फैलाई जा सकती है उसको भी हम लेंगे। यह नया कदम बिजली विभाग उठाने जा रहा है जो सही बातों में उजाला करने का काम होगा। इससे गांव के अन्दर जो हमारे एजूकेटेड यंगमेन हैं या ऐसे मैकेनिक्स या आर्टिजेन्स हैं जो हाथ से काम कर रहे हैं या छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों का काम करते

हैं। उनको भी काम करने में सहूलियत मिलेगी। यह उनके अतिरिक्त साधन के रूप में सहायक होगा। विकास के काम में भी इससे मदद मिलेगी। इस वर्ष हमारी योजना है कि नलकूप और पम्पिंग सेट्स करीब 40 हजार हम इनरजाइज करेंगे। गांवों का विद्युतीकरण 4000 और हरिजन बस्तियों का 3000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ हमने यह भी कोशिश की है कि इस वर्ष कन्ज्यूमर्स उपभोक्ता वर्ष के रूप में मनायें।

विद्युत बिलों के सुधार के बारे में कभी-कभी यह काफी इकट्ठा हो जाता है और उसकी काफी शिकायतें आती हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी गांव में बिजली लेता है उनको एक पास बुक दी जाएगी। यह पहली अप्रैल को लागू कर दी गई ह। उसके अन्दर कितना दिया और कितना देय ह, सब अंकित रहेगा। और धनराशि को वह बैंक में जमा कर सकता ह। यह भी तय किया ह कि 15 रुपया जो मिनिमम चार्ज रखा है, प्रति आर्स पावर का जो मीटर रीडिंग में दिक्कत हुआ करती थी, उसमें इससे सुधार हुआ ह। बिजली की चोरी में भी कमी आई है और निश्चित रूप से उगाही में भी लाभ पहुंचा है। बिलों के भुगतान में सुविधा देने के लिए यह निश्चय किया गया है कि तहसीलों में या ब्लाक हेडक्वार्टर्स तक यह कोशिश की जाय कि वहीं पर उनको बिल जमा हो जाय। अब उनको जिले में या शहरों तक बिल जमा करने के लिए नहीं जाना होगा। बिजली विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि जो ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं उनको फौरन ही रिप्लेस करने की व्यवस्था की जाय। यह कहा गया है कि 72 घन्टे के अन्दर ही उनको रिप्लेस कर दिया जाय। लेकिन कभी-कभी सूचना आने में देर हो जाती ह लकिन खबर को आने में भी 72 घंटे से ज्यादा न ल उसका पूरा इन्तजाम रखा जायगा ताकि अधिक विलम्ब न हो और कार्य चलता रहे। जो शिकायतें होती हैं उसकी सुनवाई में भी दिक्कत होती ह क्योंकि उसमें बड़ी देर लग जाया करती है। यह निर्णय लिया गया है कि बड़े आफिसर्स तहसील में पहले ही समय निर्धारित करके जायेंगे। आन दि स्पाट जा कर वे अधिकारी लोगों के बीच में जा कर उनकी दिक्कतों को सुनेंग और वहीं निर्णय लेंगे बिलों के सम्बन्ध में। इससे बार-बार किसान को, गांव के आदमी को शहर की तरफ दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश इस वर्ष यह भी होगी कि विद्युत् विभाग जितनी पावर जेनरेट करता है टाइम शेड्यूल के हिसाब से वह काम हो उसके बगैर खर्चा बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को अधिक बिजली न देने के कारण उन के लिए कठिनाई पदा हो जाती है। भारत सरकार से हमारी यह भी मांग है कि झांसी के पास परीक्षण की हमारी योजना को स्वीकार किया जाय। जो योजनाएं चल रही हैं अभी तक के लिए वे काफी हैं लेकिन लगातार जो हम काम करते जायंगे तो प्रतिवर्ष 400 मेगावाट बिजली हम अपने ग्रिड में डालते जायेंगे और उससे बिजली की आवश्यकता की पूर्ति होती जायगी। बिजली विभाग पर जो प्रकाश मने डाला है, माननीय सदस्य अब उस पर जो सुझाव देंगे उनके अनुसार काम करने का प्रयास किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ थोड़ी सी स्वायत्त शासन से सम्बन्धित बातें रखना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में 1971 की गणना के हिसाब से शहरी जनसंख्या 1 करोड़ 24 लाख ह। उसको हम थोड़ा ज्यादा मान लें तो 65 अथवा 70 लाख तक मान सकते हैं। 5 नगर महापालिकाय, 173 नगरपालिकायें, 329 टाउन एरियाज तथा 45 नोटिफाइड

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

एरियाज हैं। निरन्तर उनकी मांगें आती रहती हैं जैसे नोटिफाइड एरियाज हैं उनको ऊंचा उठाया जाय। टाउन एरियाज को नगर पालिका बनाया जाय। धीरे-धीरे लोग अपने नागरिक जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं और हमारी भी यह कोशिश है कि नगर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जा सकें। तो तीन चीजों पर मैं विशेष रूप से प्रकाश डालूंगी जो नगर के जीवन से सम्बन्धित है। एक पेयजल का सवाल है। दूसरे नगर की सफाई आती है। पेयजल योजना अब केवल नगरों तक सीमित नहीं है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। हम साफ सुथरा पानी ग्रामीण अंचलों में भी दे सकें, यह हमारे आर्थिक कार्य-क्रम का विशेष अंग है। गत वर्ष हमने जल निगम की स्थापना की, जल संस्थान की स्थापना भी हो चुकी है। जल संस्थान कुमायूं, गढ़वाल, बुन्देलखंड तथा 5 नगर महापालिकाओं में है और इसके अतिरिक्त बाकी जगह जल निगम को यह काम दिया है। पहले जो काम एल0 एस0 जी0 डी0 करता था वही काम अब जल निगम को दे दिया गया है और उसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जिससे अधिक पैसा हमें मिले दूसरे इसलिए कि दूसरे प्रकार से इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स की आवश्यकता को देखते हुये उनको इस रूप में निगम की शकल दे दी गई है। लेकिन पहले से जो हमारा स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग था वह यह काम करता था। जगह-जगह पर नल बिछाने और सीवेज आदि का सारा काम वह करता था। वह अब जल निगम के द्वारा कर लिया गया है। साथ ही साथ जल-संस्थान भी बनाये गये हैं जो कि रख-रखाव के लिये हैं। जो योजनायें बनती हैं वे जल निगम के माध्यम से काम करायेंगी। जो भी योजनायें जिलों में या शहरों में, नगरों में जहां नगर महा-पालिकायें हैं, नगरपालिकायें हैं, टाउन एरियाज हैं, उनमें कुछ तो सरकार की मदद से और कुछ ये संस्थायें अपने साधनों से अपने वहां पीने के पानी की व्यवस्था करती हैं और उसके रख-रखाव का ध्यान रखती है। कुछ टैक्स लगते हैं और इस तरह से नागरिकों को पानी की सहूलियत होती है। लेकिन देहातों के अन्दर जो जल निगम के द्वारा पेयजल की योजनायें बनायी गई हैं उनका रख-रखाव किस प्रकार से किया जाय, यह सवाल है। या तो यह काम जिला परिषद् या गांव सभा अपने जिम्मे ले, लाइन बिछाने, पानी की टंकी लगाने आदि का, क्योंकि पानी की टंकी लगा देना ही काफी नहीं है। उसके रख-रखाव की समस्या भी हमारे सामने आती है। ऐसा लगता है कि स्थानीय निकाय जो हैं, उनके पास साधनों की कमी होने के कारण या देहाती क्षेत्र में लोग उसके यूज्ड टू न होने के कारण रख-रखाव की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसलिये ऐसा विचार किया जा रहा है कि उसके रख-रखाव की सारी बातें की जायं। अभी तक वह स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो पाया है ताकि समय-समय पर जो शिकायतें आती हैं कि नल लगे हैं पानी नहीं आता, वे दूर हो सकें।

अध्यक्ष जी, कई बार यह देखा गया और यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि बनारस में, गाजी-पुर में, इलाहाबाद में सूखा पड़ा, उसकी व्यवस्था की जाय। हमारे सूबे में कई हिस्से ऐसे हैं, जहां पर कि पानी की दिक्कत हो जाया करती है। पानी की दिक्कत तो है ही, लेकिन मिनिमम तरीके से पानी तो मिलना ही चाहिये। दूसरी दिक्कत यह भी है कि क्यों न सीधे पानी दिया जाय। ऐसी दशा में यह व्यवस्था हम सब जगह करें और खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां पर कि पानी पीने लायक नहीं है। जैसे मथुरा में, आगरा में। यहां का पानी खारा होता है और पानी मिलता ही नहीं। इससे काफी लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां के पानी से गठिया आदि की बीमारी हो जाया करती है। इन चीजों का सर्वे भी हुआ है। इस बात की कोशिश हो रही है कि हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा मिले। वहां से स्कीम आई भी है। यहां से हमें रुपया पिछले वर्ष भी मिला है और इस वर्ष भी मिलने जा रहा है। जिससे इन सब जगहों पर जहां पर कि दिक्कतें हैं, वह दूर की जा सकें। इसके लिये योजना बनाई गई है और आशा है कि इन योज-नाओं के द्वारा इस कमी को हम दूर कर सकेंगे। इस वर्ष नगरों में जल संपूर्ति योजना के

अन्तर्गत 5 अतिरिक्त नगरों को लिया जायेगा और दो अतिरिक्त नगरों में जलोत्सादन की सुविधा दी जायेगी, 460 अतिरिक्त पर्वतीय ग्रामों तथा 240 अतिरिक्त मैदानी ग्रामों में पेय जल सम्पूर्ति की सुविधा की जायेगी। यह भी कार्यक्रम हैकि हमारे करीब जो 38,900 शुष्क शौचालय हैं, उनको फ्लश लैट्रीन में बदला जाय और 5 अतिरिक्त मलोत्सादन योजनायें कार्यान्वित की जायं।

इस बात की कोशिश है कि आगरा जो काफी विकसित हो रहा है, जहां पर पानी की दिक्कत है, उसक लिया जाय। हमने स्वयं जाकर देखा है यमुना क पानी कम हो जाता है उसके लिये योजना है कि रामगंगा से करीब 100 क्यूसैक पानी डाल कर उसे आगरा में पहुंचाया जाय उससे उसका प्रेसर बढ़ जायेगा। इससे वहां के नागरिकों की सुविधा बढ़ जायगी।

कानपुर के लिये भी सिंचाई विभाग से बातचीत करके यह निर्णय लिया गया है कि वहां विशेष रिग लगा कर तीन चार महीने में करीब 22 ट्यूबवेल लगा दिये जायं जिससे कानपुर में वाटर सप्लाई की समस्या हल हो सके। कानपुर हमारे सूबे का एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है और बहुत बड़ी आवादी का शहर है। वहां पर प्रेशर कम हो जाने से नागरिकों को असुविधा हो जाती है तो यह 22 ट्यूबवेल लग जायेंगे तो यह दिक्कत दूर हो जायगी।

बुन्देलखंड में ट्यूबवेल नहीं बनाये जा सकते हैं, वहां पर सिंचाई विभाग से अतिरिक्त जल लेने की बात की है। जो सिंचाई विभाग प्रोजेक्ट बनाता है, उसमें वह पीने के पानी का भी प्रबन्ध करे ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके, इस पर विचार किया गया है।

हमारे यहां शहरों में दूसरा सवाल है आवास का। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमारे यहां आवास के लिये जो योजना है उसको जहां पर नगर महापालिका हैं वहां पर विकास प्राधिकरण यह काम करते हैं और दूसरी जगहों में आवास—विकास परिषद् यह काम करती है। जहां-जहां पर जिस-जिस नगर को नोटिफाई किया जाता है, उसमें विकास परिषद् काम करती है।

अभी जो नगर क्षेत्र भूमि-सीमा निर्धारण कानून आया है, अरबन सीलिंग ऐक्ट में जो जमीन निकलेगी उसको हम लेकर उन लोगों को देंगे जिनके पास अपने मकान नहीं हैं। विशेषकर उस वर्ग को जो मध्यम आय के हैं, लोअर आय के हैं और वीकर सेक्शन में आते हैं उनको यह जमीन दी जायेगी। इसको 12 नगरों में लागू करने का विचार है। ताकि इस कैटेगरीज के लोग भी अपना मकान बना सकेंगे। इससे हाऊसिंग एक्टीविटीज ज्यादा बढ़ जायेगी, इसके लिये सहकारी समितियों के माध्यम से और आवास-विकास परिषद् के माध्यम से आवास की योजनायें पूरी होंगी।

हमारी एक और योजना नगर के विकास के लिये मलिन बस्तियों के सुधार के लिये जहां पर मलिन बस्तियां हैं या तो उनको बिल्कुल हटा कर उनके स्थान पर सुन्दर क्वार्टर बना दिये जायं।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]
और फिर उनको दियें जाए! दूसरे, कुछ बस्तियां ऐसी हैं, जिनमें मिक्डर पापुलेशन रहती है—कुछ मध्यम श्रेणी के लोग और कुछ बहुत गरीब श्रेणी के लोग उनमें रहते हैं। वहां बिजली, पानी, सड़कों व गलियों का सम्बन्ध नहीं है और गलियां भी बहुत सकरी हैं और पार्क आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी मलिन बस्तियों के सुधार का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। यह योजना भी हमने इस बार ली है, जिससे कि नगरों के अन्दर का काम हो सके। आवास के संबंध में दो-तीन तरह की स्कीमें होंगी, एक तो ऐसे घर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो साढ़े चार हजार की कास्ट के हों। इसके अन्दर दो कमरे का प्राविधान रहता है और कुछ में तीन कमरों का प्राविधान रहता है। इसमें इनकम ग्रुप रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि जो कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनकी कैटेगरी के मकान ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि वह हमेशा किराये-दार बने रहें। हम ज्यादा से ज्यादा मकान हायर परचेज प्रणाली के बनाना चाहते हैं, जिसे किस्तों पर लोग लेंगे। फिर कुछ वर्षों बाद वह उसके मालिक बन जाएंगे और इस प्रकार कई हजार लोगों के मकान की समस्या हल हो जाएगी।

आवास-विकास परिषद् के काम को हमने जाकर देखा है और मुझे इस बात का संतोष है कि जो पैटर्न अपनाया गया है वीकर और लो इन्कम ग्रुप के लोगों के लिये वह काफी अच्छा और जनता की सहूलियत के लिये है। हमने इसका भी निश्चय किया है कि जो नया अरबन सीलिंग ऐक्ट आया है, जिसमें हम बड़े नगरों की 8 किलोमीटर तक की जगह को ले सकते हैं, उसको लेकर नगरों को धीरे धीरे बढ़ाया और मकानों को अधिक बनाया जा सकता है। हम पहले उन स्थानों को लेंगे जोकि आवास के बिलकुल लायक हैं, उसके बाद आवश्यकता होने पर और आगे बढ़ेंगे। "जनता-घर" का भी निर्माण कराया जा रहा है (अलीगंज, लखनऊ) और कानपुर में जनता-घर के पैटर्न पर मकान बनाए जा रहे हैं, जो कि साढ़े चार से पांच हजार के अन्दर बनते हैं। प्रति दिन एक रुपया के हिसाब से, 30 रुपया प्रति मास जमा करने पर जब 18 सौ रुपया कोई दे देता है, तो वह रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर आसान किस्तों पर शेष धनराशि के देने से वह उनका मालिक बन जाता है। यह मजदूरों और निम्न वर्ग लोगों के लिये बहुत फायदेमंद है। इसे लोगों ने बहुत पसन्द किया है। इसमें लोग अपना नाम उत्साह से ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड करा रहे हैं।

तो यह हाऊसिंग का काम और विकास का काम हो रहा है। हमारी यह भी कोशिश है और इस सम्बन्ध में जनता के सहयोग की आवश्यकता है। नगर में वृक्षारोपण का कार्य किया जाये और जो पार्क हैं उनको अच्छा बनाया जाये। वृक्षारोपण के सिलसिले में हम एक नयी स्कीम ला रहे हैं जिससे नगर हमारे अच्छे रहे। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है कि नगर में पार्क हों और नगर का सौन्दर्य भी बढ़ता है। पार्क बच्चों के खेलकूद के लिये भी बहुत जरूरी हैं उनसे शहर का सौन्दर्य तो बढ़ता ही है। जो भी नयी स्कीम है उसमें स्कूल, पार्क, हास्पिटल और मारकेट के लिये स्थान की व्यवस्था जरूर रखी जायेगी और फिर लोगों के मकान बनवाने की बात है। इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी कि हमारे नगरों में गन्दगी जो होती है कूड़ा करकट होता है उससे कम्पोस्ट खाद बनाकर उसका उचित इस्तेमाल किया जाये। भारत सरकार ने हमें मदद भी की है और उस स्कीम को हम लागू करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो सीवरेज का पानी होता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो नगरों के आस पास जमीन है वहां साग सब्जी पैदा हो सके, वह लोगों को दिया जा सके, इसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। जहां पर नालियां टूटी हैं वहां पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात श्रम विभाग के बारे में बताना चाहती हूं और इसके साथ ही साथ जो श्रम और इम्पलायमेंट का सवाल है उसके विषय में भी प्रकाश मैं डालूंगी। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं श्रम और उद्योग के साथ हमारे प्रदेश की समृद्धि जुड़ी हुई है। औद्योगिक शान्ति बहुत ही आवश्यक है, उत्पादन को बनाये

रखने के लिये और उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिये, औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने केलिये श्रमिकों के इन्टरेस्ट को देखते हुए उनको संतुष्ट रखकर उनसे काम लेना यह भी बहुत आवश्यक है। पिछले वर्ष के जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए इस बात को सुनकर आपको खुशी होगी कि श्रमिकों ने काफी अनुशासन से काम लिया है और जो पहले हड़तालें और तालाबन्दियां होती थीं उनमे काफी सुधार हुआ है। 1974 की पहली छमाही में 122 हड़ताले और तालाबन्दियां हुई थी और जिसमें 95,762 श्रमिक प्रभावित हुए थे और 1975 की पहली छमाही में हड़ताल और तालाबन्दियों की संख्या कुल 82 रहीं और जिसमें 29,488 श्रमिक प्रभावित हुए। आपात्कालीन स्थिति के बाद पहली छमाही जून के बाद यह घट कर 30 रह गयी जब कि इसकी तुलना में पिछली बार 84 हुई थी। तो यह हड़ताल और तालाबन्दी बहुत कम हो सकी है, इससे उत्पादन को लाभ हुआ है और साथ ही साथ श्रमिकों को भी लाभ हुआ है क्योंकि जहां पहली छमाही में 6.4 के कार्य दिवस की हानि हुई वहां दूसरी छमाही में कुल 1.27 कार्य दिवसों की हानि हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि इतने ज्यादा दिन जो बेकार जाते, उनमें लोगों ने काम किया और उत्पादन बढ़ा, यह इसलिये सम्भव हो सका कि, श्रमिकों ने, श्रमिक संस्थाओं ने और मालिकों ने भी परिस्थिति को समझा और सब ने पारस्परिक सहयोग करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि सूबे में हड़तालें कम हों। बाकी जो और दिक्कतें हैं, उनको कैसे दूर किया जाय, इस बारे में भी प्रयास किए गये।

जैसे ही आपात् स्थिति की घोषणा की गई थी उसके बाद ही राज्य में राष्ट्रीय शीर्षथ एपैक्स बाडी का गठन कर दिया गया था और यह इसलिये किया गया था जिससे प्रदेश में जो हमारी औद्योगिक समिति है वह सुदृढ़ हो, कामों में अवरोध न हो। वे मजदूर संगठन जो अखिल भारतीय संगठन हैं, जिनको हम स्वीकृत मानते है, उसके प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं, मालिक के प्रतिनिधि उसमे बैठते हैं और तालाबन्दी, बैठकी या छटनी के प्रश्नों पर विचार करने के लिये उनकी बैठकें होती हैं। केवल इसके लिये ही एपैक्स बाडीज की स्थापना नहीं की। साथ-साथ मालिकों, श्रमिकों की ट्राइपार्टराइट कमेटीज भी बनाई जो महत्वपूर्ण ट्रेड हैं, उनको लेकर उसके द्वारा जो द्विदलीय समितियां हैं, वे बैठ कर मामलों का आपस में निबटारा करती हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह देखते हुए कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, जो केन्द्रीय इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट ऐक्ट है, उनका भी संशोधन किया है और उनके साथ यह हुआ कि जिन औद्योगिक इकाइयों में 300 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, उनमें बैठकी या छटनी नहीं कर सकते जब तक कि पहले सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न प्राप्त कर ली जाय। तो यह इसलिये किया गया कि जहां एक ओर मजदूर जो अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनके हितों को देखना भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है और यह मौका न हो कि मजदूर सड़कों पर जाकर अनुशासनहीनता में पड़ जांय। तो इसलिये यह प्रोटेक्शन उनके लिये किया गया है। यह सभी जगह, सभी स्टेट्स में भी लागू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी हमने इसको लागू किया है उन कारखानों में जहां पर 300 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। एक ऐसा भी केस हमारे सामने आया है जिसमें कारखाने के मालिक ने ले आफ करने की परमिशन मांगी, लेकिन हमने मजदूरों के इन्टरेस्ट को देखते हुए वह परमिशन नहीं दी।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

हमारी यह नीति है और आगे भी रहेगी कि मजदूरों के इंटरेस्ट को देखते हुए, उनके वेलफेयर को देखते हुए यथासंभव वे कदम उठाये जायेंगे जो कानून के अन्तर्गत उठाये जा सकते हैं क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं कि जब तक मजदूर संतुष्ट रहेंगे तब तक औद्योगिक शांति बनी रहेगी और तभी उत्पादन भी बढ़ सकता है। इसके साथ-साथ एक और जो कार्य हुआ है वह यह है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन की स्कीम की बात आई और उस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार की ओर से यह कहा गया है कि जिस कारखाने में 500 से अधिक मजदूर काम कर रहे हों, उनमें इसे लागू किया जाय। यह प्लान्ट लेविल पर, शोप लेविल पर योजना रखी गई है। इस योजना की बहुत दिनो से मजदूरों की तरफ से मांग थी जिसे हम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये और मुझे प्रसन्नता है सदन को यह बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे प्राइवेट कारखाने हैं उन सब में इसको लागू कर दिया गया है। जो 3 मिलें हमारी बन्द हैं और जो हमारी पब्लिक सैक्टर में हैं, को छोड़ कर उन सबमें लागू करवा दिया है। पावर बोर्ड का मामला कोर्ट में चला गया। इसलिये उसमें लागू नहीं हो पाया है लेकिन अब कोर्ट से स्टे हट गया है, इस लिये इसे पावर बोर्ड में भी लागू कर दिया गया है। इस लिये कहा गया कि जो भी हमारी प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में हैं उन सब में 29 फरवरी तक इसको पूरी स्टेट में लागू कर दिया जाय और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें हमारी ट्रेड यूनियन्स के जो लीडर्स हैं, उद्योगपति हैं, उन सब ने भी इसमें हमारा सहयोग दिया। सब ने मीटिंग करके जहां जिस कारखाने में जिस यूनियन के जैसे प्रतिनिधि हो सकते हैं, हमारी अपील पर, सबने आपस में मिल कर एक फैसला किया है कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाय। यह एक नई योजना है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह काफी हद तक आगे चल कर मजदूरों के लिये लाभकारी होने वाली है क्योंकि इसमें वे ही प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो सही माने में मजदूर हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं। इसमें बाहर के लोग, ट्रेड यूनियन्स जैसे इन्टक है या आई० एन० टी० यू० सी० या किसी से भी एफिलिएटेड हैं, ये नहीं हो सकते हैं। इसमें जो रियल वर्कर्स है, उस कारखाने के एम्पलाई है, उसमें सदस्य हो सकते हैं। शौप लेविल का प्रश्न हो या प्लान्ट लेविल का प्रश्न हो, सारे प्रतिनिधि मिल कर और बैठकर विचार करेंगे तो इससे बहुत से ऐसे मसले हल हो जायेंगे। हमारी जो अपैक्स बोडीज है, उनको हम और चीजों में भी ला सकते हैं। प्रदेश में हमारे ट्राइब्यूनल भी हैं और शासन के केसेज जाते हैं, जिनके द्वारा भी निपटारा होता है काफी विवादों का।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बांडेड लेबर का भी सवाल है और उत्तर प्रदेश में जब यह कानून बन गया, 22 जुलाई, 1975 को जो अध्यादेश जारी हुआ, उसके बाद से इसको खत्म कर दिया गया कानून के द्वारा और इस प्रथा के उन्मूलन के बाद उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाय, कैसे बसाया जाय, इस दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। हमने जो सर्वे कराया है उसके अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, हमीरपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि में कुछ बन्धक मजदूरी प्रथा की बात आयी है, लेकिन देहरादून के जौनसार भावर में करीबा करीब 19 हजार बंधक मजदूर इसमें बन्धे हुए थे जिनको छुटकारा दिलाया गया। अब जिन 5–6 जिलों में मजदूरों को छुटकारा दिलाया गया है यहां पर सतर्कता समिति बना दी गयी है और वहां के कुछ समाज सेवी व्यक्ति उसके चैयरमैन बना कर के और कुछ उसमें अधिकारी रखे गये हैं, वह इसको देखेंगे कि कैसे वहां पर ठीक से यह काम हो। जो योजना हमारी है उसी के हिसाब से यह सतर्कता समिति काम कर रही है। जौनसार भावर के जो 19 हजार बन्धक लेवर थे उनके लिये एक हमारी बड़ी योजना 19 करोड़ की बनायी गयी है। 10–10 हजार प्रत्येक के ऊपर खर्च करके इनको खेती के लायक जमीन देकर, इम्प्लीमेंट्स और मवेशी देकर कैसे बसाया जा सकता है जिससे ठीक से ये अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष हमने अपने बजट में 25 लाख रुपया चालू वित्तीय वर्ष में रखा है। लेकिन हमारी योजना 5 करोड़ की इस तरह से हमने

भेजी है कि भारत सरकार इसकी मंजूरी दे दे और एक-एक करके 19 करोड़ की योजना आकर के बनती है।

खेतिहर मजदूरों के मिनिमम वेजेज को उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर दिया है, जैसा कि हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का यह हिस्सा है और इसके द्वारा यह तय हुआ है कि 5 रुपया हमारे पूर्वी क्षेत्र के लिये है, मध्य क्षेत्र में साढ़े पांच रुपया, पर्वतीय क्षेत्र में 6 रुपया और पश्चिमी क्षेत्र में साढ़े पांच रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी तय की गयी है। यह भी तय कर दिया गया है कि जितने तहसीलदार हैं वे सब हमारे श्रम निरीक्षक घोषित किये गये हैं, क्योंकि इतना फैला हुआ लेबर है और अन-आर्गेनाइजड भी है तो कहां-कहां किस प्रकार मजदूरी मिल रही है यह देखने की दृष्टि से तहसीलदार को पावर दी गयी है कि वह निरीक्षण करेंगे। यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। जब सही तरीके से गरीब लोगों पर यह लागू होगा तो उससे आर्थिक दृष्टि से काफी लाभ होगा और समाज के शोषित वर्ग को उससे राहत मिलेगी ।

इस बात की भी कोशिश की गयी है कि कुछ ऐसे उद्योग जहां पर कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट नहीं लागू था और असंगठित क्षेत्र थे, वहां पर भी मिनिमम वेजेज कुछ क्षेत्रों में लागू करा दें और नये क्षेत्रों में भी उनको लागू कराने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। पहले शुरू में केवल 13 ही ऐसे उद्योग थे जिन पर कि यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो रहा था। अब इनकी संख्या बढ़ करके 48 कर दी गयी है और पिछले वर्ष नये उद्योगों में लागू किया गया था। इस प्रकार इसको और बढ़ाया गया है । कुछ उद्योगों में वेतन को पुनरीक्षित किया गया। जहां पर बहुत कम था, जैसे कि बनस्पति उद्योग में बहुत ही कम था, उसके वेतन के ढांचे वगैरह में कुछ परिवर्तन कराया गया और इनका न्यूनतम वेतन कम से कम 200 रुपये प्रति माह रखा गया है।

बीड़ी उद्योग श्रमिकों की भी बड़ी दर्दनाक कहानी इतने वर्षों से इस बारे में रही है। इस उद्योग में काफी संख्या में स्त्रियां और बच्चे काम करते हैं। घर-घर में यह काम होता है और समाज का बहुत गरीब हिस्सा इसमें काम करता है। इनकी मजदूरी भी सही तरीके से तय की गयी केन्द्रीय सरकार के एक आदेश के अनुसार लेकिन वह पारित नहीं हुआ था। 3 अक्तूबर, 1975 को उसकी धारा 3 को यहां लागू करने की बात की गयी और अब बीड़ी बनाने वाले जितने प्रतिष्ठान हैं उनके इण्डस्ट्रियल प्रिमिसेंज का सालाना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह न होने से पता ही नहीं चलता था कि कहां पर लोग काम कर रहे हैं और वह सही मजदूरी पा रहे हैं या नहीं। 5 रुपये तय है और 3, साढ़े 3 रुपये दे देते थे ।

एक बड़ी संख्या है दुकान कर्मचारियों की। इनकी ओर भी इस बार ध्यान दिया गया है कि दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानों में जो काम करने वाले हैं उनको इसके अन्दर लाकर जो हमारे 5 बड़े नगर हैं उनमें लागू किया है। अभी तक तो यह करीब 90 स्थानों में पूर्ण रूप से और 78 स्थानों में आंशिक रूप से लागू था। अब इस अधिनियम के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि 91 नगरों में पूर्ण रूप से और 83 में आंशिक रूप से लागू किया जा सके और इसको बढ़ाया जाय और प्रभावी बनाया जाय।

श्रम विभाग का एक महत्वपूर्ण काम है श्रमिकों के कल्याण और उनकी देख-रेख की व्यवस्था करना जिसके अन्तर्गत श्रम हितकारी केन्द्र जगह-जगह हों। अभी तक 76 श्रम हितकारी

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

केन्द्र हैं जिनके माध्यम से निःशुल्क शिक्षा इनके बच्चों के लिये, कुछ सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण, कुछ खेल वगैरह की व्यवस्था, कुछ वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किये जाते हैं। हमारी कोशिश अगले वर्ष यह होने जा रही है कि हम इन लेबर वेलफेयर सेन्टर्स को और बढ़ायें। साथ ही साथ यह भी कोशिश होगी कि जो दो, तीन वर्षों से श्रमिकों के क्वार्टर्स बनाने का काम एक तरह से रुक सा गया था उसमें वृद्धि की जाय क्योंकि समाज का वह भी काफी निर्बल वर्ग है। हम यह देखेंगे कि उनके निवास स्थानों की वृद्धि कैसे की जा सकती है, मालिकों के द्वारा, दूसरी योजनाओं के द्वारा, जनता घर की योजना द्वारा जिस तरह से भी सम्भव हो सकेगा, हम इस दिशा में कोशिश करेंगे।

हमारी नगर पालिकाओं और महापालिकाओं में जो सफाई मजदूर होते हैं। उनको बहुत जगह अब भी सिर पर मैला ढोना पड़ता है या जो झाड़ू देते हैं उनको गन्दा कूड़ा कर्कट उठाना पड़ता है। हमने यह निर्णय लिया है कि उसके लिये उनको गाड़ियां दी जायं। हमारे जो कवाल टाउन्स हैं उनमें इस वित्तीय वर्ष में ही छोटे-छोटे वर्कशाप्स बना कर हैंड कार्ट्स उनको दें जिससे कि सिर पर मैला उठाने की प्रथा हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त की जा सके और नये तरीके से यह कर सकें। सफाई मजदूरों के लिये रहने के लिये क्वार्टर्स भी बनाने की योजना हम बना रहे हैं। हर एक नगर महापालिकाओं में तथा और नगरों में भी जहां यह सफाई मजदूर काम करते हैं उनके लिये हम चाहते हैं कि जो क्वार्टर्स बनें, वे उनको नौकरी समाप्त करने के बाद भी किस्तों में कुछ रुपये देकर ले सकें। हम यह नहीं चाहते कि जब तक वे नगरपालिका की नौकरी में रहे तभी तक वे उन क्वार्टर्स में रहें, हम चाहते हैं कि बाद में भी वे उनमें रह सकें। इसके लिये अगले वर्ष में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्रीमन्, श्रम विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण काम और हमने किया है और वह हमारे 20सूत्रीय कार्यक्रम का भी एक हिस्सा है और वह यह है कि हमने हजारों युवकों को काम दिलाने के लिये एपरेन्टिसशिप कोर्स की योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत कारखानों में उनको काम दिया जायेगा। वे वहां काम सीखेंगे। इस योजना के अन्तर्गत करीब 10 हजार एजूकेटेड लोगों को एपरेन्टिसशिप कोर्स के लिये लगाया गया। उनको कैसे नौकरी मिल सके उसके लिये हमने नये रास्ते भी खोले हैं। अब यूनीवर्सिटीज से जो नये ग्रेजुएट्स निकलेंगे उनका रजिस्ट्रेशन वहीं हो जाया करेगा। ऐसी व्यवस्था हम अगले वर्ष से करने जा रहे हैं। इम्पलायमेंट एक्सचेंज में करीब 8 लाख लोगों ने अपने को नौकरी के लिये पंजीकृत कराया जिनमें करीब 4 लाख एजूकेटेड लोगों की संख्या होगी। हम यह कर रहे हैं कि प्राइवेट कारखाने वाले भी जो अपने यहां लोगों को रखें वे इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा ही लोगों को लें। इससे नौकरी पाने वालों की एक सही फीगर हमारे सामने आयेगी।

आई० टी० आई ज० में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके स्टाइपेंड को भी हमने बढ़ा कर अब 40 रुपये कर दिया है। इससे उनको कुछ राहत मिलेगी। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेन्शन को भी हमने बढ़ा कर 40 रुपये कर दिया है। पहले यह 30 रुपये थे। इस वृद्धि से असहाय लोगों को बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर कुछ राहत अवश्य मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस तरह से अपने विभिन्न विभागों के बारे में सदन के सामने, अगले वित्तीय वर्ष में जो काम होने हैं, उनके बारे में प्रकाश डाला। मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे लेकिन साथ ही साथ उदारता पूर्वक ये जो हमारे ग्रांट्स हैं, उनको पास कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव यह है कि तीन विभागों के ग्रांट्स पेश हुए हैं और माननीय सदस्यों ने अलग-अलग कटौती के प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रखी है, तो मेरा निवेदन है कि तीनों कटौती के प्रस्तावों को अलग-अलग पेश करने की आप इजाजत दे दें और हर एक

9—भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35—नगर विकास, अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन, अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन, अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवा योजन, अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम—विद्युत्

को 20—20, 25—25 मिनट बोलने का समय दे दें। इस तरह तीनों कटौती के प्रस्ताव अलग-अलग तरीके से आ जायेंगे और उस पर चर्चा बाद में एक साथ हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी तरफ से तो सूचना आयी है कि माननीय राम सजीवन कटौती के प्रस्तावों को पेश करेंगे। उनके सम्बन्ध में बोलने का अवसर सब को मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी के आधार पर समय दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अलग-अलग तैयारी कर रखी है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था।

उपाध्यक्ष—

बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

हमारे दल की तरफ से जो लिख कर दिया गया है, कटौती के प्रस्ताव पेश करने के लिये, तो कटौती के प्रस्ताव पेश कर देंगे सुविधा के लिये क्योंकि मैं समझता हूं कि उधर से सारे अनुदान पेश किये गये हैं, ठीक है, लेकिन यह जो अलग-अलग विषय हैं, उसके लिये अलग-अलग तैयारी हुई है, जिस पर लोग बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

शौक से बोलिये, उसमें क्या दिक्कत है? समय देने का प्रयास मैं करूंगा।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 63—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया करदी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन]

मान्यवर, मैं आपकी अज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जैसा कि हम लोगों ने अपना कटौती का प्रस्ताव 3 विभागों के अनुदानों पर अलग-अलग, लिखित रूप में दिया है लेकिन ऐसी व्यवस्था हो गयी है कि मैंने सम्पूर्ण अनुदानों पर अपना प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन हम लोगों ने जो भी सभी अनुदान पेश किये थे, वह अलग-अलग विभागों की अलग-अलग समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे।

मान्यवर, मै स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में जो अनुदान है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। मान्यवर, सरकार ने नगरों को सुन्दर बनाने और स्वच्छ बनाने तथा सड़कों को चौड़ा करने की योजना और नीति बनायी और इस नीति को लागू करने का कार्यभार संबंधित महापालिकाओं और नगर पालिकाओं को सौपा है। सरकार की यह भी नीति है कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद की जाय। यह इन दोनों नीतियों को समन्वित रूप से कैसे लागू किया गया, यह एक बड़ी भारी समस्या प्रदेश में पैदा हुयी। आदेश हुआ कि अतिक्रमण को हटाया जाय। अतिक्रमण हटने लगे। लेकिन आपकी नीति यह भी थी कि जब अतिक्रमण हटाया जायगा, सड़कें चौड़ी की जायंगी तो इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि जो लोग गरीब हैं, झोपड़ी वाले हैं, छोटे-मोटे दूकानदार हैं उनके लिये ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि वह एकदम से बे-रोजगार और बेसहारा न हो जांय। यह आपकी नीति थी। लेकिन जब इसका पालन होने लगा, जगह-जगह पर यह देखा गया है कि बिना कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था के, दूसरी व्यवस्था के उन गरीब लोगों को उजाड़ कर फेक दिया गया। जाड़े बरसात में उनके लिये कोई प्रबंध नहीं किया गया और आपके आदेश जो थे वह जहां के तहां पड़े रहे। आपकी मंशा नहीं थी कि ऐसा हो लेकिन जो लागू करने वाली संस्थायें हैं, स्वायत्त शासी संस्थायें हैं उन्होंने नीति को लागू करने में आपकी मंशा के अनुरूप काम नहीं किया, ऐसा मैं समझता हूं। बिना सोचे समझे उन्होंने अपने अभियान को लागू कर दिया।

आपने यह नहीं ध्यान दिया कि जिसको हम यह काम सौप रहे हैं वह इस काम को ठीक तरह से करेंगे या नहीं? यह आपकी कमजोरी रही। जहां पर प्रशासक थे, बड़े-बड़े नगरों में, वहां आपकी जिम्मेदारी थी आप हस्तक्षेप कर सकते थे। लेकिन बहुत सी संस्थायें थीं जहां पर आज भी प्रतिक्रियावादी लोग हैं, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या आपके बीच बैठने वाले हों उन्होंने आपकी नीति का पालन नहीं किया और गरीबों को उजाड़ा और परेशान किया गया। उनको कोई सुनने वाला नहीं है। यह समस्या पूरे प्रदेश के नगरों में पैदा हुयी। इस संबंध में प्रार्थना-पत्र भी भेजे जाते रहे और जन-प्रतिनिधि भी आते रहे और अपनी समस्यायें बताते रहे लेकिन आपका कोई खास दखल नहीं हुआ। आपने प्रभावकारी हस्तक्षेप नहीं किया, जहां किया वहां माना नहीं गया।

इससे नगरों के अन्दर गरीबों में बड़ी बेचैनी पैदा हुई और इस बेचैनी और असंतोष को दूर करने के लिये आपको ठोस कदम उठाने चाहिये। उन्हीं के मत्थे यह काम नहीं छोड़ना चाहिये। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात नहीं बतायी कि नगर पालिकाओं का कार्य काल सम्भवतः 10 जून को समाप्त हो रहा है तो क्या उनका कार्य-काल बढ़ाया जायगा या नहीं? क्योंकि चुनाव नहीं हुए तो शायद आप बढ़ायेंगे ही। लेकिन जब आप कार्यकाल बढ़ावें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो राज्य सरकार की घोषित नीति और दुर्बल वर्ग के लिये आर्थिक कार्यक्रमों को लागू नहीं कर रहे और प्रतिक्रियावादी कार्य करने में संलग्न हैं उनका कार्य-काल न बढ़ावें। वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दें। इससे आप पर कोई लांछन नहीं आयेगा क्योंकि उनका कार्यकाल तो वैसे ही समाप्त हो रहा है। इसमें आप कोई पक्षपात न बरतें। मेरे यहां का लोकल मामला है। करवी चित्रकूट नगरपालिका के अध्यक्ष ने गांव समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब हमने स्वामी प्रसाद सिंह जी से कहा तो वह कहते हैं कि स्वायत्त मंत्री देखेंगे। जब आपसे कहते हैं तो कहा जाता है कि यह मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है। तो यह आपको देखना होगा। जो आपकी नीति का पालन नहीं करते और इस तरह से अवैध कब्जे किये हुए हैं, तो उनको खत्म करके आप वहां रिसीवर या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दें।

एक बात सफाई कर्मचारियों के बारे में है। आपने भी उनके बारे में जिक्र किया लेकिन हमारा अनुभव है कि उनके साथ बहुत अनुचित व्यवहार होता है। जिस प्रकार वह सभी वर्गों के सहानुभूति के पात्र हैं नगरपालिका, महापालिका या प्रशासकों से वह सहानुभूति उनको नहीं मिलती। उनके साथ सहानुभूति बरती भी क्यों जाय? आपने कोई ऐसा नियम या कानून तो बनाया नहीं है। आपने उनको नगरपालिका या महापालिका के जिम्मे छोड़ दिया है। जब चाहें वह उनको निकाल दें। आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा सुझाव है कि पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिये अलग से कानून बनावें, जिससे कि उनके हितों की रक्षा हो सके। उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। बकाया वेतन की समस्या है।

कितनी भी आपसे शिकायतें करें लेकिन उनका बकाया वेतन, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हीं नगरपालिकाओं के अन्दर जो उच्च वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका सारा का सारा वेतन समय से उनको सदैव मिलता है। पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी इससे पीड़ित हैं। उनके लिये एक समान कानून बनाये जायं और उस कानून का, कभी भी उल्लंघन न होने पाये यह आपको देखना है। आपकी सरकार के द्वारा जो ऋण या अनुदान नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं को दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है। आप ग्रान्ट देते हैं सड़क के लिये लेकिन वह खर्च होती है बिल्डिंग के लिये। आप देते हैं दूसरी मद के लिये और वह व्यय होती है तीसरी मद में। जिस उद्देश्य से सरकार पैसा देती है, उस उद्देश्य से वह पैसा नहीं लगाया जाता है।

पेय जल की भी बड़ी समस्या है। हमारे नगरों में भी और देहातों में भी यह जटिल समस्या है। अभी तक जिस तरह से सरकार काम चला रही थी एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 के जरिये वह काफी सन्तोषजनक थी परन्तु जब से यह काम जल निगम और जल आयोग को सौंप दिया गया है जल सम्पूर्ति की यह समस्या उलट ही गई है। पिछले बार भी सदन में इसकी चर्चा रही थी। वर्ल्ड बैंक से चूंकि आपको रूपया मिल रहा है इसलिये आपको भी कारपोरेशन बनाना है, लेकिन आपने इसमें रख दिया तीन जिला परिषदों के अध्यक्षों

[श्री राम सजीवन]

को । आप विधायकों को रख सकते थे जो सक्रिय होकर सहयोग दे सकते थे। वे तो बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं। इसके अलावा आपने अन्य सदस्यों में इन्जीनियरों को लगा दिया है। यह जल निगम का काम बहुत ही असन्तोषजनक है। पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की भी बातें मैंने सुनीं, जिसने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। बुन्देलखंड में भी जल निगम और जल संस्थान यह काम कर रहा है, दशा बहुत खराब है। पाठा क्षेत्र बांदा मे 2 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई । 255 गांवों मे पानी देने का शासन का विचार था परन्तु केवल 45 गांवों में ही पानी दिया जा रहा है। वहां पर पानी की बड़ी ही भीषण समस्या है। जब पहले एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 के हाथ में यह काम था, उस समय यह काफी सन्तोष जनक काम हो रहा था परन्तु जब से यह काम जल निगम और जल संस्थान को सौप दिया गया है यह समस्या बहुत ही बिगड़ गई है।

मेरा निवेदन है कि निर्माण का कार्य तो जल निगम से करायें लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने पर जल संस्थान को वह कार्य न दे कर सरकार अपने विभाग में उसे रखे ताकि उसका रख-रखाव ठीक से हो सके और जनता को ठीक से पानी मिल सकें क्योंकि जल संस्थान से पानी मिलने वाला नहीं है। जल संस्थान द्वारा यदि पानी की सम्पूर्ति कराई गयी तो भी मई और जून के महीने में वह पानी नहीं दे सकेगा। लिहाजा जल संस्थान को कुछ लाख रुपये सरकार अनुदान के रूप में दे दे ताकि मई, जून के महीने में ये योजनायें सही ढंग से चलाई जा सकें।

एक निवेदन शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी के बारे में करना है। भारत सरकार ने शहरी सम्पत्ति पर हदबंदी का कानून पास कर दिया है और यहां प्रदेश में कुछ शहरों में वह लागू भी हो गया है और कुछ शहरों में भी उसे लागू करना चाहिये। शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी का जो कानून बना है वह बहुत कमजोर है। जो बड़ी-बड़ी सम्पत्ति वाले हैं उन सब पर वह लागू नहीं हो सकेगा, उसकी हदबन्दी में सबको लाना चाहिये था। प्रदेश के सभी गावों में यह भावना है कि सीलिंग का कानून सभी गांवों में लागू कर दिया लेकिन शहरों में कोई सीलिंग लागू नहीं हुई। भारत सरकार को यह सुझाव प्रदेशीय सरकार की ओर से जाना चाहिये कि सीलिंग कानून जो शहरों से सम्बन्धित है वह सभी शहरों में लागू हो। मंत्री जी ने बताया कि शहरों में गन्दे नालों का पानी इस्तेमाल किया जायगा लेकिन यह जो नीति है इसको लागू करने में ढिलाई बरती जा रही है। इसको तत्परता से लागू करना चाहिये ताकि नदियों का पानी गन्दा न हो और नालियों का गन्दा पानी खेती के काम में आ सके। आवास समस्या बड़े-बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों तथा कस्बों में भी जटिल होती जा रही है। सरकार की कोशिश इस सम्बन्ध में बहुत नाकाफी व अपर्याप्त है, इसमें तेजी से कदम उठाना चाहिये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य 10 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े समय से आपात-कालीन स्थिति की घोषणा की। जो परिस्थिति थी उसको देखते हुए हमारी अखंडता को चुनौती थी। समय के मुताबिक उन्होंने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया जिससे देश की एकता को बल मिला। जब से प्रदेश में यह नई सरकार बनी है तब से प्रदेश के अन्दर मजदूरों की तथा अन्य समस्याओं पर काबू पा लिया गया है। औद्योगिक शान्ति के सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री को इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद औद्योगिक शान्ति रखने में सरकार सफल हुई है। जनवरी, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक 82 हड़तालें तथा ताला बन्दिया हुईं जब कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद दिसम्बर, 1975 तक केवल 30 हड़तालें तथा ताला बन्दियां हुईं। पिछले

वर्ष 1975 में 45.6 प्रतिशत कम हड़तालें तथा ताला बन्दियां हुईं। और वर्ष 1976 के प्रथम त्रिमास में केवल 12 हड़तालें और तालाबंदियां हुई हैं। मान्यवर, आशंका यह पैदा हो रही है कि तोड़-फोड़ करने वाले लोग फिर जागरूक हो रहे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके प्रति सरकार सजग रहे। साथ ही मैं माननीय श्रम मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कानपुर की जो तीन मिलें लक्ष्मी रतन काटन मिल, अथर्टन और जूट उद्योग हैं उनको जल्द से जल्द चालू कराया जाय। मुझे विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री जी और भारत सरकार के प्रयत्न से ये मिलें शीघ्र ही खोली जायेंगी ताकि आज जो मजदूरों की दयनीय दशा हो रही है, वह ठीक हो सके।

मान्यवर, आपात्कालीन स्थिति घोषित होने के बाद जो बैठकी, छंटनी और तालाबंदी के सम्बन्ध में जो द्विदलीय समितियां स्थापित की गई हैं उनमें सेवायोजकों और श्रमिकों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। बैठकें भी महीनें में हो रही हैं। बराबरी का प्रतिनिधित्व उन्हें भी दिया जा रहा है। इसी आधार पर श्रमिकों और सेवायोजकों के जो विवाद न्यायालयों में चल रहे हैं, उनको वापस लेने की बात चल रही हैं। मान्यवर, इसके साथ ही साथ हम यह भी महसूस कर रहे हैं कि मालिकान लोग इस आपात्कालीन स्थिति का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। वे मनमानी कर रहे हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके ऊपर कड़ी निगाह रखी जाय। उत्पादन बढ़ाने, औद्योगिक शांति रखने और साझेदारी की बात माननीय मंत्री जी ने की है। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां हुई हैं, वह भी बहुत अच्छी बात है। श्रीमन्, ऐसे कारखाने जिनमें 500 से अधिक श्रमिक सेवायोजित हैं, 30 अक्टूबर, 1975 से श्रमिकों की साझेदारी की योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में 105 निजी कारखानों में से 101 कारखानों में, 36 राजकीय सार्वजनिक कारखानों में से 26 में तथा केन्द्रीय सार्वजनिक कारखानों में 19 में से 17 में यह योजना लागू कर दी गई है। साझेदारी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि श्रम मंत्री जी ने जो प्रयत्न किया है, सराहनीय है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अब यह आशा की जाती है कि साझेदारी में मजदूरों का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में होगा। जब रा-मेटीरियल, मशीनरी पर्चेज तथा ओवर हेड चार्जेज में कर्मचारियों को हिस्सा बटाने का मौका मिलेगा, जिससें अपना सहयोग वे उसमें दे सकें, तभी उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देनें की आवश्यकता है।

मान्यवर, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित तथा उनको लागू करने के बारे में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के पूर्व मजदूरी की दरें 3 रुपये से साढ़े चार रुपये तक प्रतिदिन थी। लेकिन अब इस घोषणा के बाद उसे बढ़ाकर 5 रुपये से साढ़े छः रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके साथही साथ इन मजदूरों के लिये श्रमायुक्तों की भी नियुक्तियां की गई हैं। हर जिले में जहां पर यह व्यवस्था नहीं थी, उसे कर दिया गया है। इसी प्रकार बीड़ी और सिगार के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों को लागू करने के लिये कार्यवाही हो रही है। राज्य कर्मचारी बीमा योजना जिसकी व्यवस्था अब तक केवल 500 रुपये तनख्वाह पाने वालों तक के लिये थी उसे बढ़ाकर 1000 रु0 पाने वालों के लिये भी यह व्यवस्था की गई है। श्रम हितकारी केन्द्रों में भी जो चिकित्सा व्यवस्था है वहां बहुत काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें और फन्ड्स की व्यवस्था होनी चाहिये। वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में श्रम मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपया कर दिया है, यह प्रसन्नता की बात है।

[श्री राम नारायण पाठक]

मान्यवर, जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनके सामने जब मजदूरों की समस्यायें जाती हैं और वह उसकी छानबीन करते हैं तो उसमें मजदूरों की सहायता करने में अपने को अनइफेक्टिव पाते हैं। कानूनी व्यवस्था में इस बात की कमी पाई जाती है। यह जानने के बाद भी कि मालिकान गलत काम कर रहे हैं उनको रोक नहीं पाते हैं। हमारा श्रम विभाग उसमें उदासीन रहता है जिससे मजदूरों की कठिनाई बढ़ जाती है।

मान्यवर, सरकार ने कुछ फैसले लिये थे अपने कर्मचारियों के बारे में। यह कहा गया था कि वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य कर्मचारियों एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दिया जायेगा। जब-जब उनका भत्ता बढ़ेगा तब तब राज्य कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने 20 मार्च, 1976 को राज्यादेश जारी किये कि 24, 28 और 32 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च, 1976 तक अवश्य कर दिया जाय लेकिन वह नहीं हुआ। इतना ही नहीं मुझे यह भी पता चला है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के वित्त आयोग से यह राशि प्राप्त कर ली है लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है।

मान्यवर, यह खेद का विषय है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केवल 36 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है और इससे भी दुख की बात यह है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को केवल 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। यह केन्द्र सरकार के बराबर मिलना चाहिये था। केन्द्र सरकार में यह 300 सौ रुपये तक 42 प्रतिशत है और तीन सौ से नीचे 56 प्रतिशत है। इस पर भी अवश्य सरकार को विचार करना चाहिये।

मान्यवर, यह जो हाउस रेंट एलाऊंस केन्द्र में 15 परसेंट मिलता है स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को 10 परसेंट देने की बात थी वह अभी तक नहीं दिया गया है। यह जो पांचवी किस्त महंगाई भत्ते की केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिली थी वह अगस्त, 1974 से मिली थी जब कि राज्य कर्मचारियों को मार्च, 1976 से दी गई है।

मान्यवर, उत्पादन बढ़ाने के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि उत्पादन बढ़ा है। यह सही है कि उत्पादन बढ़ा है और सभी मानते हैं लेकिन वह मजदूरों के जरिये से बढ़ा है। इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि इसका लाभ मजदूरों को कितना प्राप्त हुआ है। मजदूरों का हिस्सा कहां गया ? इस इमरजेंसी में हम लोगों ने सरकार का हाथ बराबर बटाया और मजदूर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। उनको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिये इस पर अवश्य विचार किया जाय।

मान्यवर, विद्युत परिषद् की बात कहना चाहता हूं। मैं बालिगा जी को जरूर आपके माध्यम से और मंत्री जी के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेलों केलिये जो बिजली की व्यवस्था है वह आपने 10 हार्स पावर में 150 रु0 और 15 हार्स पावर में 225 रु0 कम से कम कर रखी है। इससे किसानों के लिये बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। जिसके पास 6 बीघे जमीन है उसे भी डेढ़ सौ रुपया देना होगा और जिसके पास 25 बीघा जमीन है उसे भी 150 रु0 देना होगा। पहले जो मीटर व्यवस्था थी वह अब नहीं है। आप मीटर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यह तो कर दें कि 150 रु0 के बजाय इसे कुछ कम कर दे वर्ना अन्नोत्पादन में कमी आजायेगी। जो बिजली काट दी गई है वह बड़े दुख की बात है। बिजली तत्काल दी जाय जो धनराशि उनसे वसूल करनी है उसके लिये आप यह कर दें कि जो पिछला बकाया है उसे किस्तों में वसूल किया जाय और आगे के लिये जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन खेतों की सिंचाई के लिये अवश्य बिजली दी जाय।

मान्यवर, मैं एल0 एस0 जी0 डी0 के संबंध में माननीय मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि वह लोग जो स्लम एरियाज से हटाये गये हैं जिनके मकान गिरा दिये गये हैं उनके लिये भयंकर परिस्थिति खड़ी कर दी गई है। उनको जमीन तो दे दी गई लेकिन आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसे शीघ्र किया जाय।

मान्यवर, शहरों में बड़ा एयर पलूशन हो रहा है, उसको रोका जाय। नगरों में घोसियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सीवर्स का जाम हो रहा है, अतः उनके लिये नगर से बाहर कालोनियां बनाई जायं। यह कारपोरेशन जमीनें ले रहा है और कानपुर में पनकी पावर हाउस के लिये जो जमीन ली गई है, कुछ जगह उनकी जमीनों को लेकर 2400 रुपया बीघा उनको मुआवजा दिया गया है किन्तु गंगागंज में यह मुआवजा उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि उनकी जमीनों का मुआवजा मार्केट रेट पर तुरन्त मिलना चाहिये। 10 करोड़ की आबादी इस प्रदेश की है, इसमें हजार, 2 हजार मकानों की जो आप कालोनियां बना रहे हैं, उससे पूरा नहीं होगा। कम से कम, 10 करोड़ की आबादी म, आप 10 लाख मकान बनाइये। इसमें मेरा सुझाव है कि एक–एक जगह 10–20 हजार लोगों को जमीन दे दीजिये और कम्युनिटी बेसिस पर लोगों को सुविधा दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मकान बनवा सकें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का जोरदार समथन करता हूं।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने अपने लेबर विभाग के ऊपर प्रस्ताव रखते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि इस एमरजेंसी के पीरिएड में मजदूर वर्ग ने ठीक तरीके से अपना काम किया और हड़तालें तथा घेराव वगैरह बिलकुल बन्द कर दिए, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ा और हालत भी सुधरी। इसपर मेरी तरफ से यह कहना है कि यह एकतरफा मामला है, मालिकों ने इस इमरजेंसी को मंजूर नहीं किया। उन्होंने सरकार के इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन किया है। दिल्ली की एपेक्स बाडी में तय हुआ है कि कानपुर की बन्द मिलों–अथर्टन और लक्ष्मीरतन काटन मिल आदि को चालू किया जाए। यहां पहले के मुख्य मंत्री श्री बहुगणा जी उस मीटिंग में गये थे। उन्होंने कहा सेंट्रल में जो एपेक्स बाडी बनी है, ये उनके सुपुर्द कर देनी चाहिये। नारायणदत्त तिवारी जी भी उन दिनों वहां कई बार गये। राजेन्द्रकुमारी बाजपेई जी भी सेन्ट्रल मिनिस्टर्स से मिली, इन मिलों को चलाने के लिये जिससे 10 हजार आदमी जो बेकार हैं, उनको रोटी का सहारा हो सके। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं हुआ है। कभी कुछ होता है। हम लोगों मे से जो 20 प्वाइन्ट को मानने वाले लोग हैं, उनकी इसमें बड़ी मुसीबत है। हम बार-बार मजदूरों को आश्वासन दिया करते हैं कि अब खुलेगी, अब खुलेगी। मजदूर हमसे कहता है कि आप लोग झूठ बोलते है। कभी कहा जाता है कि दिल्ली में 103 मिलों को टेक–ओवर करने का जो कानून है, उसमें अमेण्डमेंट होगा, तब ये कारखाने चालू होंगे। ऐसी हालत मची है कि देखकर दुख और अफसोस होता है। सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संत सिंह यूसुफ]
का नुकसान हो रहा है। इमरजेन्सी का क्या मतलब है? एक तरफ इमरजेन्सी का मामला चल रहा है। सरकारी उद्योगों में भी यही चल रहा है। अफसरान मनमानी करते हैं। मजदूर कुछ कर नहीं पाते हैं और उनमें असन्तोष बढ़ता जा रहा है। अधिकारी भी मनमानी बात करते हैं।

आप ले-आफ के मामले को ले लें। ले-आफ के मामलों को द्विदलीय समितियां सुलझाने में असमर्थ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन-किन मिलों में ले आफ हुआ। एक तो मेसर्स राठी इस्पात लि0 जो गाजियाबाद में है यहां पर 5-11-75 से बैठकी है, हनुमान इन्जीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ में 8-11-75 से बैठकी है, सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स वैगन फैक्टरी, कानपुर में 10-10-75 से बैठकी चल रही है। एलगिन मिल कं0 लि0 नं0 2 कानपुर में 115 मजदूर बैठाये गये और जे0 के0 काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल में 71, जे0 के0 मैन्युफैक्चरर लि0 में 45 और स्वदेशी काटन मिल कं0 लि0 में 538 मजदूरों की बैठकी हो गयी है। लक्ष्मी रतन काटन मिल में 10-5-75 से और अथरटन वेस्ट एण्ड कं0 लि0 में 2-5-75 से ताला बन्दी चल रही है। काशमीर पुर पावर हाउस में 162 श्रमिकों की बैठकी कर दी गयी है। आगरा में मेसर्स इन्डो-स्वीडिस पाइप मैन्यूफैक्चरिंग नवलगंज, आगरा में 60 मजदूर 13-10-75 से, आगरा आयल मिल में 13-2-75 से, मेसर्स रतन इन्डस्ट्रीज, हाथरस रोड, आगरा में 16-10-75 से ले आफ है और 20 मजदूरों की बैठकी कर दी गयी है। मेसर्स वासन ऐण्ड कं0 बोडला, आगरा में 18-10-75 से ले आफ है और 20 मजदूरों की बैठकी की गयी है। मेसर्स ताज टैनरीज, ताजगंज, आगरा में 12-9-75 से ले आफ है और 12 मजदूरों की बैठकी कर दी गयी है। मेसर्स आगरा टिन फैक्टरी, बेलनगंज, आगरा में 50 मजदूरों की बैठकी कर दी गयी है। मेसर्स बी0 पी0 टिन फैक्टरी, मैथन आगरा में 15 मजदूरों की बैठकी 15-10-75 से है, मेसर्स बुडवन टिन कनिस्तर फैक्टरी में 28-10-75 से 15 मजदूरों की बैठकी है। कलेक्टरेट, आगरा में क्लास फोर के 13 कर्मचारियों की बैठकी कर दी गयी है। नगरपालिका, अचनेना में 17 मजदूरों को निकाल दिया गया है। राठी उद्योग लि0 में 16 नवम्बर, 1975 से ले आफ है, ड्रिल मेक लि0, गाजियाबाद में 12-5-75 से ले आफ है और दुर्गा इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद में सितम्बर, 1975 से ले आफ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उनकी संख्या भी बता देना चाहता हूं जो मजदूर रिट्रेन्च कर दिए गये हैं।

1—इलेक्ट्रिक मेन्टेनेन्स सर्किल, आगरा	..	16 मजदूर निकाले गये
2—मेसर्स इन्डो स्वदेशी पाइप मेन्युफैक्चरिंग	..	22 ,, ,,
3—मेसर्स मार्डन टिन प्रिन्टर एन्ड फैबरीकेटर्स	..	18 ,, ,,
4—मेसर्स वियरसन ऐन्ड कम्पनी। ओडला, आगरा	..	50 ,, ,,
5—मेसर्स हिन्द लैम्प्स, शिकोहाबाद	.. ..	168 ,, ,,

और टर्मिनेशन आफ सर्विस, जैसे सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्डस्ट्रीज है और एक मैटल इन्डस्ट्री, दयालबाग में है, 5 आयल मिल्स हैं, आगरा बगैरह में। इसी प्रकार से एक बहुत लम्बी लिस्ट है जहां पर आदमियों की छटनी भी हो रही है और ले आफ का मामला भी चल रहा है, पहले से ज्यादा चल रहा है। सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं है। मेरा मतलब व्यक्तिगत मंत्री जी से नहीं है, सरकार की पालीसीज से है। सरकार ने यह समझ लिया है कि जब हमारे साथ मिल मालिक कोआपरेशन कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, वैसा ही ये भी कर रहे हैं तो बहुत से बुन्यादी मामलों में गड़बड़ हो जाती है। इमरजेन्सी के लागू होने के बावजूद भी मिल मालिक सरकार की एक बात भी नहीं कर रहे हैं।

आपने एक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेन्ट योजना बनाई है। यहां पर ऐसे मामलों में जल्दी से बहस मुबाहिसा हो जाती और कभी हुआ भी तो छोटा-मोटा मामला निकल आता है। सरकार ने आर्डर किया कि फलां तारीख तक यह योजना लागू हो जाय, लेकिन वह बिल्कुल भी फंकशन नहीं करती है। कुछ कारखानों में तो बनी ही नहीं। जो 3 संगठन आल इंण्डिया बेसिस पर हैं.....

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, म इस सारे बजट में इन मदों पर ही बोलता हूं और कट मोशन पेश करने वाले को तो यों भी अधिक समय दिया जाता है, तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे कुछ थोड़ा और समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस ग्रान्ट को 4 बजे तक समाप्त करना है। इस विषय पर और दूसरे बहुत से माननीय सदस्य भी अपने-अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अतः मैं चाहूंगा कि यदि आप थोड़े समय में ही अपनी बात समाप्त कर दें, तो बहुत अच्छा हो।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

तो मान्यवर, मैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेन्ट के बारे में बोल रहा था। बहुत जगहों पर इसे अपने मनमाने ढंग से करते हैं, कुछ जगहों पर तो मीटिंग तक नहीं हुई हैं और हुई भी तो चाय का कप पी कर चलते बनते हैं। यह भी एक आध जगह पर ही हुआ है, अन्य में तो हुआ ही नहीं। इसमें वे जिसको चाहते हैं, ले लेते हैं। यह भी तय हुआ है कि आल इण्डिया बेसिस पर हमारी जो यूनियन्स हैं, जैसे इन्टक है, आई० एन० टी० यू० सी० है, आदि-आदि उनके नुमाइन्दे भी इनमें लिए जायेंगे। कई जगहों पर तो लिये गये जैसे नवाबगंज शुगर मिल में तो लिए गये लेकिन कनौडिया केमिकल्स, मिर्जापुर में नहीं लिए गये हैं। अब यहां यूनियन जो ए० आई० टी० यू० सी० की रजिस्टर्ड है, मिल मालिक ने कहा कि लेबर कमिश्नर की चिट्ठी आ गयी। इसमें पार्टिसिपेशन आफ मैनेजमेन्ट की बात नहीं है, किसी को मत करो। लेबर कमिश्नर को मैं जानता हूं, वह हरकत नहीं कर सकते। यह मिल मालिक की बदमाशी है कि पिक एंड जज। इसी तरह से और जगह एक शुगर मिल है और गांधी आश्रम, मेरठ में है। इस तरह से 10–12 फैक्टरीज के नाम मेरे पास है। जिस यूनियन को चाहा बुला लिया और खास तौर से इनमें ए० आई० टी० यू० सी० के रेप्रेजेन्टिव नहीं बुलाये। सीतापुर में प्लाई वुड फैक्टरी में नई यूनियन मिल मालिक ने बनवा ली और पुरानी यूनियन जिसके साथ 80 परसेन्ट आदमी हैं जिसका झगड़ा रोज राजमंगल पांडेय के पास आदमियों का पंच निर्णय के लिये पड़ा है। वहां 80 परसेन्ट ए० आई० टी० यू० सी० के आदमी हैं। उसमें भी नहीं किया। इसलिये मालिक के बारे में जो आपकी धारणा है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरी अपनी राय यह है कि मालिक इमरजेंसी का फायदा उठा रहा है और वर्कर्स से ज्यादा पैदावार लेना चाहता है और मुनाफा कमा रहा है। पाठक जी कह रहे थे कि मजदूर को शेयर मिलना चाहिये। तो मजदूर को शेयर मिलना–मिलाना कैसे होगा, आगे चल कर पता चलगा, लेकिन अभी तक तो मामला गड़बड़ ही है। इसलिये मैं दो तीन बातें और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा।

[श्री संत सिंह यूसुफ]

दूसरे यह कि इन चीजों के अलावा लेबरर्स के लिये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो क्वार्टर्स बने हैं उनमें पानी जाता नहीं है और पानी का चार्ज किराये से ज्यादा होता है। कई बार लोग जानकारी के लिये आये, मंत्री जी से भी मिले, लेकिन पानी का इतजाम नहीं हुआ। तीसरे, पिछले सेशन में मैंने कहा था कि लेबर क्वार्टर्स माननीय मंत्री जी, जैसे मैं रहता हूं जब खाली करके जाऊंगा तो 5 हजार से लेकर 15 हजार तक पगड़ी पर बेचकर जाऊंगा। सरकार क्यों नहीं कोई कानून बना देती ? सरकारी प्रापर्टी को मैं बेचकर चला जाता हूं, न मेरे खिलाफ जो बेचने वाला है उसका कुछ होता है और न खरीदने वाले के खिलाफ। बिक रहे हैं 5 से लेकर 15 हजार तक। इसमें कुछ रुकावट पड़ी थी जब यह कर दिया गया था कि जो खरीदेगा उसके ऊपर दुगना किराया और फिर खरीदेगा तो तिगुना किराया। थोड़ा सा मामला रुका था। तो इसको ठीक कराया जाय। यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी गड़बड़ है। गोरखपुर में रेलवे लेबर यूनियन है, बाकायदा रजिस्टर्ड। उनका चुनाव हुआ और वह उन्होंने रजिस्ट्रार के पास भेज देने के लिए कहा। दूसरी जो राइवल यूनियन जोकि रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है उनके आल इंडिया लीडर हैं रेलवे के फरनांडिस, उस यूनियन को थोप दिया और उसके बाद अब इन्क्वायरी के बाद उन्होंने इलेक्शन भेजा और दूसरी यूनियन ने रखा लिया। उस सब के लिए पेपर्स गए। माननीय मन्त्री जी के पास हैं। वह कल कह आए थे उनसे कि आज पहुंच जायगा। अगर वह लिख कर दे दें कि मुकदमा चल रहा है इसलिए यह नहीं हो सकता तो उनके खिलाफ कन्टेम्ट आफ कोर्ट का मामला शुरू हो जाय। डिप्टी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो है उसके खिलाफ मैंने यहां मामला उठाया तो वह बदल गया, लेकिन फिर वह न जाने कैसे आ गया। वह पैसा खाता है। वह आपके आने से पहले ही आ गया था। मालूम नहीं किस के जरिए से आ गया।

श्री उपाध्यक्ष—

समाप्त करने की कृपा करें।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

कुछ इन्डस्ट्रीज में मिनिमम वेजेज का सवाल है। एक तो होटल इन्डस्ट्री है, एक कांस्ट्रक्शन वर्क्स का है और तीसरे बेकरी का है। कानपुर अन्नपूर्णा बेकरी में 4-5 सौ आदमी काम करते हैं। वह खूब पैसा कमा रही है। मिनिमम वेजेज कुछ तय हुए थे लेकिन वह लागू नहीं हुए। तो आप इन इन्डस्ट्रीज में मिनिमम वेजेज की बात कीजिए।

अन्त में मैं इतनी बात कह कर खत्म करूंगा कि जब तक मालिक के ऊपर थोड़ा सा अंकुश नहीं रखिएगा तब तक मामला ठीक नहीं हो पाएगा। आपने इमरजेन्सी में कहीं मजदूर ने गड़बड़ किया तो फौरन डी0 आई0 आर0 में पकड़ लिया। 8 महीने तक जयपुरिया ने पैसा नहीं दिया, ले आफ किए हुए बैठे हैं। तो कम से कम एक को तो भगवान के लिए बन्द कर दिया होता तो हमको भी कहने को रहता और मजदूर को भी संतोष हो जाता कि सरकार इन्साफ करती है, खाली मालिक के साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। कुछ समस्यायें झांसी जिले की हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहली समस्या यह है कि जो बिजली के बिल बनते हैं कम्प्यूटर के द्वारा उनकी स्थिति यह है कि 50 का बिल है तो 500 छपता है 500 का है तो 5,000 का छपता है, 60 का है तो 600 का छपता है और 600 का ह तो 6,000 का छपता है और 6,000 का है तो 6,000 का छपता है। इस तरह की 95 प्रतिशत शिकायतें हैं। तो या तो सही बिल छपे अथवा इस कम्प्यूटर मशीन को खतम कर दें। पहले जब क्लर्क लोग बिल बनाते थे तो शायद 1 परसेन्ट गलती होती थी, लेकिन जबसे

कम्प्यूटर बुन्देलखंड में चलाया गया है तब से 99 परसेन्ट बिल गलत आते हैं। दूसरा निवेदन यह है कि थ्रेशर के लिए जो बिजली दी जाती है वह किसान को एक दो घंटे ही मिलती है, बाकी पूरे दिन बिजली गायब हो जाती है। फिर भी किसानों से मिनिमम चार्ज कर लिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि चाहे किसान 2-4 घंटे ही बिजली ले, उसको बिजली 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, तीसरा निवेदन यह है कि जो हरिजन बस्तियां बसायी गयी हैं उनमें बिजली नहीं दी गयी है। माननीया मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि इन लोगों को बिजली पहले दी जाएगी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। झांसी जिले में दो गांव सभा हैं—कोलवा और तैंदील। इनमें लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए 20 हार्स पावर की दो मशीनें लगीं। 7 दिन बाद एक मशीन जल गयी। इनका एक का बिल आया 17,400 रुपए का और दोनों का बिल आया 34,800 रुपए का। मेरा निवेदन है कि रुपया उनसे चार्ज न किया जाय, वह उनको मुफ्त दें ताकि लिफ्ट इर्रीगेशन का काम सफलता के साथ वहां चल सके।

प्रदेश में इन्क्रोचमेन्ट को हटाने का काम किया जा रहा है। यह ठीक है, मगर हो यह रहा है कि एक को हटाया जाता है, दूसरे से 8-10 हजार रुपया लेकर वहां बसा दिया जाता है। एक से दुकान ली जाती है, दूसरे को दे दी जाती है। मेरा निवेदन है कि यह नहीं होना चाहिए। जो दुकाने बनायी जाती हैं वे साधन सम्पन्न लोगों को ही दे दी जाती हैं। जो पहले से काम कर रहे होते हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पातीं। इस पगड़ी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। मिनिमम रेट्स पर दुकानें दी जानी चाहिए।

एक निवेदन यह है कि बुन्देलखंड में सीवर योजना लागू की जाय जिससे कि नगरों में सफायी रह सके और मेहतर लोग जो सर पर मैला ढोते हैं उससे उनको छुटकारा मिल सके। एक निवेदन यह है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र टाउन एरिया रानीपुर में और पंगरा ब्लाक जिसमें 62 गांव सभायें हैं वहां नल स्कीम को पूरी तरह लागू किया जाय।

मान्यवर, झांसी नगरपालिका में सीपरी बाजार में एक पानी की टंकी बनायी गयी शहर में पानी देने के लिए। भूतपूर्व माननीय स्वशासन मन्त्री जी उसका उद्घाटन भी कर आए, मगर दूसरे दिन जब टोटी खोली गयी तो एक बूंद पानी भी नहीं निकला। जो पाइप लाइन बिछाई गयी थी वह खाली पेपर में ही थी, जमीन पर एक इंच भी नहीं बिछी थी और उसका पेमेन्ट तक ठेकेदार को कर दिया गया। ऐसे फ्राड करने वालों को सख्त सजा दी जाय।

मान्यवर, मेरा सातवां निवेदन यह है कि जिन नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं का काम अच्छा चल रहा हो, उन सबका टाइम तो आप और बढ़ावें और जिनका काम अच्छा न हो, जहां भ्रष्टाचार पनपा हो, जिन्होंने टाइम पर लोगों को तनख्वाह न दी हो, एजूकेशन का ग्रान्ट लेकर उसे सड़क में लगा दिया हो या सड़क का ग्रान्ट लेकर एजूकेशन में लगा दिया है इस तरह की अनियमितायें जहां बरती गयीं हों, उन नगरपालिकाओं का टाइम कतई न बढ़ावें।

साथ ही एक दूसरी बात यह कि रोजगार देने के सम्बन्ध में जो इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में लड़कों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां की हालत यह है कि किन हरिजन लड़कों का नाम 3-3 और 4-4 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया है उनका नाम तो नहीं निकलता है

[श्रीमती बेनी बाई]

और दो चार दिन पहले जो नाम लिखा आते हैं उनका नाम निकल आता है। आखिर इसको अब क्या कहूं ? कहते हुए भी लज्जा आती है। जब क्वालिफाइड छात्र चाहे वे सवर्ण हों या हरिजन हों, यदि 3-4 साल पहले का नाम रजिस्टर्ड है तो उनका नाम ही पहले निकलना चाहिए न कि दो चार दिन पहले लिखा आने वाले छात्र का। इसलिए माननीया मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि इस अव्यवस्था को आप कृपा करके दूर करें।

आठवां निवेदन यह है कि आज प्रदेश के अन्दर जो जल निगम बना है और बुन्देलखंड के लिये जल संस्थान बनी है, उनमें भी एम0 एल0 ए0 को पदेन सदस्य बनाने की कृपा करें। जिस प्रकार जिला परिषदों में एम0 एल0ए0 पदेन सदस्य हैं और उसी प्रकार जिसके निर्वाचन क्षेत्र में नगरपालिका हो, वहां के एम0 एल0 ए0 को भी पदेन सदस्य बनाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ माननीया मन्त्री जी ने जो अनुदान इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कुछ सुझाव देने के पहले मैं विद्युत मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश में जो 2145 मेगावाट की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी थी उसमें से लगभग 1800 मेगावाट बिजली पैदा करके दिखला दी। यह उनका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है और जिन्होंने भी ऐसे पावर हाउस में यह कार्य किया है, वे तथा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहक है। साथ ही मैं एक दूसरी बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष का एक बयान पढ़ा था कि हमने बहुत सी जगहों पर इनस्टाल्ड कैपेसिटी के बराबर बिजली पैदा हुई है। जहां बिजली का उत्पादन बढ़ता हुआ देख कर खुशी होती है, इसके साथ ही वहा पर मैं माननीया मन्त्री जी को चेतावनी देता हूं कि जहां इनस्टाल्ड कैपेसिटी के बराबर बिजली पैदा की जाएगी, तो वहां पर ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना है। मेरी इस प्रकार की भावना को स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी अच्छी तरह समझेगा कि ज्यादा उत्पादन होना चाहिए लेकिन 90-95 प्रतिशत इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का उत्पादन होने पर खतरा भी दिखलायी पड़ता है।

माननीया मन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि कासिमपुर पावर हाउस को नेशनल एवार्ड मिला है। यह बड़ी खुशी की बात है। कासिमपुर पावर हाउस के मजदूरों की एक न्यायोचित मांग है कि वहां जो धुंआ निकलता है उससे जो राख इकट्ठी होती है उसको रोकने के लिए कोई प्रबन्ध किया जाय। वहां के मजदूरों, कारीगरों, इन्जीनियरों, सबकी आबादी वहीं पर है। उनका सुझाव है कि उनके लिए डस्ट कलेक्टर लगवाने की व्यवस्था की जाय। एक-एक यूनिट में शायद 3-4 लाख रुपया लगेगा। सरकार को चाहिए कि जिन मजदूरों ने, इन्जीनियरों ने इतना प्रशंसनीय कार्य किया है कि कासिमपुर पावर हाउस को नेशनल एवार्ड मिला है। उनकी इस मांग को फौरन ही स्वीकार कर लेना चाहिए और डस्ट कलेक्टर लगा देना चाहिए। यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है। इसके अलावा यह जो माननीया मन्त्री जी ने घोषणा की है, उसे सुनकर खुशी हुयी कि उत्पादन को और बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में पिछले वर्ष करीब 536 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है और इस वर्ष का लक्ष्य 600 मेगावाट रखा गया है, यह जानकर खुशी हुयी। इस बात से जाहिर होता है कि हमारे यहां प्रदेश में जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य पांचवी पंच वर्षीय योजना में रखा गया है, लगभग ढाई हजार मेगावाट उसके करीब हम पहुंच जायेंगे। इसके साथ ही साथ मैं मन्त्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इस वक्त हमारा बिजली का महकमा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक ऐसा संगठन है, जहां तक मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं कि देश में रेलवेज के बाद उसका नम्बर आता है। इतने बड़े विभाग को देखते हुए हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि जो इम्प्लीमेन्ट्स या उपकरण हमको ठेकेदारों से खरीदने पड़ते हैं उनको बिजली बोर्ड को स्वयं अपने निजी कारखानों में बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ट्रांसफारमर्स और कुछ मशीनें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स या बड़े-बड़े कारखानों से खरीदी जाती हैं लेकिन साथ ही साथ तमाम इम्पलीमेंन्ट्स ठेकेदारों से ही खरीदे जाते हैं। ठेकेदार उसमें कुछ परसेन्टेज मुनाफा लेते हैं और साथ ही साथ अधिकारी भी कुछ परसेन्टेज लेते हैं।

मान्यवर, जहां तक धनानन्द पांडे एक्सपर्ट कमेटी बिठायी गयी थी और उसकी बहुत सी सिफारिशों को लाग् करते समय यह स्टोर परचेज का सेक्शन अलग कर दिया गया था। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ इम्प्लीमेन्ट्स और कल पूरजे जो ठेकेदारों से खरीदना जरूरी होता है, चाहे वह किसी प्रकार के इम्प्लीमेंट्स हों, वह इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड के अपने निजी कारखानों के होने चाहिए। इस तरह से मुनाफाखोरी नहीं होगी, और अफसरों में जो कमीशन लेने की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगायी जा सकेगी। साथ ही मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। जहां बिजली बोर्ड के इन्जीनियर अपने कार्य में दिलचस्पी लेते हैं, मान्यवर, मुझे 5 मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है, माननीय सदस्य जरा जल्दी कहें।

श्री ईश्वरी सिंह—

मान्यवर, कर्मचारियों के लिए बोर्ड को कोई ठोस नियम बनाने चाहिए। केवल उच्च अधिकारियों के सुझावों के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ राज्य की तरफ के स्टाइपेन्ड देकर डिप्लोमा होल्डर्स को ट्रेनिंग दी गयी और कुछ को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से स्टाइपेन्ड देकर ट्रेनिंग दी गयी। लेकिन आज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिनको राज्य की तरफ से स्टाइपेन्ड दिया गया है उन लोगों को रख रहा है और जिनको सेन्टर की तरफ से स्टाइपेन्ड दिया गया है उनको नहीं ले रहा है। हालांकि टेक्निकल क्वालीफिकेशन्स और ट्रेनिंग एक ही है और बोर्ड ने ही अपने विभिन्न केन्द्रों में उनको ट्रेनिंग दी है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना सही नहीं है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि यह भेदभाव दूर होगा। इसी प्रकार इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का सेलेक्शन, सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से हो जाता है तो किसी को तो पोस्ट कर दिया जाता है और किसी को नहीं पोस्ट किया जाता है। मुझे ऐसे फैसले याद हैं जहां हाई कोर्ट से रिइन्स्टेट कर दिया गया है। जब आपने उनको ई0 ई0 और एस0 ई0 की पोस्ट पर सेलेक्ट किया है, तो उनको पोस्ट किया जाय। किसी व्यक्ति विशेष को पोस्ट नहीं किया गया है। मेरा अभिप्राय है कि इस तरह के कर्मचारियों में विभेद करने से जो उत्पादन बढ़ाने का उत्साह है, वह भंग होगा। ऐसा करने से आपके विभाग के सामने दिक्कतें और परेशानियां पैदा होंगी।

अन्त में एक सुझाव और देना चाहता हूं। जब हमारे पास बिजली का उत्पादन इतना बढ़ रहा है तो माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि जहां कहीं भी ट्रान्समिशन

[श्री ईश्वरी सिंह]

लाइन 11 के0 वी0 या 37 के0 वी0 की है वहां के गांवों को कम से कम रोशनी के लिए कनेक्शन दे दिए जायं। इस तरह से मैं समझता हूं कि 1 लाख 12 हजार गांवों में बिजली देने का जो लक्ष्य रखा गया है उससे कहीं ज्यादा गांवों को बिजली दे सकेंगे।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने ख्यालात माननीय विद्युत् मन्त्री के सामने पेश करना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज से दो साल पहले पूरे प्रान्त में हाहाकार मचा हुआ था? वह दिन मुझे याद है कि जब इसी हाउस में मि0 एल0 बी0 तिवारी की तलाश थी और सारा का सारा हाउस परेशान हाल था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिर्फ एक आदमी के सहारे चल रहा था और वह थे मिस्टर पन्त। मगर दो साल के अन्दर जो सुधार हुआ है उसको हम यकीनन मुबारकबाद के काबिल समझते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अनियमितताएं भी हैं। केसा कानपूर अन्डरटेकिंग और हाइडिल दोनों को मिलाकर सन् 1958 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया था। 12 साल तक उन तमाम मलाजिमान को यह नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपनी नौकरियों से इस्तीफा देना पड़ेगा और नए नौकर की हैसियत से नौकरी मिलेगी। सेन्ट्रल वेज बोर्ड की सिफारिश आयी तो फौरी तौर पर सब कर्मचारियों से इस्तीफा दिलवाया गया और जो 20 फीसदी भत्ता उनको मिलता होता था काट दिया गया। इसी तरह से जो न्यूनतम सर्विस की शर्तें हैं उसकी भी कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुई। आज भी एक जैसा काम करने वालों के बीच में तनख्वाहों में भेदभाव है। जैसा केसा वालों को हाउस रेन्ट, छुट्टी, बिजली मिलती है, लेकिन यह टेक ओवर वालों को नहीं दी गयी। जो सहलियतें टेक ओवर वालों को मिलती हैं वह केसा वालों को नहीं मिलतीं। इस तरह की जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाय। जब पं० कमलापति त्रिपाठी विद्युत् मन्त्री थे तो उन्होंने वायदा किया था कि एक महीने के अन्दर वह सब कानून बन जायगा लेकिन अभी तक नहीं बना। 14 अगस्त, 1975 को भारत सरकार के श्रम मन्त्री ने दिल्ली में आल इन्डिया मीटिंग बलायी थी और उसमें तय हुआ था कि जो मजदूर 240 दिन तक लगातार काम कर चुका है उसको रेगुलर कर दिया जाय। उस मीटिंग में हमारे बालिगा साहब भी गए थे। वहां उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई ऐसा मजदूर नहीं है जबकि पांच हजार ऐसे मजदूर काम कर रहे थे। होता यह है कि जो डेली वेजेज पर काम करते हैं उनको 250 दिन पूरा नहीं करने दिया जाता और बीच में ही बिठा दिया जाता है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जब पब्लिक सेक्टर के अन्दर मजदूरों के साथ अन्याय होता है, जो लोग डेली वेजेज पर रखे जाते हैं वे लोग इस तरह से अपना हक नहीं पा सकेंगे। उनको उनका हक दिलाया जाय।

मैं यह कहूंगा कि फाइनेन्शियल हैन्डबक की धाराओं में यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय किसी चीज का तबादला कर सकते हैं लेकिन हमारे बालिगा साहब ने तरमीम की है। उससे मजदूरों का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर कर दिया गया है। इससे जो छोटे कर्मचारी हैं और बड़े कर्मचारी हैं उनके बीच में खाई पैदा हो गई है जिससे बोर्ड का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। बड़े-बड़े जो पब्लिक सेक्टर हैं उनके अन्दर तबाहियां और घपले हुए हैं। ओबरा में 3 लाख रुपए का, रामपुर में 3 लाख रुपए का, इलाहाबाद में 11 लाख रुपए का, लखीमपुर में 3 लाख का, पनकी में 4 लाख का और हरदुआगंज में 40 हजार का गबन किया गया है। ये सारे घपले हैं। इस सम्बन्ध में पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी की रिपोर्ट 1974-75 को पढ़ लिया जाय जिससे सब पता चल जाएगा। एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को 10 हजार रुपए का सामान खरीदने का हक है लेकिन वह खरीदता है 75 हजार रुपए का। इस तरह से बोर्ड को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ों रुपयों का नुक्सान करने में इन लोगों का हाथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन कमजोरियों को दूर करने की कृपा करेंगी। अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं उनका समर्थन करता हूं तथा यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है और वे बधाई के पात्र हैं। मैं विद्युत विभाग के बारे में उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने निर्बलवर्ग के लोगों के लिए उनक घरों तक विद्युत् लाइन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यही नहीं उनके घरों में वायरिंग करके बत्ती तक लगवाने का निर्णय लिया है यह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जो योजना उन्होंने रखी है उसका उद्देश्य बड़ा सुन्दर है और उनका उद्देश्य झोपड़ियों के अन्धेरे में भी प्रकाश का पहुंचाना है परन्तु मान्यवर जहां पर मिट्टी के तेल के दीपक तक को जलाने की भी क्षमता नहीं है वहां वे कैस वर्तमान दर पर विद्युत् का बिल अदा कर सकेंगे। वे बिल का भुगतान कर सकेंगे इसमें सन्देह ही है। इसलिए मैं यह सुझाव रखूंगा कि इन निर्बल वर्ग के लोगों को आधी दर पर बिजली देने की कृपा करें। हमारे प्रदेश में सरकार ने बड़े-बड़े मिल वालों जैसे कि हिन्डालको जैसे कारखाने को बहुत ही कम मूल्य पर बिजली दे रखी है जिससे कि सरकार को उत्पादन दर से भी कम मूल्य पर उनको बिजली देने में करोड़ों रुपए का घाटा होता है। इसी प्रकार से हमारी सरकार इस बारे में भी कोई नियम बना सकती है कि निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आधी दर पर वह बिजली देने का कोई प्राविधान करेगी। जिससे बराबर उनकी झोपड़ियां प्रकाश से आलोकित रहें।

माननीय मन्त्री ने कहा कि ट्रान्सफारमर्स जो चोरी चले गए हैं अथवा बिगड़े पड़े हैं उनको विभाग द्वारा सूचना मिलने पर 72 घंटे के अन्दर रिप्लेस कर दिया जायगा। यह निर्णय बहुत अच्छा है लेकिन कई स्थानों पर मैं यह देख रहा हूं कि जो ट्रान्सफारमर्स चोरी चले गए हैं अथवा बिगड़े पड़े हैं विभाग के लोग कोई सुनवाई नहीं करते। हम लोगों के पास काश्तकार आते हैं और शिकायत करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि ट्रान्सफारमर्स हैं ही नहीं। अब अगर ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है तो अधिकारियों को सख्ती से व कड़ाई से निर्देश कर दिया जाय कि ट्रान्सफारमर्स जो बिगड़े पड़े हैं उनको तुरन्त सुधारा जाय और 72 घंटे की जो घोषणा सदन में की गयी है उसका पालन किया जाय। एक चीज यह भी है कि हमारे यहां महीने, दो महीने ट्रान्सफारमर्स गायब रहे, उपभोक्ता को विद्युत् उपलब्ध नहीं हो पाई लेकिन इसके बावजूद 15 रुपए प्रति हार्स पावर के हिसाब से उनको बिल मिलते रहे और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। मैंने मुख्य सचिव से एक बार बात की थी और उन्होंने वायदा किया था कि ऐसे निर्देश अधिकारियों को हो जाएंगे कि जितने दिन उनको बिजली की पूर्ति नहीं की गयी है या जितने दिन ट्रान्सफारमर्स गायब रहे, अथवा बिगड़े पड़े रहे उतने दिन काट कर बिलों में एडजस्ट करके भुगतान लिया जायगा। इस पर अमल कराया जाय। यह निर्णय भी बहुत अच्छा है कि तहसील हेडक्वार्टर पर बिजली के अधिकारी उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को सुनने जाएंगे और उनका निराकरण करेंगे ताकि उपभोक्ता को विशेष भाग-दौड़ न करनी पड़। इसकी देखरेख कड़ाई से होनी चाहिए ताकि इस निर्देश का पालन हो सके।

[श्री राम औतार सिंह भदौरिया]

जहां तक स्वायत्त शासन विभाग का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करूंगा कि कानपुर में, जो महानगर है, माल रोड अथवा जहां अच्छे-अच्छे इलाके हैं वहां तो सड़कें ठीक रहती हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में कारपोरेशन की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। उन सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल है और सवारी लेकर जाना तो असम्भव ही है। दो सड़कों का मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। एक सड़क चकेरी से गौरैया को जाती है। इस सड़क की डामर ही नहीं गिट्टी तथा सीलिंग की ईंट तक उखड़ गयी हैं और जो बराबर में कच्ची जमीन पड़ी हुई है उससे ही लोग तथा सवारी निकलती हैं और वह सड़क बेकार पड़ी हुई है। इसी तरह से रामदेवी चौराहे से सनिगवां गांव तक जो सड़क जाती है वह टूटी हुई है और कतई आवागमन के योग्य नहीं है? थोड़ा सा निवेदन मैं श्रम नीति के सम्बन्ध में करना चाहूंगा। मैं देहाती अंचल से आता हूं। कृषि के मजदूरों के सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी के सम्मुख एक सुझाव रखना चाहता हूं। आपने इस सम्बन्ध में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और उनकी मजदूरी निर्धारित कर दी है लेकिन काफी हद तक लोग इसका उल्लंघन करते हैं। मुझे तो सूचना यहां तक है कि उनको तो, तीन अथवा चार रुपए रोज से अधिक मजदूरी नहीं मिल पाती है। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध जिनका शोषण होता है और वे निर्बल वर्ग से आते हैं, अपनी शिकायतें हेडक्वार्टर में नहीं कर पाते हैं। मेरा सुझाव है कि जिले के किसी अधिकारी को इसी काम के लिए नियुक्त कर दिया जाय जो इस बात को देखे कि जहां इस तरह की गड़बड़ियां हैं उनमें कैसे सुधार किया जा सके? इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज से कुछ साल पहले ट्यूबवेल किसानों को कुछ सुविधायें दी गई थीं। किसान अपने ट्यूबवेल पर 3 बल्ब जला लेता था और साथ ही साथ थ्रेशर भी चलाने का आदेश उसको था। ये सुविधायें अब उसकी समाप्त कर दी गई हैं। पहले किसानों और सरकार के बीच में 5 वर्ष का शर्तनामा होता था और उसमें किसान सरकार की सारी शर्तों को पूरा करता था। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर जब वह पूरी शर्तें समाप्त कर लेता था तो किसानों के ऊपर यह निर्भर होता था कि वह अपने ट्यूबवेल की लाइन चाहे तो कटवा ले अथवा हार्स पावर को घटा बढ़ा सकता था। ये सुविधायें इसलिए भी थीं कि 5 वर्ष का जो शर्तनामा था उसमें सरकार का जो खर्चा होता था खम्भे आदि का, वह पूरा हो जाता था। वह सारी शर्तें किसान की समाप्त कर दी गई हैं और इधर कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं जो किसानों के लिए अहितकर सिद्ध हो रहे हैं। पहले जो 3 रुपया प्रति हार्स पावर की दर से किसानों को देनी पड़ती थी उसकी जगह पर अब 15 रुपया प्रति हार्स पावर कर दी गई है। साथ ही साथ बिजली जो लाइट के लिए दी जाती थी 3 रुपया प्रति माह की दर से वह अब 6 रुपया प्रतिमाह की दर से कर दी गई है। इसलिए लाइट को बढ़ाने अथवा कटवाने का खर्च जो पहले 6 रुपया था वह अब लगभग 30 रुपया हो गया है। इस प्रकार जो आदेश मौजूदा लागू कर दिए गए हैं उससे किसानों के ऊपर अधिक भार पड़ गया है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस दिशा में विभाग का जो आर्थिक घाटा हुआ है उसकी तरफ ले जाना चाहूंगी। विभाग के खम्भे, तार, ट्रान्सफारमर आदि की जो चोरियां हुई हैं उसमें विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ है। ये चीजें बाजारों में आधे दामों पर बिकी हैं। इससे विभाग को काफी घाटा पहुंचा है। मैं भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यह जो बातें हमने कहीं हैं उसकी अगर सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी जाय तो हम समय पर उसका प्रमाण दे सकते हैं। अधिक भार पड़ने के कारण किसानों की खेती पर और देश के उत्पादन में जो घटोत्तरी हो रही है उससे किसान चिंतित हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी कारण से बकाया धनराशि की अदायगी वह नहीं कर पा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि काफी मात्रा में किसानों की लाइनें काट दी गई हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगी कि वह किसानों की गिरती हुई दशा को देखते हुए तथा उत्पादन को देखते हुए इसके ऊपर कुछ सोचें कि उनकी हालत कैसे सुधर सकती है? विभाग द्वारा जो तरक्की के आंकड़े निकाले गए हैं उसी से किसानों के ऊपर यह भार लाद दिया गया है। यह समझ कर यह आंकड़े निकाले गए हैं कि तीन घंटे अगर साल भर बिजली जले या ट्यूब वेल चले तो इतना खर्च आएगा। मैं कहना चाहूंगी कि यह सही नहीं है। क्योंकि किसानों के ट्यूब वेल जो हैं वह साल में करीब 6 महीने चलते हैं। उसके बाद वर्षा आ जाती है और वह उसे बन्द कर देते हैं।

अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उन उद्योगपतियों की ओर ले जाना चाहती हूं जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है और वहां से स्टे ले लिया है। वह उद्योगपति आज भी पुरानी दरों पर भुगतान कर रहे हैं। लेकिन किसान गरीब है और बुद्धि की कमी के कारण वह हाई कोर्ट में जा नहीं सकता है और गरीब होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय और इसमें सुधार लाने के लिए विचार किया जाय।

आज यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहां बिजली की उत्पादन क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उस कारखानों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता जा रहा है। सरकार की यह भी मंशा है कि गरीब लोगों की हालत में भी सुधार हो, उन तक भी तरक्की पहुंच सके। गरीबों की झोपड़ियों तक भी रोशनी पहुंचे सरकार इसका प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक वह नहीं पहुंच पाई है। उनकी झोपड़ियों तक खम्भे गए हैं लेकिन अभी तक बिजली नहीं मिल पाई है। इस तरफ भी माननीया मन्त्री जी का विशेषरूप से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। इन शब्दों के साथ जो अनुदान प्रस्तुत किये गये है, उनका मैं समर्थन करती हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम, विद्युत् एवं स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी मन्त्री जी बहुत निर्भीक हैं और निर्भीकता के साथ निर्णय लेती हैं। जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं वह प्रदेश के हित में हैं। इन शब्दों के साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यूनियनों का पंजीकरण रजिस्ट्रार की कलम से नहीं होना चाहिए बल्कि वह गुप्त मतदान से बहुमत के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि मिल मालिकों के लम्बे हाथ होते हैं वे रजिस्ट्रार से मिल कर जिस यूनियन को नहीं चाहते हैं उसे रजिस्टर नहीं होने देते हैं। मेरे यहां एक यूनियन के मामले में मोहन नगर से कम से कम 50, 60 हजार रुपए खा लिए हैं। यहां सब-रजिस्ट्रार इतना ज्यादा भ्रष्ट है जिस कारण वह नौकरी में रखने लायक नहीं है उस आदमी को तत्काल बरखास्त होना चाहिए। वह आदमी जितना भ्रष्ट है इतना आज तक वहां कोई नहीं आया है।

इसके साथ-साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो फैक्टरीज इन्सपेक्टर्स और लेबर इन्सपेक्टर्स होते हैं, उन्हें जो भी शिकायतें मजदूर करते हैं, उनकी जांच करने जब वह फैक्टरी में जाते हैं, तो मजदूरों से कोई जानकारी नहीं करते हैं। वह मिल मालिक या

[श्री प्यारे लाल]

मैनेजर के पास बैठकर चाय-पानी करके चले आते हैं और केवल मिल मालिक की वकालत करते हैं। इसलिए ऐसा आप कोई नियम बनाएं कि जब ये जांच करने के लिए जाएं तो मजदूरों से भी अवश्य पूछें और उसे अपनी शिकायत सिद्ध करने का पूरा अवसर दें।

इसके साथ-साथ जो सरमायेदार प्रावीडेन्ट, एस0 आई0 या बिजली का पैसा या नगरपालिकाओं का टैक्स नहीं जमा करते हैं, उनको मीसा में बन्द करना चाहिए। आप एक-दो मिलमालिक को बन्द कर देंगे, तो गरीबों और मजदूरों की भी आस्था एमरजेन्सी में होगी। किसान या मजदूर के एक पैसा न देने पर भी कुर्की हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है। वैसे मिल मालिक और बड़े आदमियों के साथ हो तो उनकी भी आस्था एमरजेन्सी और बीस सूत्री प्रोग्राम के साथ होगी। गाजियाबाद में सहायक श्रम आयुक्त और प्राविडेन्ट फन्ड का रीजनल कार्यालय तुरन्त खोला जाए। यह भी नियम होना चाहिये कि जो भी श्रम विभाग या अन्य विभागों के चाहे कोई भी अधिकारी हों, वे मिल मालिकों के गेस्ट हाउस और कारों तथा उनके यहां की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न उनके तोहफे स्वीकार करेंगे। ऐसा होने से मजदूरों का उन अधिकारियों पर कतई विश्वास नहीं होगा।

गाजियाबाद के सुधार मन्डल के बारे में भी सुझाव देना चाहता हूं, वह जब से बना है; तब से अब तक का हिसाब यदि विधान सभा पटल पर आप रखवा दें तो बीसों करोड़ का घोटाला उसमें मिलेगा। इतना बड़ा घोटाला और कहीं नहीं होगा। उसका मकान जो आगरा में बना है, उसे गाजियाबाद के ठेकेदार ने बनवाया है। वहां से जो लोहा, सीमेन्ट आदि गायब हुआ है, वह उसकी कोठी में लगा हुआ है। इसी तरह से जो अधिशासी अभियन्ता या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अफसर हैं, उन्होंने जितने प्लाट्स गाजियाबाद में लिए हैं, उनको देखा जाए तो सिद्ध होगा कि सब भ्रष्टाचार में कमाए गए पैसे से बनवाए गए हैं। सारा पैसा भ्रष्टाचार का है, अपने पास का एक भी नहीं है। गाजियाबाद सुधार मन्डल के बजाए हाउसिंग बोर्ड कायम कर दिया जाए, तो अच्छा होगा। उससे गरीबों को मकान बनाने के लिए कर्ज मिल जाएगा। मन्डल रुपया लेकर ऊंचे किराए के लिए मकान और दूकानें बनवाता है और उन्हें किराए पर देने के लिए साथ में प्रीमियम भी वसूल करता है। हम पगड़ी की निन्दा करते हैं, तो यह कहां तक उचित हो सकता है? सस्ते मकान और दूकान हजारों की तादाद में गाजियाबाद में बनवाए जाने चाहिये, उनकी बड़ी आवश्यकता है। आज वहां खोमचे वाले, ठेले वाले और खोखे वाले, पटरी वाले हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। सुधार मन्डल की योजना सब दोष पूर्ण हैं, जिसकी वजह से वहां सस्ती दूकानें व मकान गरीबों के लिए नहीं बन पाए। वहां पर सस्ती और छोटी दूकानें, मुख्य सड़कों के किनारे बाजार बनवा दी जाए तो गरीबों का लाभ होगा और नगरपालिका के लोग जो आए दिन उनका चालान करते हैं, पुलिस वाले चालान और मारपीट कर पैसा वसूल करते हैं, वह सब बन्द हो जाएगा। उनके लिए दूकानें बनवा देंगे, तो वे भी समझेंगे कि 20 सूत्री प्रोग्राम में हमारे लिए भी कुछ हुआ है। इसके साथ ही साथ गाजियाबाद में 10 हजार मकानों के डिमालिशन के आर्डर हो गए हैं। उन मकानों को तुरन्त निर्मित किया जाए क्योंकि एक तरफ तो सरकार लोगों को मकान देने की व्यवस्था कर रही है और दूसरी तरफ मकान गिराए जाने के आदेश दे रही है। यहां पर अधिकतर हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। उन्होंने महाजनों से कर्जे लेकर इन मकानों को बनवाया है और अब उनको गिरवाया जा रहा है जिससे उन हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है।

एक दूसरी बात की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे गाजियाबाद जो लाइन पार का इलाका हैं जहां पर 50-60 हजार की आबादी है जिनका पूरा सम्बन्ध गाजियाबाद से रहता है तो इसको गाजियाबाद में मिला दिया जाए। इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाह हो गयी है और कागजात यहां पर आ गए हैं पता नहीं वह

सेक्रेटरी के यहां पर क्यों दबे हुए हैं । इन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाए। गाजियाबाद के मजदूरों के लिए जो क्वार्टर बने हैं वह ऊंट के मुह में जीरे के समान हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है । हमारा सुझाव है कि लगभग 15-16 हजार मजदूरों के लिए और क्वार्टर्स बनाए जाएं ।

अब मैं एक बात बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि बिजली के कर्मचारी लाइन को खम्भे से सीधे ले लेते हैं और उसको खुद मनमाने ढंग से जलाते हैं लेकिन उनके बिल बहुत कम आते हैं । बहुत से पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर बिजली डाइरेक्ट ले ली जाती है 24 घंटे जलायी जाती है । तो मेरा सुझाव है कि इस चीज को रोका जाना चाहिए क्योंकि उससे सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बजट का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में जो कामयाबी श्रम एवं विद्युत के कार्यों में माननीय मन्त्री जी की और उनके विभाग को मिली है उसके लिए हम उन्हें और उनके विभाग के अधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके कार्यकाल में औद्योगिक अशान्ति पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही कम रही है । 1974 में हड़ताल की संख्या 206 थी, 1975 में हड़ताल की संख्या 112 रह गयी और जो इससे मजदूर प्रभावित हुए थे उनकी संख्या में भी कमी आयी है। 1974 में 1,19,590 मजदूर प्रभावित हुए थे और 1975 में 49,101 मजदूर प्रभावित हुए। विरोधी दलों के अनुत्तर दायित्व पूर्ण रवैये के कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी और जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया उसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ा है। श्रमिकों में अनुशासन भी बढ़ा है उन्होंने आपात्कालीन स्थिति का स्वागत किया है और जो भी उनके कर्त्तव्य थे उनका सही ढंग से निर्वाह किया है । कुछ जगहों पर मालिकों ने इसका लाभ उठाया है । मैं चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि सेवायोजक अनुचित लाभ न उठा सकें । सेवायोजकों के प्रतिष्ठानों में क्षमता भर उत्पादन कराया जाय, इस पर सरकार कड़ी नजर रखे। आपके कार्यकाल में प्रबन्ध में हमारे श्रमिकों को साझेदारी मिली है। प्रदेश में 150 प्रतिष्ठानों में से 144 प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भाग लेने का अवसर मिला है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि कारखाने के मालिकों के नाजायज खर्चों को देखने के लिए इन श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मौका दिया जाना चाहिए और जो व्यर्थ का खर्च होता है, उसको रुकवाया जाय।

इस समय श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए 76 सेन्टर्स काम कर रहे हैं। इनमें श्रमिकों को मेडिकल एड, निःशुल्क शिक्षा, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स आदि की सुविधाएं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

ये तो मन्त्री जी गिना चुके हैं, आप क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री राम रतन सिंह––

तो श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि माननीय मन्त्री जी की ओर से जो आंकड़े इस बारे में पेश किए गए हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है । ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध

[श्री राम रतन सिंह]

में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वे सही नहीं हैं और जो गिनती गिनाई गई है, उससे स्पष्ट है कि जितने काम होने चाहिए थे, वे नहीं हुए हैं। इन सेन्टर्स से हमारे श्रमिकों को वांछित लाभ भी नहीं हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दें जो इस मामले में पूरी तरह से छानबीन करे। हमारी प्रार्थना है सीतापुर में एक औद्योगिक श्रमिक बस्ती बनाई जाय। हमारे प्रदेश में पहले मिनिमम वेज केवल 13 उद्योगों में लागू था अब वह 49 उद्योगों में कर दिया गया है, अच्छी बात है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि श्रमिकों के मुकदमों का निपटारा भी शीघ्रता से कराया जाय।

चीनी मिलों के वर्कर्स को 10 फरवरी को बोनस देने के आदेश हुए थे लेकिन विभाग की ढीलढाल के कारण आज तक भी उसका कोई गजट नहीं हो सका है। आपने खेतिहर मजदूरों का वेतन निर्धारित किया और बन्धक मजदूरी का भी उन्मूलन किया इसका सख्ती से पालन कराया जाय। खेतिहर मजदूरों के लिए आपने 5 1/2 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया लेकिन हमारे यहां पर प्लाई बुड फैक्टरी के मजदूरों को अभी पिछले महीने तक इतना भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से अब वहां पर राज्य श्रम मन्त्री की कृपा से 5 1/2 रुपया दैनिक मजदूरी हुई है। हम उन्हे बधाई देना चाहेंगे कि प्लाईबुड और सीतापुर के 118 छोटे बड़े तेल मिलों के श्रमिकों के वेतन और सेवा शर्तों में बड़ी असमानता है उसे सही करने के लिए सरकार समितियों का गठन करे और असमानता दूर कराए। आज श्रमिक क्षेत्र में कुछ पेशेवर लोग घुस गए हैं। जो आए दिन एक यूनियन बना लेते हैं, उनके ऊपर सरकार की ओर से रुकावट होनी चाहिए। यह न होना चाहिए कि 7 आदमियों को ढूंढ लिया और एक यूनियन बना ली। जब तक किसी कारखाने में 20 प्रतिशत सदस्य न हों तब तक यूनियन बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और न यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही होना चाहिए।

रिट्रेन्चमेंट और ले आफ के लिए केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि जिस कारखाने में 500 आदमी होंगे वहां पर बिना सरकार की स्वीकृति के ये कार्य नहीं किए जा सकते लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए श्रमिकों की संख्या केवल 300 रखी है। मेरी प्रार्थना है कि जहां पर फैक्टरी ऐक्ट लागू है, बिना श्रमिकों की तादाद की सीमा बांधे, सेवायोजकों को ऐसा करने का अवसर न दिया जाय।

अब मुझे श्रमिकों के प्रोविडेन्ट फन्ड के बारे में कहना है। इस बारे में श्रमिकों की बहुत शिकायतें हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इन श्रमिकों की प्राविडेन्ट फन्ड के बारे में जो शिकायतें हैं, उनको दूर करे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खड़ा हुआ हूं इन मांगों का समर्थन करने जो माननीया मन्त्री जी ने श्रम विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और विद्युत विभाग की पेश की हैं। यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक महत्वपूर्ण कदम अभी उठाए गए हैं जिससे इस विभाग के प्रशासन को चुस्त बनाया जा सके और स्वायत्त शासन इकाइयां अच्छा कार्य कर सकें। लेकिन आज जो स्थिति है वह बड़ी भयानक है। अधिकतर नगरपालिका, टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कुछ तो साधनों के सीमित होने के कारण कुछ अव्यवस्था के कारण। सबसे दुख की बात यह है कि सारा जोर निर्बल वर्ग की भलाई की ओर है और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें भी बढ़ीं लेकिन यह व्यवस्था नहीं हुई कि कौन से साधन नगरपालिकाओं के पास होंगे जिनसे बढ़ी हुई तनख्वाह दी जा सके? कई स्थानों पर उनकी ऐसी दशा है कि 2-2, 3-3 माह की तनख्वाह नहीं मिलती। जब इतने कमजोर वर्ग को नहीं मिलेगी तो औरों के लिए क्या कहा जा सकता है। मेरे क्षेत्र में फर्रुखाबाद में निरन्तर दो साल से न तो नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलता है और न समय से जो उनका प्राविडेन्ट फन्ड है उसमें नगरपालिका का भाग जमा होता है। बहुत से लोग तो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, दौड़ते फिरते हैं, लेकिन कोई सुनवाई

नहीं होती। आज सरकार कमजोर लोगों को कर्जे से मुक्त कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी हमारे यहां तो कर्जदारों, साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। दो महीने बाद जब तनख्वाह मिलती है तो किस्त वसूल करने वाले लाठी-डंडा लेकर पहुंच जाते हैं और 10 के 12 वसूल करते हैं। तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। नगरपालिकाओं का टर्म भी समाप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीया मन्त्री जी कोई कारगर कदम उठाएंगीं।

मान्यवर, वह बधाई की पात्र हैं कि समाज के सबसे निर्बल वर्ग की मांग उन्होंने अपने आप स्वीकार कर ली और वृद्धावस्था की पेंशन 20 की 40 कर दी और आई0टी0 आई0 के छात्रों का स्टाइपेन्ड 25 से 40 कर दिया। यह 20 सूत्री कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात है।

मान्यवर, अब तक विद्युत् परिषद् को हम सफेद हाथी कहा करते थे, लेकिन आज सौभाग्य से माननीया मन्त्री जी बालिगा साहब और उनके कर्मचारी बधाई के पात्र हैं कि उसमें इतना क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ कि आज यह विभाग आशा और विश्वास के साथ प्रगति की ओर चल रहा है। प्रगति हो नहीं सकती जब तक पर्याप्त मात्रा में विद्युत् उपलब्ध न हो। हरिजनों के घरों में प्रकाश पहुंच सके इसके लिए व्यवस्था की जा रही है और सबसे सराहनीय बात यह है कि आज घोषित किया गया कि विद्युत् विभाग के अधिकारी तहसील हेडक्वार्टर पर जाएंगे और बिलों की गलतियों को दुरुस्त करेंगे। इसका कड़ाई से कार्यान्वयन होना चाहिए। 1976-77 ईयर को आप कन्ज्यूमर ईयर के रूप में मना रहे हैं। जाहिर है कि विद्युत् परिषद् एक कामर्शियल अन्डरटेकिंग है। उसका दृष्टिकोण कन्ज्यूमर के हितों की रक्षा करना होना चाहिए। यह बात तहसीलदार के मालूम होनी चाहिए कि किस दिन विद्युत् अधिकारी आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, एक मिनट केवल। मान्यवर, अलीगढ़ एलेक्ट्रिक अन्डरटेकिंग का अधिग्रहण हुआ। वहां पर कोई कोहली साहब रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए। मेरी निश्चित जानकारी है कि उन कोहली साहब ने बड़े पैमाने पर वहां भ्रष्टाचार किया। मैं माननीया मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कोई विजिलेन्स की जांच करा कर कार्यवाही करें ताकि कोई यह न समझे कि वह चाहे जो कुछ करें उस पर कोई अंकुश नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष जी, माननीया मन्त्री जी ने जो विद्युत्, श्रम और स्थानीय निकाय के सम्बन्ध में अपना बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे कई मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है, इसके लिए माननीया मन्त्री जी बधाई की पात्र हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ विद्युत् का वितरण सही तरीके से जहां होना चाहिए वह हो, मुख्यत: ग्रामीण अंचलों में जहां विद्युत् योजना अभी नहीं है उनका सर्वेक्षण करके वहां बिजली

[श्री जगदीश अवस्थी]

भिजवायी जाय क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति तभी हो सकती है जब ग्रामीण अंचलों में यातायात और बिजली की सुविधा दी जाय। हमारे कानपुर जनपद में गंगा और जी0 टी0 रोड के बीच का इलाका आज भी खाली पड़ा हुआ है, न वहां बिजली का साधन है न यातायात के साधन हैं। जिन जिलों में बिजली नहीं पहुंच सकी है वहां का सर्वेक्षण करा के बिजली पहुंचायी जाय। इसके साथ ही साथ कानपुर नगर में जो केसा बिजली सप्लाई करती है वहां एक जगह शिकायत घर बना हुआ है। उसको विकेन्द्रित करना चाहिए। 5-6 स्थानों में शिकायत घर खोल दिए जायं, जहां जनता शिकायत कर सके।

ग्रामीण अंचलों में जो नलकूपों को बिजली देते हैं उसमें 15 रुपए मिनिमम गारन्टी रखी है। जैसे-जैसे आपका बिजली का उत्पादन बढ़ता जायगा वैसे-वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, उपभोक्ता बढ़ते जाएंगे। अच्छा तो यह हो कि जिस प्रकार से आप नगर में जो जितनी बिजली खर्च करता है उतने का यूनिट के हिसाब से आप चार्ज करते हैं वही सिस्टम ग्रामीण अंचल में होना चाहिए। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो 15 रुपए मिनिमम गारन्टी के स्थान पर 10 रुपए रखें, यह मेरा सुझाव है।

इसके अलावा जो आपके आई0 टी0 आई0 चल रहे हैं ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन बहुत जगह बिल्डिंग बनी हुई है, उतने छात्र नहीं हैं। कानपुर आई0 टी0 आई0 एशिया की सबसे बड़ी आई0 टी0 आई0 है। उसका और विस्तार होना चाहिए। वहां से जो छात्र निकलते हैं उनकी कोई जाब की गारन्टी नहीं होती है। सरकार जो पैसा उनके ऊपर खर्च करती है वह बेकार चला जाता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उन छात्रों को कम से कम जाब गारन्टी मिलनी चाहिए तभी वह प्रशिक्षण कामयाब हो सकता है। और जो पैसा खर्च होता है, उसका सदुपयोग हो सकेगा।

साथ ही साथ श्रमिकों को जो आपने मैनेजमेंट में भागीदार बनाया है यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक उनको फाइनेन्शियल मैटर्स में, बैलेन्सशीट वगैरह में उनका पार्टीसिपेशन नहीं होता तब तक मिल मालिक जो तिकड़म करते रहे हैं वह करते रहेंगे। आज जो दोहरा व्यवहार होता है कि मिल मालिकों के साथ अलग, मजदूरों के साथ अलग, यह गलत है। मिल मालिकों के साथ भी सख्ती की जानी चाहिए। इसके साथ ही सरकार को स्वदेशी काटन मिल तथा लक्ष्मीरतन काटन मिल को भी अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि मजदूरों की समस्या हल हो सके। स्थानीय निकायों में टाउन एरियाज तथा नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा बहुत खराब होती जा रही है। इस पर विचार करने के लिए सरकार को कोई कमेटी बनानी चाहिए जो जांच करके यह सुझाव दे सके कि किस प्रकार से इन निकायों को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। जहां-जहां प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां का कार्य जन-प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह मेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरठ में जब वहां की नगरपालिका जन-प्रतिनिधियों के हाथों में थी तब उस पर 4 लाख का घाटा था, सरकार ने उसमें सुधार लाने के लिए उसे अपने हाथों में लिया और आज उसमें 40 लाख का घाटा है। शहरों में जरूरियात अधिक होती है। सुधार की दृष्टि से ही सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। मगर जब से शासन ने उसकी बागडोर सम्भाली, वहां एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की, उसने इसको 40 लाख के घाटे पर ला दिया। जनता को कोई खास सुविधा भी वे नहीं दे सके। स्लम्स की दशा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी नहीं सुधरी। शहर में रहने वालों के लिए मकान की सुविधा भी नहीं दी जा सकी। जो शहरों में रहते हैं उन्हें हमें मकान देने चाहिए। सफाई आदि अन्य जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए। मगर यह कोई काम वहां नहीं हुए हैं। वहां स्लम्स को हटा कर जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिग बनने की योजना थी वह भी आज तक लागू नहीं हुई। सफाई वगैरह की ओर भी कोई खास काम नहीं किया गया। लोगों में अनुशासन की भावना जब तक नहीं आएगी, काम ठीक तरह से नहीं होगा। शहरों के अन्दर जो हमारी समस्यायें हैं वे बढ़ती जा रही हैं। चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं जिनका प्रथम कार्य सफाई करना है वे बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ विद्युत् के अन्दर जो चमत्कार हुआ है उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

पिछले बजट के वक्त यह आलोचना का शिकार था, चारों तरफ से सवालों की बौछार थी लेकिन एक साल के अन्दर जो चमत्कार उन्होंने कर दिखाया है इसके लिए हमारी माननीय मन्त्री जी बधाई की पात्र हैं और चेयरमैन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उनके साथी भी बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि यह बिजली जो वे ज्यादा दे रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन से दे रहे हैं। इसका रेट कुछ ज्यादा पड़ता है जिससे आप न तो किसानों को और न इन्डस्ट्रियल व्यापारियों को ही सन्तुष्ट कर पा रहे हैं। ज्यादा रेट होने की वजह से जो हमारे प्रान्त में सामान तैयार होता है उसे हम दूसरे प्रान्तों के मुकाबले कम रेट पर नहीं बेच पाते हैं। क्योंकि बिजली पर बहुत खर्च आता हैं। तो माननीया मन्त्री जी इस पर भी ध्यान देने की कृपा करें।

श्रम के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। प्रान्त में जितनी इन्डस्ट्रीज हैं उसका करीब एक तिहाई इन्डस्ट्रीज हमारे मेरठ में हैं। मेरठ में जो 1 हजार इन्डस्ट्रीज हैं उनमें 11 स्ट्राइक्स इस इमरजेन्सी के पीरियड में हुई। इस संस्था की तरफ भी डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। श्रम विभाग को समझना चाहिए कि वहां कोई टाटा, बिरला नहीं बसते हैं। छोटी इन्डस्ट्रीज वाले ही वहां रहते हैं। अगर इन्डस्ट्रीज वालों की कोई गलती है तो उसको सुधारा जाय और अगर श्रम विभाग यह देखे कि मजदूरों की गलती है तो मैं नहीं समझता कि क्यों उनके मामले को हल नहीं किया जाता? अगर कोई इन्डस्ट्री तनख्वाह देने के काबिल न हो अपने इम्प्लाइज को तो उसका भी निवारण होना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्रम मन्त्री जी का ध्यान इस समस्या की तरफ भी जाएगा कि किस तरह से इसे हल किया जा सकता है।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए ही नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि बीस सूत्री कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जो उन्होंने पोजीटिव स्टेटस लिए हैं, उसके लिए उनको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन में जहां और कई चीजों की चर्चा आयी, मजदूरों के पार्टिसिपेशन स्कीम की बात भी आयी। माननीय मन्त्री जी ने खेतिहर मजदूरों के साथ-साथ अन्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दिया है। इसके अलावा मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इलाहाबाद में अभी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

अभी जीप फ्लैश लाइट कम्पनी के मैनेजमेंट ने ले आफ डिक्लेयर कर दिया था, उसको माननीया मन्त्री जी ने इल्लीगल करार दिलाया और डिप्टी लेबर कमिश्नर के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जिन्होंने इस तरह की इजाजत दी थी। जैसा कि अभी हमारे साथी यूसुफ साहब ने कहा था, मैं उनकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि एक शुगर मिल के प्रोप्राइटर श्री झुनझुनवाला को डी0 आई0 आर0 के अन्दर जेल में बन्द करने का श्रीगणेश हमारी माननीया मन्त्री जी ने ही किया है। क्या समाजवाद केवल कहने से आ सकता है? लक्ष्मी रतन काटन मिल बन्द है जिसकी वजह से 3 हजार मजदूर बेकार हैं, कानपुर के और न मालूम कितने कारखाने बन्द हैं। मेरा विश्वास है कि माननीया मन्त्री जी के नेतृत्व मे ये कारखाने जरूर खुल जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं लखनऊ के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यहां लोकल बाडीज के कुछ मामले हैं जिनको मैं बतला दूं। माननीया मन्त्री जी के नेतृत्व में एक समिति बनी थी उसने कुछ निर्णय किए हैं। इससे लोकल बाडीज को कोई निराशा नहीं होगी। एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब एस0 वी0 डी0 की गवर्नमेंट थी तो चौधरी चरण सिंह जी एक कौड़ी ले आए थे। वह कौडी थी कि सर्विसेज का प्राविंशियलाइजेशन कर देना चाहिए। उसमें ओवरसियर और सेनेटरी इन्सपेक्टर्स, इस केडर का प्रोविंशियलाइजेशन हो रहा है। आज सोचने की बात है कि एक जगह से जब वह दूसरी जगह जायेंगे तो वहां की स्थिति को देखते हुए, उनको वहां की स्थिति को समझने में एक साल लग जाता है। इसके अलावा केवाल टाउन्स में 25 परसेन्ट का एसेसमेंट टैक्स नहीं उठाया गया है। और इसलिये आज लखनऊ में एक आदमी को बहुत अधिक टैक्स देना पड़ता है। मेरा कहना है कि एक पालिसी होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से इलाहाबाद में और दूसरी जगहों में हुआ है, मौजूदा टैक्स के अन्दर कुछ ऐसा ही परिवर्तन होना चाहिए।

इन्क्रोचमेंट के बारे में यह कहना है कि जो रोड पर या रास्ते में कब्जा किए हैं उसको वहां से जरूर हटाना चाहिए। उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाज के जो गरीब लोग हैं उनको आज उजाड़ दिया जाता है और उनको दूसरी जगह भी नहीं दी जाती है। कोई शख्स इन्क्रोचमेंट के खिलाफ नहीं है लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने जो कब्जे कर लिए हैं उनको हटाने की तरफ कुछ नहीं किया गया है। अमीनाबाद पार्क में बहुत सी दूकानें बनी हैं। वे लोग हाई कोर्ट से मुकदमा भी हार गए हैं लेकिन उनके हटाने का कोई काम नहीं किया गया है। इसी तरह से गणेशगंज में इन्क्रोचमेंट नहीं हटाया गया है। लालबाग में कारपोरेशन के सामने इन्क्रोचमेंट है लेकिन उसको हटाया नहीं गया है। तो मेरा कहना है कि जो स्कीमें हैं, जो लोग हटाए जा रहे हैं उनको कोई आल्टरनेटिव प्लेस दें। आज 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर बिल बदलने चाहिए। जो आपके नियम हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। केवाल टाउन्स में नजूल की जमीनों को बड़े-बड़े धन्ना सेठों को दे दिया है। गरीब आदमी को कहीं कुछ नहीं दिया गया है। अभी लखनऊ में ही निशातगंज में दूकानों का आवंशन हुआ है। उससे आम आदमी सन्तुष्ट नहीं है। वह दुकानें आम आदमी नहीं ले सकते हैं। केवल उनको सेठ और साहूकार ही ले सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि चाहे नजूल ऐक्ट बदलना पड़े या कुछ बदलना पड़े जिस भूमि पर हरिजन रहता है, गरीब तबका रहता है और वह जमीन रास्ते में नहीं पड़ती हो, सड़क पर न पड़ती हो तो वह जमीन उसी गरीब आदमी को ही मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)---

मान्यवर, बिजली उत्पादन में प्रगति के सम्बन्ध में जो विवरण माननीया मन्त्री जी ने दिया है उसको सुनकर मैं कर्मचारियों, अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं अपने तजुर्बे से, अपने क्षेत्र के तजुर्बे से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कृषकों में,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि में जो लोग लगे हैं उनको इस विभाग से सबसे ज्यादा असंतोष है। उनके कुछ सवालों का जवाब यह विभाग नहीं दे पाता है। इसमें मैं अपने जिले की बात बतला रहा हूं। हमारे बलिया जिले में सन् 1975 में जब रबी की फसल का पीक पीरियड था उस वक्त 80 ट्रांसफारमर या तो चोरी चले गए थे या तो जल गए थे जिससे 240 नलकूप बन्द थे। उनसे सिचाई नहीं हो सकी। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया लेकिन 10-5 को छोड़कर, अधिकांश नलकूप 5—6 महीने नहीं चल सके क्योंकि ट्रान्सफारमर ठीक नहीं किए जा सके या दूसरे ट्रान्सफारमर नहीं मिल सके थे। शिकायतें तो की गयीं हैं लेकिन अब भी नीचे के कर्मचारी और जिला स्तर के कर्मचारी ठीक रास्ते पर नहीं आए हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रहुआ गांव मैं गया था। हमारे क्षेत्र का वह एक प्रगतिशील गांव है। वहां के 36 व्यक्तिगत नलकूपों में से 18 के ट्रांसफारमर या तो चोरी चले गए थे या जल गए थे। जिससे नलकूप काम नहीं कर रहे थे। इसमें परिस्थिति से अवगत कराने पर भी ज्यादा विलम्ब किया जाता है। मैंने इतने बड़े पैमाने पर ट्रान्सफारमरों के जलने और चोरी होने के विषय में एक रिपोर्ट तत्कालीन मन्त्री जी को और मुख्य मन्त्री जी को दी थी और मैंने लिखा था कि इतने बड़े पैमाने पर जो ट्रान्सफारमरों की चोरी होने की शिकायतें हैं यह बगैर विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ के नहीं हो सकता और इसमें सी0 बी0 आई0 की जांच होनी चाहिए। चूंकि समय की कमी है तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। सात-आठ वर्ष से जो कटे हुए कनेक्शन हैं उन पर भी बिजली का चार्ज लगाया जाता है तो वह माफ होना चाहिए। इससे किसानों में बहुत रोष और असन्तोष है। जिन किसानों को बिजली सप्लाई नहीं की गई और उनकी फसल बरबाद हो गयी तो उन पर बिजली का चार्ज नहीं लगना चाहिए। 15 हार्स पावर की जो दर है यह कम होनी चाहिए। खासकर उस क्षेत्र में जो फ्लड इफेक्टेड हैं और जहां चार छै महीने ही बिजली का प्रयोग होता है यहां भी पूरा चार्ज किया जाता है तो यह नहीं होना चाहिए अगर यह होता रहा तो किसान लाचार होगा और वह सोचेगा कि ट्यूबवेल बन्द कर दिया जाय। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। लाइन खराब हो जाती है और बिजली सप्लाई में देर होती है तो मेरा सुझाव है कि जो सामान और यन्त्र चाहिए वह सब स्टेशन पर रहें क्योंकि जिले से सामान आने में दस पांच दिन लग जाते हैं इसी प्रकार से जहां तक बिलिंग की बात है तो बिल बहुत गलत बनाए जा रहे हैं।

हमारे क्षेत्र का एक गांव मिल्की है। वहां एक आदमी का 10 हजार का बिल बनाया गया। उस पर दो ढाई हजार बकाया था। इस तरह का अधिकारियों का जो रवैया है यह बहुत गलत है। जनता परेशान होती है। इससे हम भी बदनाम होते हैं और शासन की लोकप्रियता पर भी धक्का लगता है। इसलिए बिजली कर्मचारियों के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे प्रशासन को इस तरह से स्ट्रीम लाइन करें जिससे कि जनता के बीच जो दिक्कतें हैं उनको देखें और हल करें। लोग जिला स्तर पर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। गलत बिलिंग होती है। छः वर्ष से कनेक्शन कटा हुआ है तब भी बिल बन रहा है तो यह धांधली बन्द होनी चाहिए। इसी तरह से ट्रान्सफारमर्स की बात है। उसमें भी पैसा चलता है। जो आदमी पांच सौ रुपया दे देता है उसका ट्रान्सफारमर लग जाता है नहीं तो ट्यूबवेल बन्द रहता है। विभाग के इन सब मामलों को ठीक करना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि माननीय मन्त्री जी ने उधर कुछ कदम उठाया है और उससे कुछ सुधार होने की आशा की जाती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया और अपने सुझाव दिए। माननीय सदस्यों ने साधारणतः विद्युत् विभाग की प्रशंसा की और हमारे विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया जो दिन रात एक करके इस प्रदेश में विद्युत् उत्पादन के काम में लगे हुए हैं और इसके प्रसार में जुट कर काम कर रहे हैं। जब हमारे कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं उनकी यह सदन प्रसंशा करता है तो उससे एक अच्छी परिपाटी भी बनती है। इस बार जिस तरह से डिबेट में माननीय सदस्यों ने खुलकर उनकी प्रसंशा की उसके लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूं साथ ही साथ जो सुझाव दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रयत्न करूंगी कि मैं क्या कुछ और कर सकती हूं। दो तीन बातें हैं जिनको मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं। जब इस बात की जानकारी हमारे माननीय सदस्यों को हो जाएगी तब उनकी जो गलतफहमी है, वह भी दूर हो जाएगी।

जो हमने फिक्स्ड रेट तय कर रखा है प्रति हार्स पावर के सिलसिले में, अभी जैसा कि माननीय सदस्य, बलिया ने कहा था कि कृषकों के बीच में इससे असन्तोष है। दो एक और सदस्यों ने भी ऐसा ही कहा। मेरा अनुरोध है कि सही स्थिति को आप समझ लें और कृषकों के बीच में जाकर आप उनको समझायें तब यह सारा भ्रम दूर हो जाएगा। उनको समझाने के पूर्व वे स्वयं आश्वस्त हो जायं और उसको समझ लें तब आपको दिक्कत नहीं होगी। जो हमने 15 रुपया फिक्स्ड प्रति हार्स पावर रखा वह एक सर्वे के तौर पर रखा गया था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे यहां खरीफ और रबी दो प्रमुख सीजन हैं जिनमें किसान पानी लेता है। उसमें हमने यह देखा कि 5 हार्स पावर के ट्यूबवेल में जो कन्जम्पशन होता है वह 4,000 किलोवाट प्रति वर्ष का और प्रत्येक वर्ष वह इतना होता है। जब हमने पहले 15 रुपया टेंरिफ फिक्स नहीं किया था तो 23 पैसा पड़ता था और उसके हिसाब से जो कर आता था वह 920 रुपया प्रतिवर्ष होता था और अब अगर इस हिसाब से लेते हैं तो केवल 900 रुपया पड़ता है और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में तो वे और ज्यादा ही पानी लेते हैं

(इस समय 3 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस तरह से यह बहुत ज्यादा नहीं पड़ता बल्कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हिसाब से कन्ज्यूमर पर टोटल में कम पड़ता है। 1974 दिसम्बर से जनवरी, 1976 के बीच में अन्दाजा लगाया गया 5 हार्स पावर के पम्पिंग सेट्स पर तो पाया कि ओनर 1,200 किलोवाट आवर्स से 2,000 किलोवाट आवर्स तक पानी लेता है। 75 से 150 हार्स पावर पर हिसाब लगाया रबी के सीजन का जब 4, 5 बार पानी वह लेता है तो अन्दाज यह लगा कि 30 से 40 परसेन्ट तक टोटल कन्जम्पशन केवल रबी के वक्त पानी का होता है। माननीय सदस्या, फैजाबाद बतला रही थी कि थ्रेशर आदि के लिए रोक लगा दी गयी है तो यह बात नहीं है। 15 रुपए के साथ यह छूट दे दी है, वह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किसान को इसमें कतई घाटा नहीं है। फिर बोर्ड को लाइन वगैरह खींचने में तथा एक पम्पिंग सेट को कनेक्शन देने में 18 हजार रुपए का खर्चा पड़ता है और उतना हम किसान से लेते नहीं है। मैं माननीय सदस्यों के पास जो सर्वे हमने किया है उससे सम्बन्धित सभी आंकड़े भिजवा दूंगी उनसे वह अन्दाजा लगा लेंगे जिससे उनको किसानों को समझाने में आसानी होगी।

यह कहा गया कि यह किस्त बढ़ा दी जाय। किस्त की कोई नई बात नहीं है। एरियर की डिमान्ड काफी दिन से चली आ रही है। अक्तूबर, 1974 से यह प्रैक्टिस रही और यह हमेशा हुआ कि एक किस्त दे दी लेकिन उसके बाद की किस्तों में दिक्कतें आईं और 1970 से मार्च, 1976 तक ये किस्तें चलती रहीं। दो, तीन महीने बराबर बढ़ाते रहे। अब इधर किसान की पिछली दो तीन फसलें अच्छी हुई हैं। फिर विद्युत्

बोर्ड पर 20 करोड़ का कर्जा है। केन्द्रीय सरकार भी बराबर कह रही है कि विद्युत् परिषद् को अपनी टैरिफ बढ़ानी चाहिए। अब या तो एरियर्स वसूल किए जायं ताकि 20 करोड़ की टैरिफ की बात न सोचें नहीं तो कोई न कोई उपाय करना ही होगा और कहीं से रुपया ले कर काम चलाना होगा। बिजली देनी भी है और बिजली का खर्चा भी उठाना है। दोनों तरफ से हम उदार नहीं बन सकते। किसानों तक जो बिजली हम पहुंचाते हैं कम से कम उनसे उतनी कीमत तो आप हमको दिलवा दें। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगी कि एरियर्स की वसूली में वे हमारी मदद करें। यह चीज दिमाग से निकाल दें कि जन सेवा एरियर्स के न दिलाने में ही ज्यादा होती है। आप अपनी कांस्टीटुयेन्सी की सेवा तभी सही माने में कर सकेंगे यदि आप किसी तरह से भी इन एरियर्स को वसूल कराने में हमारी मदद कर सकें। इसको इस रूप में देखें कि विद्युत् परिषद् के पास ज्यादा पैसा आ जाय तो उससे हम गांवों में बिजली दे सकते हैं। यह तो विद्युत् परिषद् के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी।

लेबर और नगरपालिकाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उन पर गौर किया जाएगा और जो-जो क्षेत्रीय समस्यायें रखी गई हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। झांसी की एक माननीय सदस्या ने सिप्री बाजार के टैंक की योजना के बारे में कहा। अभी तक तो उसके बारे में हमें कोई कम्प्लेंट प्राप्त नहीं हुई। अब आपने बताया है, उसे देख लिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं और अनुरोध करती हूं कि कटौती का जो प्रस्ताव है उसे वापस लेकर जैसे कि सदन में अब तक अन्य ग्रान्टस् मंजूर की गई हैं उसी प्रकार इस ग्रान्ट को भी मंजूर करने की कृपा करेंगे।

श्री राम सजीवन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राम सजीवन को अपने समस्त कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री राम सजीवन के समस्त कटौती के प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,65,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च; 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदानों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,70,69,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,51,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्यो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,37,64,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम–सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,41,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,53,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,00,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,97,84,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976†

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह 1955 में अधिनियम पारित हुआ था और समय-समय पर उसकी अवधि में बढ़ोत्तरी की जाती रही है। प्रदेश सरकार खाद्यान्नों का संग्रह कर रही है और अभी ऐसी स्थिति भी नहीं पैदा हुई है कि भंडार करने की आवश्यकता न रहे। अभी इसकी आवश्यकता है और बहुत से अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को अनाज देना पड़ता है। शहरों में भी समय-समय पर अनाज वितरण करना पड़ता है इसलिए भंडारण की आवश्यकता है। इसलिये उपरोक्त विधेयक को स्थायी करने का प्रस्ताव मैं पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 को स्थायी बनाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा। — संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 की धारा 1 में, उपधारा (4) निकाल दी जायगी। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21; 1955 की धारा 1 का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

कोई संशोधन नहीं है, इसलिए प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†3 मई, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976*

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक को कुछ समय पहले ही इस सदन में आ जाना चाहिए था, पर कतिपय कारणों से यह शीघ्र नहीं आ सका। इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं कि जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उनको कुछ सुविधायें प्रदान की जा सके।

मान्यवर, एक प्राविधान यह किया गया है कि धारा 21 में, बेदखल करने से पहले मकानदार और किराएदार की आवश्यकता पर विचार करना अनिवार्य होगा। पहले मालिकान किराएदार से अधिनियम के अनुसार जिन्यून आवश्यकता का उल्लेख करके खाली करा लेते थे। यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा। उसमें नियम में प्राविधान था किन्तु अधिनियम में किराएदार के लिए प्राविधान नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि किराएदार की आवश्यकता को अधिनियम में प्राविधान किया जाय तब जाकर मकान का आवंटन होगा। इस बात को देख कर इस बात का प्राविधान किया गया है कि अगर कोई मकान मालिक किसी किराएदार को बेदखल करने की प्रार्थना करता था, तो उसकी जिन्यून नीड के साथ-साथ किराएदार की जिन्यून नीड पर भी विचार किया जाएगा, तभी उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्राविधान है। मान्यवर, एक मकान के किसी हिस्से में मकान मालिक रह रहा है और वह चाहता है कि किराएदार को निकाल दें, इस संशोधन से वह अब नहीं निकाल सकता है। अवकाश प्राप्त करने के बाद यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने मकान में जाना चाहता है, तो उसे उसको खाली करना पड़ेगा। उसे जैसे ही पता चल जाए कि वह अवकाश प्राप्त करने वाला है, वह अपने मकान में, अपनी सम्पत्तिमें चला जाएगा और उसको खाली करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण प्राविधान इसमें यह कर दिया गया है कि जो मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थायें हैं, जिला परिषदें और विकास अधिकरण हैं, इन्हें छूट दी गई है। अब तक ये संस्थायें इस रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड इवेक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत आती थीं। इस संशोधन से यह अपने ढंग से अपने मकानों की व्यवस्था कर सकेंगी। इसके साथ-साथ मन्दिर और वक्फ के बारे में संशोधन किया गया है, उनका भी जो मकान है, वह उसका दुगुना किराया तक बढ़ा सकता है। यह उनको छूट दी गई है। पहले मकान की मरम्मत के लिए एक महीने के किराए का प्राविधान था, अब उसको बढ़ाकर दो महीने का कर दिया गया है।

मान्यवर, मकान मालिक अब तक किसी को अनियमित रूप से रख लेते थे, अब वह तीन महीने तक रख सकेंगे, लेकिन उन्हें एक महीने में जिलाधीश को इसकी सूचना देनी पड़ेगी और यह अवधि बढ़ा कर 3 महीने से 6 महीने तक भी की जा सकती है। किन्तु मकान खाली कर जब वह जाएगा तो एक साल तक वह किसी को नहीं दे सकेगा, वह खाली रहेगा। कोई व्यक्ति किसी मकान में किराएदारी में रहता है और मकान मालिक छत तोड़ देता है या सीढ़ी तोड़ कर गिरा देता है तो वह भी ऐसा नहीं कर सकेगा। यदि कोई मकान-मालिक ऐसा करेगा तो उसे एक साल तक का कारावास और 5 हजार रुपया तक का अर्थदन्ड दिया जाएगा, इसमें यह प्राविधान कर दिया गया है। साथ ही किराएदार को यह अधिकार होगा कि वह अपने खर्चे पर जल-संयोजन व बिजली का कनेक्शन लगवा सकता है, किन्तु जब वह मकान छोड़ेगा तो वह उनको अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। अब तक किसी मकान में बिजली कनेक्शन नहीं होता था, तो मकान मालिक वह सुविधायें देने के लिए तैयार

---

*3 मई, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

नहीं होता था, जिससे किराएदार अपने को बहुत कठिनाई में महसूस करता था। अब उसको यह सुविधा मिल गई है--नल टूट गया है या कनेक्शन कट गया है तो वह उसे ठीक करा कर इनकी सुविधायें ले सकता है।

मान्यवर, अब तक किसी कम्पाउन्ड में अगर किसी ने कोई कारखाना लगा दिया तो उस जमीन पर रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू नहीं था, लेकिन अब कोई मकान बनाकर कारखाना शुरू करेगा तो वह इस ऐक्ट के अन्तर्गत आ जाएगा, उस पर वह लागू होगा और उसके खिलाफ कार्यवाही भी इसके तहत की जा सकती है। इन महत्वपूर्ण बातों को मैंने सदन के समक्ष रख दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस अच्छे और उपयोगी संशोधन विधेयक को यह सदन स्वीकार करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो यह संशोधन किया गया है, वह बहुत ही आवश्यक था। मान्यवर, जो मूल अधिनियम बनाया गया था, वह वास्तव में मालिकों के लिए बनाया गया था, उनके हित में बनाया गया था और उसका मकसद भी यही था कि मकान मालिकों के लिए लेजिस्लेशन लाया जाए, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। हम लोगों ने उस समय यही कहा था कि यह जो कानून ला रहे हैं उससे किराएदारों का संरक्षण नहीं होगा। मान्यवर, वह ऐक्ट पास हो गया और उस ऐक्ट के पास हो जाने के उपरान्त जगह-जगह से रिप्रजेन्टेशन आए। उस समय खाद्य-मन्त्री माननीय बेनी सिंह जी अवस्थी थे उनके पास रिप्रजेन्टेशन आए। वकीलों की तरफ से आए, कांग्रेस संगठन की तरफ से आए और किराएदारों के संगठनों की तरफ से भी आए। तब यह आवश्यक समझा गया कि नियमों में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि जो किराएदार है उनके हितों की रक्षा हो सके।

मान्यवर, जब यह नियम बनाए गए तो हमारा कहना यह था कि जो नियम बन रहे हैं वह ऐक्ट की परिधि सें बाहर बनाए जा रहे हैं। इनमें आगे चल कर संशोधन करना पड़ेगा और मान्यवर, वही हुआ जिसके कारण आज यह संशोधन विधेयक सरकार को लाना पड़ेगा। आपने नियमों में जो किराएदार को संरक्षण देने की कोशिश की है लेकिन उसका ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। उन नियमों को हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। आप इसी कारण विधेयक लाए हैं। यह किरायेदारों के पक्ष में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस विधेयक के अन्दर आपने धार्मिक संस्थानों और ट्रस्ट स को छूट दी है, यह आपने गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि ऋषिकेश के अन्दर आप जाएं और हरिद्वार के अन्दर आप जाएं तो आपको तमाम मकान और तमाम दूकानें रिलीजस ट्रस्ट के नाम पर मिलेंगी। अब आपने ऋषिकेश और हरिद्वार में इस तरह की छूट दे दी तो मथुरा में भी यही स्थिति होगी, प्रयाग में भी यही स्थिति होगी और बनारस में भी यही स्थिति होगीं। तो आपने धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और शिक्षा संस्थाओं के नाम पर जो छूट दी है उससे किराएदारों को हानि होगी और वे परेशानी में पड़ जायेंगे। आप जानते हैं कि बड़े-बड़े महन्त हैं वह धर्म करते हैं, और धर्म के नाम पर आपने उनको छूट दे दी है, इसको वापस आप लीजिए और खत्म कर दीजिए। तब कहीं जाकर आपकी मंशा पूरी होगी। मैं पुरजोर तरीके से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो किराएदारों के सम्बन्ध में उनको सुविधा देने के लिए जो विधेयक पेश किया गया है, जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ और सुविधायें दें। मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मकान मालिक प्राइवेट तरीके से किराएदार रख लेते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

और हाई चार्जेज करते हैं। रेन्ट कन्ट्रोल के अधिकारियों को यह चीज मालूम ही नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का प्राविधान करें कि किराएदार को अधिकार रहे कि रेन्ट कन्ट्रोल अधिकारियों को सूचना देकर उसको रेगुलराइज करा लें। क्योंकि मकान मालिक प्राइवेट तरीके से मकानों को किराए पर देकर अपना धन्धा चलाते हैं। मेरे शहर बलिया में यह बहुत ही प्रचलित है। रेन्ट कन्ट्रोल को खबर मिलती नहीं है और मालिक मकान अधिक किराया लेते हैं। एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास 3, 4 और 5 मकान हैं, लेकिन उनका परिवार छोटा है और वह किराएदार 30-40 वर्ष से उसमें रह रहा है। तो उन्हें मुआविजा दिलाकर वे मकान किराएदारों को दे दिए जायं और उनको मकान मालिक बना दिया जाय, तो यह अनुचित न होगा। एक आदमी जिसका परिवार बहुत छोटा हो उसके पास 5-5 और 6-6 मकान हों और दूसरी तरफ मकान के लिए लोग तरसें, मुनासिब बात नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप रूल्स में इस प्रकार का प्राविधान करें जिससे गरीब लोगों को भी मकान मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय नेगी ने जो धार्मिक संस्थाओं को इस विधेयक से पृथक कर दिया है उनके बारे में कहा है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि केवल वे संस्थायें, जो किराए से धार्मिक काम में जैसे मन्दिर आदि में व्यय करती हैं, आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुले आम किराए पर दें और उस रुपए को जो किराए के रूप में मिले, किसी अन्य व्यवसाय में लगा दें। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी है। जो भवन वे किराए पर दें उससे प्राप्त होने वाले किराए को वे उसी शिक्षण संस्था के चलाने पर व्यय करेंगे। इस प्रकार से विधेयक का जो आशय है, वह बिलकुल साफ है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में—

(क) उपधारा (1) में—

(i) खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) किसी सार्वजनिक भवन पर; या

(ख) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था की या उसमें निहित किसी ऐसे भवन पर जिसकी सम्पूर्ण आय का उपयोग ऐसी संस्था के प्रयोजनार्थ किया जाता हो;";

(ii) खंड (च) में, शब्द "किसी विश्वविद्यालय या अन्य परिनियत निकाय द्वारा अथवा" निकाल दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में—

(i) (1) शब्द, अंक और कोष्ठक, "धारा 24 की उप धारा (2)" के पहले शब्द, अंक और कोष्टक "धारा 12 की उपधारा (5), धारा 21 की उपधारा (1-क)" बड़ा दिए जायेंगे;

(ii) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण–1 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा, और इस प्रकार पुन : संख्यांकित स्पष्टीकरण–1 के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भवन का निर्माण सरकार या भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से ऋण या अग्रिम के रूप में प्राप्त निधि से सारत: किया जाय, और ऐसे ऋण या अग्रिम के प्रतिदान की अवधि, उपर्युक्त दस वर्ष की अवधि से अधिक हो, वहां इस उपधारा में दस वर्ष की अवधि के प्रति निर्देश पन्द्रह वर्ष की अवधि या ऐसे ऋण या अग्रिम (ब्याज सहित) के वास्तविक प्रतिदान के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि (जो भी कम हो) के प्रति निर्देश समझा जायगा।"

(iii) इस प्रकार पुन: सख्यांकित स्पष्टीकरण–1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—2–पद 'बैंक' का तात्पर्य निम्नलिखित से है —

(i) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी ;

(ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया, ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ इंडिया ;

(iii) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा परिभाषित सब्सिडियरी बैंक ;

(iv) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक;

(v) वित्त पोषण बैंक या केन्द्रीय बैंक (जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित है), जो भूमि विकास बैंक न हो ;

(vi) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बैंक के रूप में, गजट में अधिसूचित, कोई अन्य वित्तीय संस्था।

स्पष्टीकरण—3—यह समझा जायगा कि किसी भवन का निर्माण प्रतिबन्धात्मक खंड में उल्लिखित स्रोतों से प्राप्त निधि से सारत: किया गया है, यदि ऐसे एक या अधिक स्रोत से प्राप्त निधि निर्माण व्यय के आधे से अधिक हो।" ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था" के स्थान पर शब्द "किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था" रख दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

खंड 2 में संशोधन है।

*श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 2 (ख) के वर्तमान उपखंड (i) के स्थान पर निम्नांकित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

(i) शब्द "सिवाय धारा 24 की उपधारा (2) अथवा धारा 29 की उपधारा (3) में की गई व्यवस्था के, इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

दिनांक जब उसका निर्माण पूरा हो, दस वर्ष की अवधि में लागू न होगी," के स्थान पर पर शब्द "सिवाय धारा 12 की उपधारा (5), धारा 21 की उपधारा (1-क), धारा 24 की उपधारा (2), धारा 24-क, धारा 25-ख, धारा 25-ग या धारा 29 की उपधारा (3) में की गई व्यवस्था के, इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, दस वर्ष की अवधि में लागू न होगी" रख दिए जायं।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2(ख) के वर्तमान उपखंड (1) के स्थान पर निम्नांकित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

(i) शब्द "सिवाय धारा 24 की उपधारा (2) अथवा धारा 29 की उपधारा (3) में की गई व्यवस्था के, इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, दस वर्ष की अवधि में लागू न होगी," के स्थान पर शब्द "सिवाय धारा 12 की उपधारा (5), धारा 21 की उपधारा (1-क); धारा 24 की उपधारा (2), धारा 24-क, धारा 24-ख, धारा 24-ग या धारा 29 की उपधारा (3) में की गई व्यवस्था के, इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, दस वर्ष की अवधि में लागू न होगी।" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3

नई धारा 2-क और 2-ख का बढ़ाया जाना

2—मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ायी जायेंगी, अर्थात् —

"2-क (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, स्वामी के रूप में या किराएदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत से किसी भवन में अध्यासीन कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे 'अनुज्ञप्तिदाता कहा गया है) किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इस धारा में आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) तीन मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्णतया अस्थायी आवास स्थान में धारा 16 के अधीन प्रदेशन आदेश के बिना अध्यासन के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है :

अल्पावधि की अनुज्ञप्ति के लिए विशेष उपबन्ध

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त रूप में अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने का प्रज्ञापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भवन या उसके भाग के अध्यासन के दिनांक से एक मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसे अस्थायी अध्यासन की अधिकतम अवधि को कुल मिलाकर 6 मास तक के लिए (जिसमें अध्यासन की मूल अवधि भी सम्मिलित है) बढ़ा सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह भी है कि अन्तिम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भवन या उसका भाग खाली करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किसी अन्य को इसी प्रकार की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी।

(2) यह नहीं समझा जायगा कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी धारा 20 के प्रयोजनार्थ किरायादार है, यद्यपि वह ऐसे अध्यासन के लिए किराया देता है, या उसका देनदार है।

(3) यह नहीं समझा जायगा कि ऐसे भवन या भाग पर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का अध्यासन ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के कारण धारा 12 के अर्थानुसार समाप्त हो गया है।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खाली किए गए भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 16 के अधीन प्रदेशन मकानदार की सहमति के सिवाय नहीं करेगा।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भवन या उसका भाग खाली करने में चूक जाय या उससे इन्कार करें तो अनुज्ञप्तिदाता उसे बेदखल करने के लिए नियत प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, और तदुपरान्त नियत प्राधिकारी उसे बेदखल करने का आदेश देगा और उसका आदेश अन्तिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं दिया जायगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन दिए गए आदेश पर धारा 23 के उपबन्ध लागू होंगे मानो वह धारा 21 या धारा 22 के अधीन दिया गया आदेश है।

किराया नियन्त्रण अधिकरण का गठन

2-ख (1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक अधिकरण (जिसे किराया नियन्त्रण अधिकरण कहा जायगा) गठित कर सकती है, और इसी प्रकार ऐसा आदेश निरस्त या संशोधित कर सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी जिले में अधिकरण गठित किया जाय, वहां राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकती है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकरण, इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी समझा जायगा, और ऐसे अधिकरण के गठन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी मामले अधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, और अधिकांश के समक्ष कोई अग्रतर कार्यवाही उसी प्रक्रम से जारी रहेगी जिस प्रक्रम पर कोई मामला अन्तरित किया जाता है, और मामला अधिकरण द्वारा निस्तारित किया जायगा।"

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 2-क (1) की पंक्ति 6 में शब्द "प्रदेशन आदेश" के स्थान पर शब्द "किसी प्रदेशन आदेश" रख दिए जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 2-क(1) की पंक्ति 6 में शब्द "प्रदेशन आदेश" के स्थान पर शब्द "किसी प्रदेशन आदेश" रख दिए जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 2-ख (2) की पंक्ति 7 में शब्द "अधिकांश" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" रख दिया जाय तथा उसकी पंक्ति 8 में शब्द "अन्तरित" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार अन्तरित" रख दिए जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 2ख-(2) की पंक्ति 7 में शब्द "अधिकांश" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" रख दिया जाय तथा उसकी पंक्ति 8 में शब्द "अन्तरित" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार अन्तरित" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 4 तथा 5

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (क) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—किसी होटल या बासा, में किसी कमरे के अध्यासी को किराएदार नहीं समझा जायगा ;"

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा, अर्थात् —

"(ङ) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य सिविल न्यायिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से है जो जिला न्यायाधीश द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी की सभी या किसी शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य के प्रयोग सम्पादन तथा पालन के लिए प्राधिकृत हो, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों या मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में ऐसे भिन्न-भिन्न अधिकारियों को इस प्रकार प्राधिकृत किया जा सकता है, और जिला न्यायाधीश ऐसे किसी अधिकारी से कोई मामला वापस मंगा सकता है और उसे किसी अन्य ऐसे अधिकारी को निस्तारण के लिए अन्तरित कर सकता है ;" ;

(iii) खंड (ड) में, शब्द "टाउन एरिया कमेटी" के पश्चात् शब्द "जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरण, या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्" बढ़ाए जायेंगे ;

(iv) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिए जायेंगे, अर्थात् —

"(ढ) "सुधार" का तात्पर्य किसी भवन के सबन्ध में, उसमें कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने या किराएदार के लिए किसी नई सुख-सुविधा की व्यवस्था करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी वर्ष में की गयी ऐसी सभी मरम्मत भी है जिसका व्यय उसके दो मास के किराए की राशि से अधिक हो ;

(ण) "सार्वजनिक भवन" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार (जिसके अन्तर्गत किसी अन्य राज्य की सरकार भी है) की या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या अधिगृहीत किसी भवन, से है, और इसके अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत कोई भवन भी है;

(त) "सार्वजनिक क्षेत्र का निगम" का तात्पर्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम से है, और इसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई ऐसी कम्पनी भी है जिसमें सरकार की अंशदत्त पूंजी कम से कम पचास प्रतिशत हो; अधिनियम सं0 1, 1956

(थ) "मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था" का तात्पर्य इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन मान्यता प्राप्त या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध किसी संस्था से है ;

(द) "पूर्त संस्था" का तात्पर्य पूर्त प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी अधिष्ठापन, उपक्रम, संगठन या एसोसिएशन से है और इसके अन्तर्गत कोई विशिष्ट निबन्ध भी है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनार्थ शब्द "पूर्त प्रयोजन" के अन्तर्गत दारिद्र्य में सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और जन-साधारण के या उसके किसी भाग के लाभ या भलाई के किसी अन्य उद्देश्य का अभिवर्धन भी है, जो नितान्त धार्मिक प्रकार का न हो ;

(ध) "धार्मिक संस्था" का तात्पर्य किसी मन्दिर, मठ, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी अन्य सार्वजनिक पूजा-स्थल से है और इसमें वक्फ भी सम्मिलित है जो वक्फ अलल औलाद न हो।"

धारा 9 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

"(2-क) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट, साधारणतया उक्त दिनांक को भवन (जिसके अन्तर्गत उसका स्थल भी है) के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत प्रति वर्ष को उसका वार्षिक मानक किराया समझेगा, और मासिक मानक किराया इस प्रकार आकलित वार्षिक मानक किराए के बारहवें भाग के बराबर होगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 और 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 6

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् —

सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए वाणिज्य भवनों के किराए का पुनरीक्षण

"9-क (1) जहां किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था का कोई भवन किसी किराएदार को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के लिए किराए पर दिया गया हो, वहां इस अध्याय या किसी संविदा या पट्टा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे भवन का मकानदार भवन के लिए देय मासिक किराए का पुनरीक्षण करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, और ऐसा किराया का पुनरीक्षण किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर धनराशि तक किया जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पुनरीक्षित किराया, इस उपधारा के अधीन मकानदार द्वारा आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर देय किराये के दुगुने से अधिक नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती अन्तिम आवेदन-पत्र के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई द्वितीय या अनुवर्ती आवेदन-पत्र ग्राह्य नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित किराया आवेदन-पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किराएदारी मास के प्रारम्भ से किराएदार द्वारा देय होगा ;

(3) जहां किसी भवन का किराया उपधारा (1) के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया गया हो, वहां मकानदार अन्तिम आदेश के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन नया आवेदन-पत्र देने का हकदार न होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा में, पद "दुकान" और "वाणिज्य अधिष्ठान" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में उनके लिए दिए गए हैं।

श्री बालकृष्ण सनवाल---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 6 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 9-क की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड को निकाल दिया जाय।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 6 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 9-क की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड–7

धारा 12 का संशोधन

(7)–मूल अधिनियम की धारा 12 में —

(i) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बड़ाया जायगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण —इस उपधारा के प्रयोजनार्थ —

(क) किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भवन को अन्यथा अर्जित कर लिया गया समझा जायगा, यदि वह किराएदार, प्रदेश न गृहीता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में आवासिक प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक भवन पर अध्यासन किए हों ;

(ख) किसी किराएदार के सम्बन्ध में, पद "परिवार का कोई सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति न होगा जो सामान्यतया ऐसे किराएदार के साथ न तो रहता हो, और न उस पर पूर्णतया आश्रित हो।"

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बड़ा दी जाएंगी, अर्थात्—

"(3-क) यदि किसी आवासिक भवन के किराएदार का, जो किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के अधीन या किसी अन्य सेवायोजक के अधीन अन्तरणीय पद पर हो, किसी अन्य नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में स्थानान्तरण कर दिया गया है तो ऐसे किराएदार का ऐसे स्थानान्तरण के दिनांक के बाद पड़ने वाले जून के तीसवें दिनांक से या उस नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में, जहां उसका स्थानान्तरण किया गया हैं, उसे कोई आवास स्थान का प्रदेशन किए जाने के दिनांक से, (चाहे कोई वास स्थान इस अधिनियम के अधीन प्रदिष्ट किया जाय या सेवायोजक द्वारा किसी सरकारी वास स्थान की व्यवस्था की जाय), जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसे भवन से अध्यासन समाप्त समझा जायगा।

(3-ख) यदि किसी आवासकि भवन का किराएदार किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में, जहां उक्त भवन स्थित हो, किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन में आबन्धित है, और ऐसा आबन्ध किसी कारण से समाप्त हो जाता है, और वह किसी अन्य नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में किसी अन्य भवन का मकानदार है तो प्रथमोक्त भवन से ऐसे किरायेदार का अध्यासन उस दिनांक से, जब उसे उत्तरोक्त भवन का खाली कब्जा, चाहे धारा 21 के कार्यवाही के फलस्वरूप या अन्यथा, मिल जाय, समाप्त समझा जायगा।" ;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "(उपधारा (3), उपधारा (3-क) या उपधारा (3-ख)" रख दिए जायगे ;

(iv) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) उपधरा (3) में निर्दिष्ट कोई किराएदार, या यथास्थिति, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी

आवासकि भवन के, जिसे उसने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व किराया पर दिया हो, मकानदार के रूप में अपने किराएदार की उस भवन से बेदखली के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवेदन करने का अधिकारी होगा भले ही वह भवन ऐसा है जिस पर इस अधिनियम के शेष उपबन्ध लागू नहीं होते हैं।"

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7(ii) द्वारा बढ़ाई जाने वाली उपधारा (3-क) की पंक्ति 3 में शब्द "अन्तरणीय पद" के स्थान पर शब्द "स्थानान्तरण वाले पद" रख दिए जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 7 (ii) द्वारा बढ़ाई जाने वाली उपधारा (3-क) की पंक्ति 3 में शब्द "अन्तरणीय पद" के स्थान पर शब्द "स्थानान्तरण वाले पद" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7(ii) द्वारा बढ़ाई जाने वाली उपधारा (3-ख) की पंक्ति 6 में शब्द "कार्यवाही" के स्थान पर शब्द "अधीन कार्यवाही" रख दिए जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 7(ii) द्वारा बढ़ाई जाने वाली उपधारा (3-ख) की पंक्ति 6 में शब्द "कार्यवाही" के स्थान पर शब्द "अधीन कार्यवाही" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 7 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 8

धारा 14 का प्रतिस्थापन

8---मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :---

"14---उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी भवन या उसके भाग में अध्यासीन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, जो मकानदार के रूप में प्रविष्ट किया गया है, यह समझा जायगा कि वह विधिमान्य रीति से प्रविष्ट किया गया है और किरायादार है, यद्यपि किरायादार के रूप में इस प्रकार प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में कोई प्रदेशन आदेश इस अधिनियम के अधीन प्राप्त नहीं किया गया था।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976, के दिनांक पर बेदखली का कोई वाद या कार्यवाही (जिसमें पुराने अधिनियम की धारा 7-क के अधीन कोई कार्यवाही सम्मिलित है) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है या जिसको उक्त दिनांक के पूर्व मकानदार ने रजिस्ट्री डाक से मकान छोड़ने के लिए नोटिस दी है, मकानदार द्वारा भवन या उसके भाग में किराएदार के रूप में प्रविष्ट किया गया नहीं समझा जायगा।"

श्री बाल कृष्ण सनवाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 14 के स्थान पर निम्नांकित धारा रख दी जाय, अर्थात् —

"14—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976, के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, किसी भवन में मकानदार की सहमति से अध्यासीन (धारा 2-क के अर्थान्तर्गत) किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी किराएदार के प्रति, जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष बेदखली के लिए कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे भवन का प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या किरायेदार है।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 8 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 14 के स्थान पर निम्नांकित धारा रख दी जाय, अर्थात् —

"14—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976, के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन में मकानदार की सहमति से अध्यासीन (धारा 2-क के अर्थान्तर्गत) किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी किराएदार के प्रति, जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके विरुद्ध ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष बेदखली के लिए कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, यह समझा जायगा कि वह ऐसे भवन का प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या किराएदार है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 8 इस विधेयक का अंग मान जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 9

धारा 16 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 16 में —

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 12 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिक्ति की स्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट खंड (क) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, यथास्थिति, मकानदार या किराएदार को यह दिखलाने

का अवसर देगा कि उक्त धारा उसके मामले में आकर्षित नहीं होती है।"

(ii) उपधारा (4) में, शब्द "और किसी भी अन्य व्यक्ति ने उस पर अध्यासन कर लिया हो या अपना अध्यासन बनाए रखा हो," निकाल दिए जायेंगे ;

(iii) उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 18 के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 18 के अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुये" रखे जायेंगे ;

(iv) उपधारा (8) में, शब्द अंक और कोष्ठक "उपधारा (5) और धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "उपधारा (5) और (9), और धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए " रखे जायेंगे ;

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् —

"(9) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आदेश देते समय, प्रदेशनगृहीता से मकानदार को —

(क) जहां भवन किसी पर्वतीय म्युनिसिपैलिटी में स्थित हो, वहां वार्षिक उपधारित किराये के आधे, और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, एक मास के उपधारित किराए; के बराबर अग्रिम देने की अपेक्षा करेगा, और उसके द्वारा एक सप्ताह के भीतर भुगतान न करने पर या न देने पर प्रदेशन आदेश को विखंडित कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, पद "उपधारित किराया" का तात्पर्य किराए की उस धनराशि से है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 9 की उपधारा (2) और (2-क) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त समझे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी धनराशि उस किराये की धनराशि से कम न होगी जो अन्तिम किरायेदार द्वारा, यदि कोई हो, देय रही हो।

(10) उपधारा (9) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि जिला मजिस्ट्रेट से प्रदिष्ट भवन का उपधारित किराया निश्चित करने के पूर्व कोई साक्ष्य लेने या कोई औपचारिक जांच करने की अपेक्षा की गयी है; और प्रदेशन आदेश में उपधारित किराए के रूप में उल्लिखित धनराशि सम्बन्ध पक्षों के बीच किसी लिखित करार या धारा 9 के अधीन औपचारिक जांच के पश्चात् मानक किराया के किसी अनुवर्ती अवधारण के अधीन होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि उपधारित किराया इस प्रकार करार द्वारा या धारा 9 के अधीन आदेश द्वारा पुनरीक्षित कर दिया जाय; किरायादार प्रदेशन आदेश में विनिर्दिष्ट उपधारित किराया के अनुसार किराये का देनदार बना रहेगा, किन्तु इस प्रकार कि धारा 9 के अधीन कोई अनुवर्ती आदेश किरायेदारी के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी होगा।"

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 9(v) द्वारा बढ़ाई जाने वाली उपधारा (10) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति 2 में शब्द "पुनरीक्षित कर दिया जाय" के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षित न कर दिया जाय" रख दिए जायं।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड 9 (v) द्वारा बढ़ाई जाने वाली उपधारा (10) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति 2 में शब्द "पुनरीक्षित कर दिया जाय" के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षित न कर दिया जाय" रख दिए जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 9 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 10

धारा 17 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण उसमें बढ़ाया जायगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण—जहां मकानदार के अध्यासन में आवासीय प्रयोजन के लिए कोई भवन प्रदिष्ट किए जाने वाले भवन से (चाहे अगल बगल या उपर नीचे) सटा हुआ हो, और—

(क) दोनों भवनों के लिए प्रवेश द्वार उभयनिष्ठ हो, या रास्ता उभयनिष्ठ हो, या

(ख) दोनों भवनों के लिए सफाई की सुविधायें या अन्य आराम (जिसमें बिजली का कनेक्शन सम्मिलित नहीं है) उभयनिष्ठ हो;

वहां इस बात के होते हुए भी कि दोनों भवन स्वतन्त्र रूप के आवासीय प्रयोजन के योग्य हैं, उसको एक दूसरे का भाग इस उपधारा के प्रयोजनार्थ समझा जायगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 11

धारा 18 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् —

"(1) कोई अपील धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, चाहे वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गयी है, किन्तु उक्त धाराओं में से किसी के अधीन किसी अन्तिम आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर कर सकता है, अर्थात् :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें निहित है ;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट ने अपनें क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है ;

(1-क) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए अन्तिम आदेश की पुष्टि कर सकता है या फिर से सुनवाई के लिए मामला जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषित कर सकता है और पुनरीक्षण होने तक ऐसे आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।"

श्री बालकृष्ण सनवाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात् —

"मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी; अर्थात् —

'18—(1) कोई अपील धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, चाहे वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गई है, किन्तु उक्त धाराओं में से किसी के अधीन किसी अन्तिम आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर कर सकता है, अर्थात् —

(क) जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें विधि द्वारा निहित है ;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप में या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है ;

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए अन्तिम आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसका विखंडन कर सकता है या फिर से सुनवाई के लिए मामला जिला मैजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषित कर सकता है और पुनरीक्षण होने तक ऐसे आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझें।

स्पष्टीकरण—पुनरीक्षणार्थ आदेश में उल्लिखित प्रदेशन गृहीता से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में प्रदेशन आदेश पारित करने की या प्रदेशन आदेश पारित करने के लिए निदेश देने की शक्ति इस उपधारा के अधीन विखंडन शक्ति में सम्मिलित नहीं होगी।

(3) जहां तक धारा 16 या धारा 19 के अधीन कोई आदेश का विखंडन किया जाय, जिला मैजिस्ट्रेट, उसे तदर्थ आवेदन-पत्र दिए जाने पर, पक्षों को फिर के उसी स्थिति में रख देगा जिसमें वे ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के इस प्रकार विखंडित न होने पर होते, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।"

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय, कुछ गलतियां पहले भी हुई हैं। इसमें कुछ शाब्दिक गलती मालूम पड़ती है। शुरू में देखें—'कोई अपील धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, चाहे वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गई है....." शब्द "प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्" से क्या मतलब है। इसमें कहीं कोई शाब्दिक गलती है। इसे ठीक कर लिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

"प्रारम्भ में" का अर्थ होता है धारा के लागू होने के आरम्भ में। वैसे माननीय मन्त्री जी इसे देख लें।

प्रश्न यह है कि खंड 11 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात् —

"मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् —

18—(1) कोई अपील धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, चाहे वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात प्रारम्भ की गई है, किन्तु उक्त धाराओं में से किसी के अधीन किसी अन्तिम आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर कर सकता है, अर्थात् —

(क) जिला मैजिस्ट्रेट ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है :

(ख) जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें विधि द्वारा निहित है:

(ग) जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप में या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है;

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये अन्तिम आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसका विखंडन कर सकता है या फिर से सुनवाई के लिए मामला जिला मैजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषित कर सकता है और पुनरीक्षण होने तक ऐसे आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण—पुनरीक्षणार्थ आदेश में उल्लिखित प्रदेशन गृहीता से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में प्रदेशन आदेश पारित करने की या प्रदेशन आदेश पारित करने के लिए निदेश देने की शक्ति इस उपधारा के अधीन विखंडन शक्ति में सम्मिलित नहीं होगी।

(3) जहां तक धारा 16 या धारा 19 के अधीन कोई आदेश का विखंडन किया जाय, जिला मैजिस्ट्रेट, उसे तदर्थ आवेदन-पत्र दिए जाने पर, पक्षों को फिर से उसी स्थिति में रख देगा जिसमें वे ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के इस प्रकार विखंडित न होने पर होते, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर मकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 11 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 12 व 13

धारा 19 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 19 में, शब्द तथा अंक "धारा 18 के अधीन अपील" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 18 के अधीन पुनरीक्षण" रख दिए जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(क) उपधारा (2) में खण्ड (घ) में, शब्द "कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिए उसे भवन किराये पर दिया गया था, मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया है" के स्थान पर शब्द "मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए उसे भवन किराए पर

दिया गया था, भिन्न प्रयोजन के लिए किया है या अन्य प्रकार से कोई ऐसा कार्य किया है जो ऐसे प्रयोग सें असंगत है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (4) में--

(i) शब्द "प्रस्तुत कर दें" के स्थान पर शब्द "प्रस्तुत कर दें या न्यायालय में जमा कर दें" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ;

(ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा; अर्थात् --

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ--

(क) पद 'प्रथम सुनवाई' का तात्पर्य प्रतिवादी पर तामील किए गए समन में उल्लिखित किसी पैरवी या कार्यवाही के लिए प्रथम दिनांक से है,

(ख) पद 'वाद- व्यय' के अन्तर्गत किसी प्रतिवादित वाद के लिये आदेय काउन्सेल की फीस की आधी धनराशि भी है।";

(ग) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(6) उपधारा (4) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 15 के नियम 5 के अधीन किराएदार द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि मकानदार के आवेदन-पत्र पर, पक्षकारों के अभिवचनों पर अक्षत प्रभाव डाले बिना और वाद में अन्तिम निर्णय के अधीन रहते हुए, तत्काल मकानदार को दे दी जायेगी।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 12 और 13 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 14

धारा 21 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 21 में,--

(1) उपधारा (1) में--

(क) उसके द्वितीय प्रबिन्धात्मक खन्ड में --

(1) शब्द "जिसमें किरायेदार किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में आबन्धित है" के स्थान पर शब्द "जो केवल अनावासिक प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो" रखे जायेंगे ;

(2) शब्द "दो वर्ष के किराए के बराबर धनराशि" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष के किराए से अनधिक धनराशि" रखे जायेंगे;

(ख) उसके तृतीय प्रतिबन्धात्मक खन्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात् --

"प्रतिबन्ध यह भी है कि नियत प्राधिकारी उन मामलों के सिवाय जिनकी व्यवस्था स्पष्टीकरण में की गयी है, आवेदन-पत्र की अस्वीकृति से मकानदार की सम्भावित कठिनाई की तुलना में आवेदन-पत्र की स्वीकृति से किरायादार की सम्भावित कठिनाई

को ध्यान में रखेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे तथ्यों को दृष्टिगत रखेगा जो नियत किये जायें।";

(ग) उसके स्पष्टीकरण में—

(1) खण्ड (1) में शब्द "उसके परिवार के किसी सदस्य ने" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जो सामान्यत: उसके साथ निवास कर रहा हो या उस पर पूर्णतया आश्रित हो।)" बढ़ा दिए जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे और अन्त में, निम्नलिखित टिप्पणी बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् —

"टिप्पणी—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि किसी व्यक्ति ने किसी भवन को अन्यथा अर्जित कर लिया है, यदि उसका अध्यासन किरायादार, या प्रदेशनगृहीता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में आवासिक प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक भवन पर हो।"

(2) खन्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

(iv) जहां मकानदार उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में सेवायोजन में व्यस्त था, जिसमें मकान स्थित है और ऐसे सेवायोजन के कारण किसी अन्य वास स्थान पर अध्यासीन था या जहां मकानदार किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी या अवयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री है जो उस नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया से दूर किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन में व्यस्त था, जिसमें भवन स्थित है, और ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था, और ऐसी व्यस्तता की समाप्ति के कारण मकानदार को मकान की आवश्यकता निजी अध्यासन के लिये आवासीय प्रयोजन के लिये हो, वहां ऐसी आवश्यकता खन्ड (क) के प्रयोजनार्थ सामान्यतया पर्याप्त समझी जायगी।";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

"(1-क) धारा 2 में किसी बात के होते हुए भी, मकानदार के तदर्थ आवेदन-पत्र पर किराएदारी के किसी भवन से किरायादार की बेदखली के लिए आदेश नियत प्राधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे भवन का मकानदार किसी सार्वजनिक भवन का अध्यासी आवासीय प्रयोजनों के लिये था, जिसे अपने सेवायोजन की समाप्ति के कारण उसे खाली करना पड़ा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सार्वजनिक भवन में अध्यासीन मकानदार के द्वारा अपने सेवायोजन की समाप्ति के प्रत्याशित दिनांक से पूर्व एक वर्ष की अवधि में भी इस उपधारा के अधीन आवेदन-पत्र दिया जा सकता है, किन्तु ऐसे आवेदन-पत्र पर बेदखली का आदेश वास्तविक समाप्ति के दिनांक पर ही प्रभावी होगा।";

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् —

"(3) उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किराएदार सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का सेवक होते हुए आवेदन-पत्र का प्रतिवाद न करे, वहां जिला मजिस्ट्रेट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा, जिन्हें आवेदन-पत्र के विरोध करने का अधिकार रहेगा।" ;

(iv) उपधारा (4) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिए जायेंगे ;

(v) उपधारा (5) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिए जायेंगे।

(vi) उपधारा (6) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिए जायेंगे ;

(vii) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् —

"(7) जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी आवेदन पत्र के लम्बित रहने के दौरान मकानदार की मृत्यु हो जाती है, वहां उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की आवश्यकता के स्थान पर स्वयं अपनी आवश्यकता के आधार पर ऐसे आवेदन-पत्र पर अग्रेतर कार्यवाही करने के हकदार होंगे ;

(8) उपधारा (1) के खंड (क) की कोई बात राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को किराये पर उठाए गए भवन पर लागू न होगी, जब तक कि नियत प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि मकानदार ऐसा व्यक्ति है जिस पर उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का खंड (ii) या खंड (iv) लागू होता है;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, मकानदार के आवेदन-पत्र पर, उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा, और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन-पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अग्रतर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन-पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिया जा सकता है।"

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14(i)(ग) के वर्तमान उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात् —

"(2) खंड (ii) और (iv) को निकाल दिया जाय।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 14(i) (ग) के वर्तमान उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात —

"(2) खंड (ii) और (iv) को निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 14 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 15 से 22

धारा 22 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 22 में, शब्द और अंक "धारा 18" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 10" रख दिए जाएंगे।

नए अध्याय 4-क का बढ़ाया जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् —

"अध्याय 4—क

कुछ आवेदन-पत्रों का संक्षिप्त विचारण

24-क—इस अध्याय के या उसके अधीन निर्मित नियम के उपबन्ध, उनसे असंगत किसी बात के इस अधिनियम में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी प्रतिकूल संविदा (चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित हो), रुढ़ि या प्रथा में होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

24-ख—(1) जहां किसी मकानदार से, जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अध्यासन में कोई आवासिक सार्वजनिक भवन है, सरकार या अन्य सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में ऐसे भवन को खाली करने की, या व्यतिक्रम की स्थिति में, कतिपय आभार ग्रहण करने की इस आधार पर अपेक्षा की जाय कि उसका उसी नगर म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में उस स्वामित्व में उसके नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवासिक भवन है, जहां ऐसे आदेश के दिनांक पर और दिनांक से, मकानदार को किसी ऐसे भवन का कब्जा, जिसे उसने किराये पर उठाया हो, तुरन्त लेने का अधिकार उत्पन्न हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मकानदार को, जिसका उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में चाहे अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से दो या अधिक निवास गृह हैं, एक से अधिक निवास-गृह का कब्जा लेने का अधिकार प्रदान करती है और ऐसे मकानदार को उस वास स्थान को बताना विधिमान्य होगा जिसका कब्जा वह लेना चाहता है।

(2) जहां मकानदार उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कब्जा लेने के अधिकार का प्रयोग करता है वहां किरायेदार को या उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उसे कोई प्रतिकर देय नहीं होगा

और कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां मकानदारों ने —

(क) किरायादार से कोई अग्रिम किराया लिया है, वहां वह भवन का कब्जा वापस पाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर किरायादार को उतनी धनराशि वापस करेगा जितनी संविदा, करार या पट्टे के असमाप्त भाग के लिए देय किराया के बराबर हो;

(ख) किरायादार से कोई अन्य भुगतान लिया है वहां वह उपर्युक्त अवधि के भीतर किरायादार को इस प्रकार प्राप्त कुल राशि में से उसी अनुपात में धनराशि वापस करेगा, जो अनुपात संविदा या करार या पट्टे के असमाप्त भाग का संविदा या करार या पट्टे की कुल अवधि से हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त धनराशि को वापस करने में कोई व्यतिक्रम किया जाय तो मकानदार उस राशि पर जिसे उसने वापस नहीं किया है या वापस करने में चूक की है, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साधारण ब्याज का देनदार होगा।

24-ग—(1) धारा 24-ख में विनिर्दिष्ट आधार पर किसी भवन का कब्जा पाने के लिए मकानदार द्वारा प्रत्येक आवेदन-पत्र जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा और इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में, नियत प्रपत्र में सम्मन जारी करेगा।

(3) (क) जिला मजिस्ट्रेट किरायादार को सम्मन जारी करते समय उसके अतिरिक्त यह भी निदेश देगा कि सम्मन किरायादार या उसके एजेन्ट को, जो तामील स्वीकार करने के लिए सशक्त हो, सम्बोधित करके, रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर तामील कराई जाय, जहां किरायादार या उसका एजेन्ट वस्तुत : एवं स्वेच्छापूर्वक निवास करता है या कारबार करता है या लाभार्थ स्वयं कार्य करता है और यदि मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह भी निदेश दे सकता है, कि सम्मन को समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाय, जिसका प्रचार उस क्षेत्र में है जिसमें अन्तिम बार का पता हो कि किरायादार ने निवास किया है या कारबार किया है या लाभार्थ स्वयं कार्य किया है।

(ख) जब जिला मजिस्ट्रेट को कोई रसीद मिले, जिससे यह प्रकट हो कि उस पर किरायादार या उसके एजेन्ट ने हस्ताक्षर किया है या कोई रजिस्ट्रीकृत वस्तु, जिसमें सम्मन हो वापस मिले, जिससे प्रकट हो कि उस पर किसी डाक कर्मचारी ने इस आशय का पृष्ठांकन किया है कि किरायादार या उसके एजेन्ट ने रजिस्ट्रीकृत वस्तु को लेने से इन्कार किया है, तब जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा कर सकता है कि सम्मन की तामील विधिमान्य है।

(4) किरायेदार, जिस पर सम्मन सम्यक रूप से तामील किया जाय (चाहे साधारण रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा) भू-गृहादि से बेदखली के लिए प्रार्थना का तब तक प्रतिवाद नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसा शपथ-पत्र प्रस्तुत न करे जिसमें ऐसे कारण उल्लिखित किए गए हों जिनके आधार पर वह बेदखली के आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करना चाहता हो और जिला मजिस्ट्रेट

से अनुमति न प्राप्त कर ले, जैसा कि इसमें आगे उपबन्धित है, और सम्मन के अनुसरण में उपस्थित होने में या ऐसी अनुमति प्राप्त करने में चूक करने पर, मकानदार द्वारा बेदखली के आवेदन-पत्र में दिया गया कथन किराएदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा और आवेदक उपर्युक्त आधार पर बेदखली के आदेश का हकदार होगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट किरायेदार को आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करने के लिए अनुमति देगा, यदि किराएदार द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र से ऐसे तथ्य प्रकट हों जिनसे मकानदार धारा 24-ख में विनिर्दिष्ट कारण भू-गृहादि का कब्जा वापस पाने का आदेश प्राप्त करने का हकदार न रहे।

(6) जहां किरायेदार को आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करने के लिए अनुमति दी जाय, वहां जिला मजिस्ट्रेट आवेदन-पत्र की सुनवाई यथाव्यवहार्य शीघ्र प्रारम्भ करेगा।

(7) कोई अपील या द्वितीय अपील किसी भू-गृहादि के कब्जा वापसी के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दिए गए आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश विधि के अनुसार है, मामले का अभिलेख मंगा सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(8) जहां कोई आवेदन-पत्र जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिए न दिया गया हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 47 के उपबन्धों के अनुसार पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

धारा 26 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण—पद 'सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री' के अन्तर्गत बिजली के काम के तार लगाना या किसी जल संयोजन के सम्बद्ध कोई पाइप भी है।"

धारा 28 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 28 में —

(i) उपधारा (2) में —

(क) शब्द "एक महीने के किराए" के स्थान पर शब्द "दो महीने के किराए" रख दिए जायंगे ;

(ख) उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ;

(ii) उपधारा (3) में, शब्द "यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराए" के स्थान पर शब्द "दो महीने के किराए" रख दिए जायेंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द "यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराए" के स्थान पर शब्द "दो महीने के किराए" रख दिए जाएंगे।

नई धारा 28-क और 28-ख का बढ़ाया जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् —

शिकमी किराएदार द्वारा परिवर्तन तथा सुधार नहीं किया जायगा।

"28-क—धारा 6, या धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग); या धारा 26 की उपधारा (3) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी शिकमी किराएदार को किसी भवन में, किराएदारी के निबन्धनों के अनुसरण से अन्यथा कोई परिवर्तन या सुधार करने का अधिकार प्रदान करती है।

किराएदार का जल संयोजन तथा सफाई का सामान लगवाने का अधिकार।

28-ख—किसी स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किराएदार (जिसके अन्तर्गत शिकमी किराएदार भी है) को अपनी किराएदारी के भवन में अपनी लागत पर जल-संयोजन, बिजली का कनेक्शन और सफाई के सामान लगवाने का अधिकार होगा, और प्रत्येक ऐसे कार्य के सम्बन्ध में धारा 26 की उपधारा (3) के उपबन्ध लागू होंगे।"

नई धारा 29-क का बढ़ाया जाना

20—मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय श्रेणी के किराएदारों को जिस भूमि पर भवन बने हों, उससे बदखल करने के विरुद्ध संरक्षण।

"29-क—(1) इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "किराएदार" और "मकानदार" के अर्थ शब्द 'भवन' के स्थान पर शब्द 'भूमि' को रखते हुए क्रमश: वही होंगे जो धारा 3 के खण्ड (क) और (ग) में उनके लिए दिए गए हैं।

(2) यह धारा केवल उस भूमि पर लागू होगी जो इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किराए पर दी गयी है, यदि किरायेदार ने मकानदार की सहमति से कोई स्थायी संरचना की हो और उसके निष्पादन पर व्यय किया हो।

(3) इस धारा में आगे दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 20 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी भवन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) किसी भूमि का किराएदार, जिस पर यह धारा लागू होती हो, मकानदार को ऐसे किराए का, जो पक्षों के बीच परस्पर सम्मत हो, और किसी सम्मति के न होने पर उपधारा (5) के अनुसार अवधारित किराए का देनदार होगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट मकानदार या किराएदार के आवेदन-पत्र पर ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय वार्षिक किरायों जो भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अवधारित करेगा, और ऐसा किराया, उपधारा (6) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, भूमि किराए पर देने की अवधि की समाप्ति के या इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, देय होगा।

(6) (क) इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पहले विचाराधीन किसी वाद या, अपील या अन्य कार्यवाही में कोई डिक्री किसी किराएदार की किसी भूमि से, जिस पर यह धारा लागू होती हो, बेदखली के लिए, धारा 20 की उपधारा (2) में उल्लिखित एक या अधिक आधार के सिवाय, नहीं दी जायगी और निष्पादित नहीं की जायगी, यदि किराएदार इस धारा के प्रारम्भ से तीन महीने की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन-पत्र द्वारा, वादकालीन सम्पूर्ण अवधि के लिए और आगे भूमि के बढ़े हुए किराए को, भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वाद-व्यय सहित (जिसके अन्तर्गत किसी अपील या किसी निष्पादन या अन्य कार्यवाहियों का व्यय भी है) मकानदार को बिना शर्त देने का प्रस्ताव करता है;

(ख) प्रत्येक ऐसे मामले में बढ़ा हुआ किराया उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, उस न्यायालय द्वारा अवधारित किया जायगा, जिसके कब्जे में मामला किसी प्रक्रम पर है;

(ग) किराएदार द्वारा, ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय इस बात के लिए नियत करे, उपरोक्त रूप में ऐसे बढ़े हुए किराए का व्यय सहित भुगतान वादी या डिक्रीधारी या उसके वकील के यथाविधि हस्ताक्षरयुक्त रसीद के प्रति करने पर या निक्षेप न्यायालय में करने पर, न्यायालय बेदखली के लिए वाद को खारिज कर देगा, या, यथास्थिति, डिक्री को विमोचित कर देगा और तत्पश्चात् किराएदारी इस प्रकार बढ़े हुए किराए के आधार पर प्रति वर्ष चलती रहेगी।

(घ) यदि किराएदार इस प्रकार नियत समय के भीतर (जिसके अन्तर्गत बढ़ाया गया समय, यदि कोई हो, भी है जिसे न्यायालय नियत करे या पर्याप्त कारण से स्वीकृत करे) उक्त धनराशि का भुगतान न करे; तो न्यायालय उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानों इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध प्रवृत्त न थे।

(7) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा या लिखत या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी; प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ, जहां किसी मामले में एक न्यायालय ने किराएदार के विरुद्ध निर्णय दिया हो और उसके विरुद्ध अपील की अवधि इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पूर्व दिनांक को समाप्त न हुई हो, वहां यह धारा उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह विचाराधीन कार्यवाहियों पर लागू होती है, और किराएदार इस धारा के उपबन्धों के अनुसार निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए उस न्यायालय को आवेदन कर सकता है।"

धारा 31 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

"(2) किसी व्यक्ति को, जो विधिपूर्ण कारण के बिना किसी किराएदारी के अन्तर्गत भवन या उसके किसी भाग को गिराता है, दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास का जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दन्ड का, जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों का दन्ड दिया जाएगा।"

धारा 34 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 34 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अपील प्राधिकार" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे, और शब्द "किसी अपील" के स्थान पर शब्द "किसी अपील या पुनरीक्षण" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में —

(1) शब्द "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जाएंगे, और शब्द "किसी अपील" के स्थान पर शब्द "किसी अपील या पुनरीक्षण" रख दिए जायेंगे।

(2) शब्द और अंक "दन्ड, प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346" रख दिए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे ;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 इस विधेयक के अंग मानें जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 23

धारा 3 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 43 में, उपधारा (2) में—

(i) खंड (घ) में, शब्द "जारी रखी और समापति की जायगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो" के स्थान पर शब्द "पुराने अधिनियम के अनुसार, जिसे उसी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायगा, जारी रखी और समापित की जाएगी" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) में, शब्द "ऐसे जारी रहेगी और समापित की जाएगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो" के स्थान पर शब्द "पुराने अधिनियम के अनुसार जिसे उस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायगा, जारी रखी और समापित की जाएगी" रखे जाएंगे और सदैव से रखे गए समझ जाएंगे ;

(iii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् —

"(तत) धारा 34 के उपबन्ध के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट प्रत्येक पुनरीक्षण पर लागू होंगे ;" ;

(iv) खण्ड (द) में, शब्द "जारी रखी और समापित की जा सकती है मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो" के स्थान पर शब्द "पुराने अधिनियम के अनुसार जिसे उस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायगा, जारी रखी और समापित की जा सकती है" रखे जाएंगे और सदैव से रखे गए समझे जाएंगे।

(v) खण्ड (दद) में —

(1) शब्द "और किरायेदार की बेदखली के लिए कोई वाद संस्थित न किया गया हो" के स्थान पर शब्द "चाहे किराएदार की बेदखली के लिए कोई वाद संस्थित किया गया हो या नहीं" रखे जाएंगे और सदैव से रखे गए समझे जाएंगे;

(2) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्

"प्रतिबन्ध यह है कि पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गई अनुज्ञा के आधार पर इस खण्ड के अधीन कोई आवेदन-पत्र कायम नहीं रहेगा जबकि ऐसी अनुज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के तीन वर्ष से अधिक पहले अन्तिम हो गई थी ; "

(vi) खण्ड (ध) में, शब्द "जारी रखी और समापित की जा सकती है मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो" के स्थान पर शब्द 'पुराने अधिनियम के अनुसार जिसे उस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जाएगा, जारी रखी और समापित की जा सकती है" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ;

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 23(v) के अन्त में एक नया प्रतिबन्ध निम्न रूप में बढ़ा दिया जाए —

"प्रतिबन्ध यह भी है कि पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गयी अनुज्ञा, यदि तद्हेतु दिए गए मकानदार के आवेदन-पत्र की किराएदार द्वारा व्यक्तिगत सूचना प्राप्ति के अतिरिक्त अथवा केवल समाचार-पत्र में प्रकाशन के आधार पर, एक पक्षीय दी गयी हो, तो ऐसी अनुज्ञा के आधार पर भी इस खण्ड के अधीन कोई आवेदन-पत्र कायम नहीं रहेगा।"

मान्यवर, इस संशोधन को रखने का उद्देश्य यह था कि जो पुराना ऐक्ट था उसमें खंड 3 के अन्तर्गत मकान मालिक, को बेदखल करने की इजाजत दी जाती थी। कुछ लोगों ने क्या किया, नया ऐक्ट आया, नये ऐक्ट में प्राविधान रखा गया है कि जो उसमें परमीशन दी गयी है उस परमीशन को दीवानी में न जाकर प्रेसक्राइब अथारिटी जो है वह बेदखल कर देगा कुछ पार्टियों ने क्या किया सर्विस एक जगह कर रहे हैं, एक जिले में रहकर किसी दूसरे जिले के अखबार में छपवा दिया और मिल कर अपना काम करा लिया। पहले रेन्ट कन्ट्रोल अफसर था इसलिए परमिशन अपने नाम से लेते थे। अब जो परमीशन दी जा रही है, उस परमिशन की अपील नहीं होगी बल्कि प्रेस्क्राइब अथारिटी में चले गए और प्रेस्क्राइब अथारिटी ने बेदखल करना स्वीकार कर दिया। तो लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए यह एक छोटा सा एमेंडमेन्ट है; आशा है स्वीकार करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसको स्वीकार करने से कई काम्प्लेक्सेज पैदा हो जायेंगे। अतः क्षमा चाहता हूं, स्वीकार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं इसको वापस लिए लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय गोविन्द सिंह नेगी को उनका प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 23(v) के उपखंड (2) द्वारा बढ़ाए जाने वाले प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि तीन वर्ष की अवधि की गणना करने में उस अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें आवेदक किसी सिविल कार्यवाही का चाहे प्रारम्भिक या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, सम्यक तत्परता से अनुसरण कर रहा था।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 23(v) के उपखंड (2) द्वारा बढ़ाए जाने वाले प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि तीन वर्ष की अवधि की गणना करने में उस अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें आवेदक किसी सिविल कार्यवाही का चाहे प्रारम्भिक या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, सम्यक तत्परता से अनुसरण कर रहा था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 23 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 24, 25 व 26

धारा 44 का प्रतिस्थापन

24—मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"44—उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 68 निकाल दी जाएगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22; 1972 की धारा 2 का संशोधन

25—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में—

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(कक)" भौमिक अधिकार से सम्बन्धित विधि' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत, सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है ;

(ख) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अन्तर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा जलाच्छादित भूमि या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क या ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी

है), या किसी भवन या किसी भवन के भाग से है; और इसके अन्तर्गत—

(i) ऐसे भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान और वाह्य गृह, यदि कोई हो, भी है ; और

(ii) ऐसे भवन या भवन के भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिए लगाये गए कोई फिटिंग्स या फिक्सचर्स या उसके लिये दिया गया कोई फर्नीचर भी है,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन किसी खातेदार द्वारा तत्समय धृत हो ;";

(2) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् —

"(ङ) 'सार्वजनिक भू-गृहादि का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत किया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है, जो निम्नलिखित का हो या उनके द्वारा या उनकी ओर के पट्टे पर लिया गया हो —

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा-परिभाषित कोई कम्पनी जिसमें राज्य सरकार की कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी हो ; या

(ii) कोई स्थानीय प्राधिकरण ; या

(iii) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में कोई ऐसा निगम जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो; या

(iv) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन पूर्णत: लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नामांकिती, या दोनों हों, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(i) नजूल भूमि या कोई ऐसा भू-गृहादि जिसका प्रबन्ध किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अन्तर्गत् कोई ऐसा भवन भी है जिसका निर्माण उस स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधि से किया गया है, जो भौमिक अधिकार सम्बन्धी किसी विधि से अधीन गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित या उसको प्रबन्धार्थ सौंपी गई भूमि नहीं है);

(ii) कोई भू-गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिए (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन निष्पादित ऐसे करार के अधीन धृत हो जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुन: प्रवेश करने की व्यवस्था हो ;" ;

(3) खण्ड (च) में अन्त में, शब्द "और किसी निगमित प्राधिकरण द्वारा किसी सार्वजनिक भू-गृहादि को पट्टे पर देने की दशा में ऐसे प्राधिकरण को देय प्रीमियम और ब्याज भी है" बढ़ा दिए जायेंगे।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

26—(1) इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के संशोधन के होते हुए भी —

(क) कोई अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 21, धारा 24, धारा 26, धारा 27, धारा 28 या धारा 43 के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन हो, खन्ड (ख) के अधीन रहते हुए, मामले की सुनवाई जारी रखेगा और उसका निर्णय करेगा ;

(ख) किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष मूल अधिनियम के अधीन विचाराधीन किसी मामले को (इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित) मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) द्वारा यथापरिभाषित किसी नियत प्राधिकारी को अन्तरित करना जिला न्यायाधीश के लिए विधि पूर्ण होगा, और तदुपरान्त ऐसा प्रत्येक नियत प्राधिकारी उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वह मामला उसे इस प्रकार अन्तरित किया जाय।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 18 के अधीन विचाराधीन समस्त अपील को इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन प्रस्तुत पुनरीक्षण समझा जाएगा और तदनुसार उनका निस्तारण किया जाएगा।

(3) जहां राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को किराए पर उठाए गए किसी भवन के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बेदखली का कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो, किन्तु ऐसा किरायेदार वास्तव में बेदखल न किया गया हो और वह ऐसे प्रारम्भ के समय भवन पर कब्जा बनाए रक्खे हो, वहां उपधारा (4) के अनुसार नियत प्राधिकारी को दिए गए किराएदार के आवेदन-पत्र पर नियत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया बेदखली का आदेश उनमोचित हो जाएगा और बेदखली का ऐसा कोई आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो मास के भीतर दिया जाएगा और किराएदार उसमें किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत के बारहवें भाग की दर से किराए का बिना शर्त भुगतान करने का उल्लेख करेगा, और तदुपरान्त, नियत प्राधिकारी तदनुसार पुनरीक्षित किराया अवधारित करेगा, और ऐसा पुनरीक्षित किराया उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश के दिनांक से देय होगा।

(5) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) नियमावली, 1972 के नियम 16 के उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाए गए समझे जायेंगे। मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

(6) उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 की धारा 9 के उपबन्ध उसमें निर्दिष्ट प्रकार के वादों के सम्बन्ध में, जो उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी सक्षम न्यायालय को अन्तरित कर दिए गए थे और उस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे अन्तरित न्यायालय में विचाराधीन थे उसी प्रकार लागू होंगे और सदैव लागू हुए समझे जायेंगे जैसे वे उन वादों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जो उस न्यायालय में विचाराधीन थे जिसमें वे संस्थित किए गए थे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई वाद, जिसका निर्णय अन्तरित न्यायालय ने उक्त अधिनियम के प्रारम्भ और इस अधिनियम के प्रारम्भ के मध्य इस अनुमान के आधार पर किया हो कि उक्त धारा 9 ऐसे वादों पर लागू नहीं होती, विधिमान्यत : निर्णीत समझे जायेंगे मानो उक्त धारा ऐसे वादों पर लागू नहीं होती थी।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 24, 25 और 26 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना है, माननीय बनवारी राम यादव की। इसको मैं आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को निर्दिष्ट कर रहा हूं।

लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत श्री टी० पी० भल्ला की अतिरिक्त घोषित भूमि वन विभाग को दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रश्न आया था और उसके उत्तर के सम्बन्ध में यह है। मान्यवर, यह टी० पी० भल्ला साहब उत्तर प्रदेश सरकार के आई० जी० रह चुके हैं। इन बड़े-बड़े अफसरों ने तराई की जमीन की काफी लूट की है और आज भी कर रहे हैं। यह सरकार नौकरशाही से मिली हुई है। भल्ला साहब के पास कुछ जमीन थी। सन् 1959 में इस बात की चर्चा होने लग गयी थी कि इस प्रदेश के अन्दर सीलिंग का कानून बनने जा रहा है। जो अकलमन्द लोग थे उन्होंने अपनी जमीन को बांटना शुरू कर दिया। यह तो आई० जी० थे इसलिए इनको तो पहले ही सूंघ लग जाना था। उन्होंने टी० पी० भल्ला, आर० पी० भल्ला, एम० पी० भल्ला, डी० पी० भल्ला और एन० पी० भल्ला के नाम अलग-अलग करके सीलिंग से बचने की कोशिश की। वह जमीन तो है। वह जो कि कागजात में इनके नाम इन्दिराज थी। इनकी कुल 2 हजार 56 एकड़ जमीन थी। सीलिंग आयी। 944 एकड़ तो जमीन पहले से ही नाजायज कब्जे में थी जो इनके नाम से नहीं थी। दिनांक 16 मई, 1960 को 55 एकड़ जमीन और छोड़ दी गयी इसलिए कि यह उद्योग लगा रहे हैं। यह केवल लगा रहे हैं 5 एकड़ जमीन पर। दिनांक 27 अप्रैल, 1963 को 446.94 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित कर दी गयी। एक और मजेदार बात है। तमाम लोगों की जमीन सरप्लस घोषित की गयी लेकिन टी० पी० भल्ला की .01 एकड़ जमीन सरप्लस जब कि उनके नाम में 222.3 एकड़ जमीन थी।

मान्यवर, सन् 1963 में यह जमीन सरप्लस कर दी गई लेकिन सन् 1975 तक इस जमीन पर भल्ला साहब का कब्जा रहा। माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि 1976 में वन विभाग ने कब्जा किया। 12 साल तक किस अधिकारी की सांठ-गांठ से, किस जिलाधीश या परगनाधीश की साजिश के कारण भल्ला साहब इस जमीन पर काश्त करते रहे हैं। इन्होंने इस जमीन से इतने सालों तक खूब खाया कमाया और लाखों रुपया पैदा किया और आपने इसके लिए किस अधिकारी का जिम्मेदार ठहराया है और क्या आपने कोई कार्यवाही की है? 20 सूत्री कार्यक्रम ठीक है, जमीन का बंटवाना भी ठीक है लेकिन 12 साल तक एक रिटायर्ड आफिसर हजारों एकड़ जमीन दबाए हुए हैं, सीलिंग की जमीन दबाए हुए है, इसके लिए आपके कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और आपने क्या कार्यवाही की है? इसके बाद नया सीलिंग ऐक्ट आया और उसमें 665 एकड़ जमीन सभी के हिस्से में और सरप्लस निकली थी। कहा गया कि यह असिंचित जमीन थी हालांकि वहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन थे। 509.75 एकड़ जमीन उसकी सीलिंग से मिली और वह जमीन अभी भी उनके कब्जे में है। राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि वह जमीन वन विभाग को ट्रान्सफर कर दी गई है, लेकिन वन विभाग ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और भल्ला साहब को खाने कमाने दिया। वन विभाग के जो पेड़ थे उसका भी मुआविजा भल्ला साहब खा गए। आज वन विभाग के कब्जे में वह नहीं है। जो कृष्णनगर का फार्म है, भल्ला साहब कहते हैं कि मैंने थारुओं में उस जमीन को बांट दिया। थारुओं के नाम पर उन्होंने कुछ झोपड़ियां बनवा दीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो कि उनके यहां काम करने वाले श्रमिक थे, उनके लिए। जिस दिन वह काम छोड़ कर गया नहीं कि उसकी जगह पर दूसरे को उन्होंने वह झोपड़ी दे दी। और भी बहुत सी मिसालें हैं इस गड़बड़ घोटाले की। हमारे राजस्व मन्त्री जी के ध्यान में जब यह बात 1975 को लाई गई तब मन्त्री जी की पहल पर जिला अधिकारियों के कान हिले और उस पहल का नतीजा हुआ कि आपने जंगल विभाग को जमीन दे दी। जंगल विभाग ने फिर उनके हवाले कर दिया? आज नाममात्र को कहते हैं कि हमारा कब्जा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कृपा करके इस सम्बन्ध में कोई जांच करवायें। उस जांच में आप कांग्रेसी एम0 एल0 एज0 को रखें और उचित समझें तो एक आध आदमी हमारा भी रख लें। एक आफिसर आपके रहते हुए, आपकी नौकरशाही इस तरह से 12, 12 साल तक सीलिंग की जमीन को दबाए रहेगा, इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे।

*राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

श्रीमन्, टी0 पी0 भल्ला वाला मसला जो है उससे मैं काफी दिनों से परिचित हूं। हमारे माननीय सदस्य ने जो इस पर टिप्पणी की है यह बात सही है कि हमारे पास जो कुछ रेकार्ड मिल सका है उसके आधार पर हम सदन को अवगत करना चाहते हैं। श्री टी0 पी0 भल्ला ने 8-7-49 को राजा प्रतापगढ़ से यह भूमि प्राप्त की थी। किशननगर, परगना खैरीगढ़ में भूमि नम्बर 10, क्षेत्रफल, 165.75 एकड़, नम्बर 12 क्षेत्रफल 246.70 एकड़, नम्बर 13 क्षेत्रफल 2.11 एकड़, नम्बर 14 क्षेत्रफल 5.38, नम्बर 15 क्षेत्रफल 0.62 एकड़, नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.02, नम्बर 17 क्षेत्रफल 4.75, नम्बर 18 क्षेत्रफल 0.23 एकड़, नम्बर 19 क्षेत्रफल 4.28 एकड़, नम्बर 20-पी क्षेत्रफल 2.10 एकड़ तथा नम्बर 20-पी क्षेत्रफल 500 एकड़ यानी कुल मिला कर 933.94 एकड़ जमीन थी। दिनांक 13 मई, 1952 को श्री टी0 पी0 भल्ला ने आपसी बंटवारा कराया और अपने परिवार के लोगों को निम्न प्रकार भूमि दी :--

श्री टी0 पी0 भल्ला	..	222.39 एकड़
श्री राजेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	222,38 एकड़
श्री भूपेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	222.39 एकड़
श्री वीरेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	222.39 एकड़
श्री नरेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	222.39 एकड़

यानी कुल 1111.94 एकड़ भूमि बांटी और उसमें 178 एकड़ वह भूमि भी शामिल है जो उन्होंने दिनांक 22 जुलाई, 1954 को प्राप्त कर ली थी। 1960 में जोत सीमा आरोपण विधेयक अधिनियम के पारित होने पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी और दिनांक 27 अप्रैल, 1963 को नियत प्राधिकारी द्वारा 446.94 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

श्री टी0 पी0 भल्ला	..	89.39 एकड़
श्री राजेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	89.38 एकड़
श्री भूपेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	89.39 एकड़
श्री वीरेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	89.39 एकड़
श्री नरेन्द्र प्रसाद भल्ला	..	89.39 एकड़
कुल भूमि	..	446.84 एकड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

इससे अतिरिक्त घोषित भूमि पर राजस्व विभाग का कब्जा 14 जून, 1964 को हो गया और इसके अतिरिक्त घोषित भूमि का प्रस्थापन दिनांक 31 अगस्त, 1963 को हुआ था। दिनांक 9 जून, 1964 को वन विभाग ने यह मांग की कि यह भूमि उनको हस्तान्तरित कर दी जाय। दिनांक 21 अक्तूबर 1965 को जिलाधिकारी; खीरी ने राजस्व परिषद् को यह संस्तुति की कि यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाय। दिनांक 6 मई, 1968 को शासन द्वारा यह आदेश दिया गया कि यह अतिरिक्त घोषित भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाय। दिनांक 21 मई, 1968 को डी0 एफ0 ओ0, उत्तरी खीरी ने जिलाधिकारी को लिखा कि इस भूमि का सीमांकन करा कर इसका कब्जा दिला दिया जाय। उन्होंने 15 अक्तूबर, 1968 को जिलाधिकारी को पुन: स्मरण कराया। जिलाधिकारी; खीरी ने 25 नवम्बर, 1968 को तहसीलदार निघासन को आदेश दिया कि इस भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग को कर दिया जाय और कब्जा दिला दिया जाय। दिनांक 25 नवम्बर, 1968 को यह भूमि वन विभाग के नाम खतौनी में दर्ज कर दी गयी। दिनांक 18 फरवरी, 1969 को जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर एक मीटिंग की जिसमें डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, तहसीलदार, निघासन ने यह सूचित किया कि भूमि के अधिकांश भाग पर अतिक्रमण है इसलिए सीमांकन करना कठिन है। जितने नम्बरान थे सब मिलजुलता थे। जिलाधिकारी ने एक समिति गठित कर दी जिसमें परगनाधिकारी, तहसीलदार और डिवीजनल फारेस्ट आफिसर सदस्य थे। इस समिति द्वारा यह मामला सुलझाया जाना था। दिनांक 31 अक्तूबर, 1974 को डिवीजनल फारेस्ट आफिसर उत्तरी खीरी ने अरण्यपाल मध्य क्षेत्र की स्थिति की सूचना दी और इस पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी; खीरी, हाकिम परगना और तहसीलदार; निघासन को पृष्ठांकित की कि प्रश्नगत भूमि का भौतिक कब्जा वन विभाग को दिलाया जाय। इससे प्रतीत होता है कि 1969 से लेकर 1974 तक कोई प्रभावशाली कार्यवाही हुई प्रतीत नहीं होती। जिलाधिकारी, खीरी ने 4 नवम्बर, 1974 को परनाधिकारी को आदेश दिया कि भूमि का सीमांकन करा कर भौतिक कब्जा दिला दिया जाय। नवम्बर-दिसम्बर, 1974 को वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन हुआ और वन विभाग को उसी समय भौतिक कब्जा मिल गया। भौतिक कब्जा के बाद यह मालूम हुआ कि इस भूमि में से 95 एकड़ पर लोगों के अनधिकृत कब्जे थे। जिसमें से 23 एकड़ श्री भल्ला के कब्जे में थी। बाकी थारुओं के कब्जे में थी। श्री भल्ला से जमीन खाली करा ली गयी है, लेकिन थारुओं का कब्जा अभी कायम है। आयुक्त लखनऊ को आदेश दिए जा रहे हैं कि वे इसकी विस्तृत जांच करें। श्रीमन्, इस बात को मानना पड़ेगा कि इसमें घपला हुआ है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हम एक कमेटी तैयार कर रहे हैं जो कि इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जांच करेगी। अभी इस सम्बन्ध में कागज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसकी फौरी जांच करने के लिए रिकमेन्ड किया है। आयुक्त को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

जांच नाकाफी होगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अधिनियम में ऐसा संशोधन लाएं कि सरकारी नीति और अधिनियम को विफल करने के लिए कुचेष्टा के परिणामस्वरूप उस प्रकार का दन्ड हो जाय जैसा कि इनकमटैक्स में होता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो उन अधिकारियों के ऊपर होगा जिन्होंने घपला किया है।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जो बात माननीय गोविन्द सिंह जी ने कही और माननीय मन्त्री जी ने जिसका जवाब दिया उससे मालूम हुआ कि ये भल्ला साहब आज भी उस जमीन पर काबिज हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं जानना चाहता हूं कि सीलिंग कानून लागू होने से पहले भल्ला साहब कितनी जमीन के मालिक थे और सीलिंग कानून लागू होने के बाद आज वे कितनी जमीन के मालिक हैं? कितनी जमीन आप निकाल पाए हैं और वह किसके कब्जे में है। आपने कहा कि वन विभाग की खतौनी में दर्ज है। इससे काम नहीं चलता उसपर फिजिकल पजेशन किसका है और कितनी जमीन आप निकाल पाए हैं? शासन की तरफ से यह जवाब आए कि "एसा प्रतीत हो रहा हैं, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के आप मालिक हैं तो आपको उसकी वस्तु स्थिति स्पष्ट बतानी चाहिए। जो घपला किया गया है उसको दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? कमेटी बनाकर जांच करवाना समस्या का समाधान करना नहीं है। कानून ने आपको अधिकार दे रखा है। अगर यह अधिकार मुझे हो तो मुझे वहां न जाना पड़े और यहीं लखनऊ के कार्यालय में बैठकर सारी जमीन निकलवाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में आप जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों नहीं जाकर यही सलाह दे देते हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, काशीनाथ जी की भावनाओं का मैं आदर करता हूं। मैं भी उसी राय का हूं जो उन्होंने जाहिर की है। मान्यवर, अभी कागज उपलब्ध नहीं हुए हैं। अगर राज्य सरकार किसी अधिकारी के पास इस तरह से इतने दिनों तक कोई जमीन रहती है तो फिर उसका लीगल आस्पेक्ट होगा और सारी स्थिति सामने आ जाएगी। इसमें जो माननीय सदस्य चाहें, कमेटी में हो जाएं ताकि हम वन्स फार आल इस मामले को निपटा दें। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है कि नाजायज फायदा किसी को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

(सदस्यों से) आप कमेटी में हो जायं, वहां सलाह दें।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय माल मंत्री और माननीय वन मन्त्री, चूंकि यह दोनों विभागों से सम्बन्धित घपला है, दोनों से पूछना चाहता हूं कि यह मामला दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी का मामला है। उन्होंने अभी बताया कि कृष्णानगर में 440 एकड़ जमीन और फार्म का जो विवरण दिया है और जो आदेश मन्त्री जी के हैं और जो 8 फार्म हैं, उनके बारे में तो आपने बताया नहीं। उसमें भी सैकड़ों एकड़ का घपला है। उनको क्यों आप छिपा रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह 1968 का मामला है। जब संविद सरकार थी जिसके आप भी घटक थे। उस वक्त जल्दी करा दिए होते तो नहीं होता।

श्री राम सजीवन—

संविद पर टालने से काम नहीं चलेगा। आप को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरे भी फार्म हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उन लोगों का नहीं है।

श्री राम संजीवन—

दिनांक 6 मई, 1968 का आदेश क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह उनसे सम्बन्धित नहीं है। उसमें नाम दिए हैं, टेकनगर, लड़वा, किशन नगर आदि। (व्यवधान)

श्री राम सजीवन—

इन फार्मों में बड़ा घपला है।

श्री अध्यक्ष—।

इसमें कोई मतभेद नहीं है। मंत्री जी भी उसी राय के हैं जो आपकी राय है। एक कमेटी का सुझाव आया है उसमें यह सब बातें आ जायेंगी।

श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरप्लस भूमि निकली थी, उसमें कितना मुआवजा दिया गया और कितना पेड़ों का दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कई जगह ऐसे केसेज हैं जहां मुआवजा दिया गया और जमीन भी वही जोते हुए। वह सन् 1968 का मामला है, जब संविद सरकार थी।

श्री प्रताप नारायण—

कितना मुआवजा दिया गया वह बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वह मेरे पास नहीं है। जब जांच होगी तो उसमें आ जाएगा।

श्री प्रताप नारायण—

जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें दो लाख 98 हजार मुआवजा मिला है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हो सकता है।

श्री राम सजीवन—

शासन ने अतिरिक्त जमीन कब कब्जे में ली और कब वन विभाग को दी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके ह।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि क्या यह सही है कि श्री टी0 पी0 भल्ला के पास 222 एकड़ जमीन थी और नई सीलिंग में केवल 0.01 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित की गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप और हम सब 15 दिन के लिए वहां चलेंगे और मीटिंग करेंगे और सब चीज देख लेंगे।

श्री राम सजीवन—

इसमें काफी घपला है। आप स्पष्ट बताएं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हम डिफेन्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
6 मई, 1976

तत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

बहराइच जनपद की बहराइच तहसील में स्थापित हुयी 21 नई लघु उद्योग इकाइयों की सूची

क्रमांक	लघु उद्योग इकाई का नाम व पूरा पता	इकाई के स्वामी का नाम	उत्पादित वस्तु का नाम
1	2	3	4
1	मेसर्स इन्द्र लाल जैन, मोह0 ब्रह्मणीपुरा, बहराइच	.. श्री इन्द्रलाल जैन	.. पालीथीन शीट व बैग्स
2	मेसर्स मित्तल कैन्डिल वर्क्स, गुलाम अलीपुरा, बहराइच	.. श्री राधे श्याम मित्तल	.. मोम बत्ती
3	मेसर्स रमेश कैन्डिल इण्डस्ट्रीज, गुदड़ी, बहराइच	.. श्री रमेश चन्द्र खोसला	.. मोम बत्ती
4	मेसर्स मातनहेलिया स्टील कम्पनी, मालगोदाम रोड, बहराइच	श्री केदार नाथ मातनहेलिया साझेदार।	सरिया लोहे की
5	मेसर्स शर्मा सा मिल्स, मालगोदाम रोड, बहराइच	.. श्री रूढ़ मल शर्मा, साझेदार	.. लकड़ी के तख्ते व फट्टी
6	मेसर्स मिनी शुगर मिल, चितौड़ा, बहराइच	.. उ0 प्र0 पूर्वांचल विकास निगम लि0, फैजाबाद।	चीनी
7	मेसर्स हितेष सीमेन्ट उद्योग, छावनी बाजार, बहराइच	.. श्री कैलाश नाथ गर्ग	.. सीमेन्ट की वस्तुयें
8	मेसर्स भारत बैट्री सर्विस, मो0 अकबरपुरा, बहराइच	.. श्री मुहम्मद हबीब बेग	.. बैट्री सर्विसिंग
9	मेसर्स अख्तर आयरन वर्क्स, मो0 ब्रह्मणीपुरा, बहराइच	.. श्री मो0 अख्तर	.. ग्रिल्स
10	मेसर्स जनता सीमेन्ट जाली उद्योग, दरगाह रोड, बहराइच	.. श्री मोइनुलहक	.. सीमेन्ट जाली
11	मेसर्स रामेश्वर लाल शंकर लाल आयल मिल, शिवनगर, बहराइच	श्री शंकर लाल	.. तेल
12	मेसर्स प्रकाश आईस कैन्डी, ग्राम व पोस्ट भिन्गा, बहराइच	.. श्री कृपा राम	.. आइस कैन्डी
13	मेसर्स धेनु जर्दा फैक्टरी, ग्राम व पोस्ट भिन्गा, बहराइच	.. श्री राम निवास गुप्ता, साझेदार	जर्दा तम्बाकू
14	मेसर्स मोहन कत्था उद्योग, ग्राम व पोस्ट भिन्गा, बहराइच	.. श्री मोहन श्रीवास्तव	कत्था
15	मेसर्स श्री जय दुर्गा जी इन्जीनियरिंग वर्क्स, ग्राम व पोस्ट प्रयागपुर, बहराइच।	श्री जे.खन लाल	.. जनरल इन्जीनियरिंग
16	मेसर्स मो0 इकबाल, चान्दपुरा, बहराइच	.. मो0 इकबाल	.. टायर वालकेनाइजिंग

बन्द इकाइयां

क्रमांक	लघु उद्योग इकाई का नाम व पूरा पता	इकाई के स्वामी का नाम	उत्पादित वस्तु का नाम
1	2	3	4
17	मेसर्स इम्पीरियल फर्नीचर मार्ट, छावनी बाजार; बहराइच	.. श्री अब्दुल रशीद	.. लकड़ी के फर्नीचर। यह इकाई उद्योगों की वर्ष 1973-74 में हुयी गणना के समय समाप्त पाई गयी थी, खोजने पर भी नहीं मिल सकी थी इस कारण इसके बन्द होने का कारण ज्ञात नहीं हो सका।
18	मेसर्स सिंगर ड्रेसेज; मीरा खोलपुरा, बहराइच	.. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	.. सिले सिलाए कपड़े उत्पादन अलाभप्रद होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया।
19	मेसर्स शर्मा प्लास्टिक वर्क्स, मो0 ब्रह्मणीपुरा, बहराइच	.. श्री अब्दुल हकीम	.. प्लास्टिक का सामान इकाई का स्वामी नेपालगंज चला गया है जिस कारण इकाई बन्द हो गयी है।
20	मेसर्स सुरेन्द्र सीमेन्ट जाली उद्योग, दरगाह रोड, बहराइच	.. श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल	.. सीमेन्ट जाली इकाई का स्वामी इकाई को लाभप्रद ढंग से नहीं चला सका। अत: इकाई बन्द हो गई।
21	मेसर्स कृष्ण गोपाल गुप्ता, ग्राम व पोस्ट भिन्गा, बहराइच	.. श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता	.. कत्था जंगलात का ठेका न मिल सकने के कारण इकाई बन्द हो गयी है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

तालिका

जनपद मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	योजना पर वास्तविक व्यय (लाखों में)	योजना की भौतिक प्रगति
1	2	3	4
1	राबर्ट्सगंज ..	7.10	योजना पूरी की जा चुकी है और पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
2	पगिरा ..	5.16	योजना पूरी की जा चुकी है। जनता को पेयजल वितरित किया जा रहा है।
3	मुल्वाग्राम ..	14.4	लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना के अन्तर्गत क्लोरीनेटेड जल का वितरण किया जा रहा है।
4	कोन ग्राम ..	12.4	लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
5	कोटा ..	4.706	लगभग 30 प्रतिशत कार्य किया गया है।
6	शिवद्वार ..	28.181	लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	कुडिया–28 ग्राम समूह पेयजल योजना	20.830	लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना को डीजल पम्प लगाकर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।
8	बढौली ..	4.280	कुछ सामग्रियों का प्रबन्ध किया जा चुका है।
9	कुसाही ..	4.840	कुछ सामग्रियों का प्रबन्ध किया जा चुका है।

पी०एस०यू०पी०—एल० 114 वि० सभा (240)—1976—840।